[2006] SUPP. 9 S.C.R. 954 : 2006 INSC 943

मेसर्स अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया प्रा0 लि0 तथा अन्य

बनाम

भारत संघ तथा अन्य

दिसम्बर 1, 2006

(एस0बी0 सिन्हा तथा पी0पी0 नावलेकर न्यायमूर्तिगण)

कोयला - मूल्य निर्धारण - आवश्यक वस्तु (कोयला) का - बाद मे इसके मूल्य तथा विवरण को सरकार द्वारा अविनियमित किया गया - मूल्य निर्धारण कोयला कंपनियों पर छोड़ा गया- ई-नीलामी के स्कीम का आरम्भ - केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारो के अभिकरणो को ई-नीलामी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था-विशेष धूमहीन ईंधन के उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु, इन्हे कोयला तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त करते हुए इसके उत्पादन के उद्यमकर्त्ताओ को आमंत्रित करते हुए विज्ञापन- इसके अनुसरण मे, धूमहीन कोयला के उत्पादन हेतु संयंत्र स्थापित - ई-नीलामी के स्कीम की वैधता-अभिनिर्धारितः ई-नीलामी के बोली लगाने वाले को कोयले के आवंटन हेतु वर्गीकरण असामयिक, अतार्किक तथा आकस्मिक है - केन्द सरकार कोयला खान केन्द्रीय आदेश के अन्तर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय ई-नीलामी द्वारा कोयले के निपटान के वेष मे कोई निदेश जारी नही कर सकता था - कोयला कंपनीयां युक्तियुक्त कीमत तय करने के लिए संवैधानिक बाध्यता के अधीन थी - आवश्यक वस्तु अधिनियम के निबंधनो के अनुसार उचित तथा युक्तियुक्त कीमत तय करते समय, यह आवश्यक है कि कीमत को वास्तव मे तय किया जाय तथा व्यवहार्य न रखा जाय - आवश्यक वस्तु का मूल्य निर्धारण जनहित के कसौटी पर निर्धारित किया जाता है - जहाँ तक परिवर्तनशील पर निर्धारित कोयले के कीमत के निर्धारण के ढंग का संबंध है नीतिगत निर्णय लेते समय, कोयला कंपनीयाँ मामले के सामाजिक तथा आर्थिक पहलू को ध्यान मे रखने के लिए बाध्य है - यद्यपि युक्तियुक्त लाभ अनुज्ञेय है, लेकिन मुनाफाखोरी नही होगा - ई-नीलामी की स्कीम भी अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत है केन्द्र सरकार कोयला कम्पनियों के सहयोग से उस नीति को तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी जो कोयले के उपभोक्ताओ के हित के मुकाबले जनहित के अपेक्षाओ को पूरा करेगा - केन्द्र सरकार ने कोयले के परिभाषा को व्यापक बनाने की सलाह दिया था जिससे धूमहीन कोयले को शामिल किया जा सके - कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1995 - कोयला खान नियंत्रण आदेश 2000 - आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 -

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 - कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 - भारत का संविधान 1950- भाग 4 तथा अनुच्छेद 14 तथा 19 (6)

भारत का संविधान 1950 :

भाग 4 - अनुच्छेद 39 (ख) - निर्देशक सिद्धान्त - उल्लंघन - का प्रभाव - आवश्यक वस्तु के मूल्य निर्धारण पर अभिनिर्धारित : यद्यपि निर्देशक सिद्धांतो का उल्लंघन अधिकारातीत नही होगा, लेकिन ये आवश्यक वस्तु के मूल्य निर्धारण के प्रश्न के निर्धारण हेतु सुसंगत विचार होगा।

निर्देशक सिद्धान्त - की भूमिका - अभिनिर्धारित। ये नागरिक के मौलिक अधिकारो तथा कानूनी अधिकारो के निवर्चन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

न्यायिक पुनर्विलोकन - की अनुज्ञेयता - नीतिगत निर्णय के मामलो में - अभिनिर्धारितः नीतिगत निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन की विषय वस्तु है - लेकिन केन्द्र सरकार के कार्यपालक की ओर से इस प्रकार के नीति का अनुच्छेद 77 के निबंधनो के अनुसार सही मायने मे अर्थ लगाया जाना चाहिए - भारत का संविधान 1950 -अनुच्छेद 77

सिद्धांतः

विधि सम्मत अपेक्षा का सिद्धांत - की प्रयोज्यता

युक्तियुक्तता का सिद्धान्त - की प्रयोज्यता

वचन विवंध का सिद्धान्त - की प्रयोज्यता

जन आवश्यकता का सिद्धान्त - की प्रयोज्यता

शब्द तथा वाक्यांश

'व्यापार' - का अर्थ

कोयला के उत्पादन वितरण, आपूर्ति तथा मूल्य का नियंत्रण तथा विनियमन भारतीय प्रतिरक्षा नियमावली के अन्तर्गत विरचित कोयला खान नियंत्रण आदेश 1945 के अन्तर्गत किया जाता था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आदेश जारी था। कोकिंग कोयला खॉन तथा कोयला खॉन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) के प्रावधानो को प्रभावी करने के विचार से कोकिंग कोयला खॉन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 का कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसार राष्ट्रीयकरण के अधीन था।

राष्ट्रीयकरण के बाद, कोयला के उपभोक्ताओ को कोर क्षेत्र तथा गैर-कोर क्षेत्र के रूप मे वर्गीकृत किया गया था अनुबंध व्यवस्था को आरम्भ मे कोर क्षेत्र तथा तत्पश्चात् गैर-कोर क्षेत्र

उपभोक्ताओ के लिए भी तैयार किया गया था। अनुबंध का निर्धारण कोयला के उपलब्धता, प्रत्येक उद्योग जैसा राज्य द्वारा प्रमाणित है के संबध मे इसके शर्तो तथा कोयला का परिवहन करने के रेलवे के क्षमता के आधार पर किया जाना था। जहाँ तक कोयला के मूल्य तथा वितरण का संबंध है सरकार ने समय-समय पर कई अधिसूचनाओ को जारी किया था जिसमे कारण अविनियमन किया गया था। कोयला खान नियंत्रण आदेश, 2000 द्वारा, 1945 के आदेश को निरसित किया गया था का इसके द्वारा कोयला पर नियंत्रण तथा विनियमन जैसा 1945 आदेश के अन्तर्गत अभिभावी था, को समाप्त किया गया था। 2000 आदेश के आधार पर, केन्द्र सरकार ने कोयला नियंत्रक द्वारा किये जाने वाले कतिपय अन्य कानूनी कार्यो के अलावा कोयला के स्टाक के निपटान को विनियमित करने के लिए निदेशों को जारी करने की शक्ति अपने पास रखा था। कोल इंडिया मूल्य का निर्धारण करने के लिए हकदार था। कोल इंडिया ने कोयला के माँग तथा उपलब्धता के संबंध मे वेमले के कारण गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ को नया अनुबंध देने को रोक दिया था। इस प्रकार ऐसे उपभोक्तागण जिनके पास अनुवंध नही था अधिक कीमत पर चोर बाजार से कोयला खरीदने के लिए बाध्य थे। खुला विक्रय स्कीम कीमत तथा संबद्ध उपभोक्ताओ के कीमत के बीच अंतर को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अनुबंध के दुरूपयोग को रोकने के लिए, संबद्ध उपभोक्ता के इकाईयो का सत्यापन आरंभ किया गया था। कोयला तथा इस्पात पर स्थायी समिति ने पाया कि ऐसी जाली कंपनीयाँ है जो कोयला का उपयोग नही कर रही हैं तथा इसका कालाबाजारी कर रही है।

एक नई स्कीम जिसक ई-नीलामी के रूप में जाना जाता है, को कोयला के आयात तथा निजी कोयला खान चालू करने एवं कोयला के वितरण को व्यवहारिक तथा पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करान के संबंध मे केन्द्र सरकार के उदारीकरण नीति को पूरा करने के लिए तात्पर्यित रूप से बनाया गया था। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारो के अभिकरणो को ई-नीलामी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था। केन्द्र सरकार ने कोल इंडिया लि0 से इच्छुक उद्यमकर्ताओ को और अनुबंध देते हुए सीएफआरआई द्वारा दिये गये प्रौद्योगिकी को लोक प्रिय बनाने तथा घरेलू खपत हेतु वैकल्पिक ईधन के उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एसएसआर तथा विकेट के उत्पादन मे दखल देने को प्रोत्साहित करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा था। उद्यम कर्त्ताओ को विशेष धूमहीन ईधन का उत्पादन करने के लिए आमंत्रित करते हुए तथा इन्हे कोयला तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त करते हुए विज्ञापनो को

प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार के आमंत्रण के अनुसरण में उद्यमकर्त्ताओ ने धूमहीन कोयला का उत्पादन करने के लिए संयन्त्रो को स्थापित किया था।

ई-नीलामी के स्कीम को गौहाटी तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयो के समक्ष चुनौती दिया गया था। गौहाटी उच्च न्यायालय ने यह धारित करते हुए स्कीम को अपास्त किया था कि इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया प्रकृति मे मनमाना था; तथा यह कि कोल इंडिया लि0 के अध्यक्ष के पास इस प्रकार का निदेश जारी करने या इस प्रकार की स्कीम को बनाने का अधिकार नही था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्कीम को वैध तथा विधि सम्मत ठहराया था।

प्रायोजन स्कीम के वैधता पर आपत्ति करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका भी दाखिल किया गया था तथा इसे यह धारित करते हुए अनुज्ञात किया गया था कि प्रायोजन व्यवस्था के आधार पर लघु वर्गीकरण भारत के संविधान का अधिकारातीत है।

तीनो उच्च न्यायालयो के निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपीलो को दाखिल किया गया था।

इस बीच ई-नीलामी के वैधता पर आपत्ति करते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई रिट याचिकाओ को दाखिल किया गया था। इन रिट याचिकाओ को इस न्यायालय को अंतरित किया गया था।

अपीलो को निपटाते हुए तथा मामलो का अंतरण करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया 1.1 ई-नीलामी के बोली लगाने वाले को कोयला के आवंटन हेतु वर्गीकरण असामयिक, अतार्किक तथा आकस्मिक है। (1010-बी.सी.)

1.2 कोयला कंपनीयों जो लोक प्राधिकरण है जब संवैधानिक स्कीम को लागू करने की माँग कर रही थी जैसा राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 तथा 1973 के प्रस्तावना मे अन्तर्विष्ट है केन्द्र सरकार के आदेश पर कार्य कर रही थी पूर्णतया स्वयं से नही। मूल्य के निर्धारण या अन्य संबंधित मामलों के संबंध मे इसलिए, केन्द सरकार ने कुछ नही कहा था। कोयला खान नियत्रंण आदेश 2000 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की शक्ति मात्र आपूर्ति को विनियमित करने के लिए है न कि कीमत को विनियमित करने के लिए, कोयला के कीमत को अविनियमित किया गया बताना होगा। ई-नीलामी कोयला के आपूर्ति हेतु नीति से संबंधित नही है। यह तत्वतः इसके लिए कीमत है। केन्द्र सरकार मामले को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोयला खान नियंत्रण आदेश के खण्ड 6 सपठित खण्ड-9 के अन्तर्गत अपनी शक्ति का तात्पर्यित रूप

से प्रयोग करते हुए ई-नीलामी द्वारा कोयला के निपटान के वेष मे कोई निदेश जारी नही कर सकता था।

(1020-ए-बी, जी-एच; 1021-ए-बी)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 बनाम डेरियस शापुर चेनई तथा अन्य (2005) 7 एससीसी 627; पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भांजी (1952) एससीआर 135 तथा मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) 1 एससीसी 405, निर्दिष्ट

1.3 कोयला आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार आवश्यक वस्तु है। कोयला खान नियंत्रण आदेश अन्य बातो के साथ आवश्यक वस्तु के अधिक मूल्य की उपलब्धता तथा साम्यापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसलिए कोयला कंपनीयो तथा केन्द्र सरकार के पास पूरा करने का संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता है। इस प्रकार एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करने वाले कोयला कंपनीयो द्वारा कोयला को समान रूप से तथा उचित कीमत पर वितरित करना आवश्यक था।

(1006-ए-जी)

1.4 ई-नीलामी के आधार पर कीमत निर्धारित नही है क्योकि यह बोली से बोली भिन्न होगा। एक मात्र कीमत जो ई-नीलामी के लिए निर्धारित है आरक्षित कीमत है जो अधिसूचित कीमत से 25 प्रतिशत अधिक है। (1007-डी, एफ)

1.5 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित तथा युक्तियुक्त कीमत का निर्धारण करते समय (यद्यपि कीमत दो गुना नही है) यह आवश्यक है कि कीमत वास्तव मे नियत है। इस प्रकार का कीमत निर्धारण इस तथ्य के दृष्टिगत आवश्यक है कि कोयला आवश्यक वस्तु है। कोयला के मूल्य का निर्धारण अत्यधिक आवश्यक है क्योकि यह गंभीर राष्ट्रीय महत्व का खनिज है। कोयला तथा परिणाम स्वरूप अन्य उत्पादो के अनुपलब्धता के कारण नागरिकां के एक वर्ग को कठिनाई हो सकती है। इसके कारण कारखानें तथा अन्य तथा अन्य उद्योगो का बंद किया जाना आवश्यक हो सकता है जिसके बदले मे राज्य राजकोष को हानि होगी, क्योकि राज्य अपने करो से वंचित हो जायेगे। इस कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों के नियोजन की हानि होगी तथा लघु उद्योगो को प्रोत्साहित करने के केन्द्र सरकार के स्वीकृत उद्देश्य के लिए हानिकारक होगा।

1.6 ई-नीलामी से गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ पर कोयला के कीमत तथा इसके उपलब्धता दोनो पर प्रभाव पड़ा है। इसकी उपलब्घता उपभोक्ताओ के सफल बोली पर निर्भर

होगा। इसे निश्चित प्रयोजन अर्थात इसे गैर कोर क्षेत्र तथा व्यापारियो तक सीमित करने के लिए आरंभ किया गया था। अधिक विस्तार तक अंतर इससे किया गया है। अब भी कोर क्षेत्र ई-नीलामी मे मांग ले रहे है, लेकिन इस निमित्त कोई कदम नही उठाया गया है। (1008-सी-डी)

1.7 ई-नीलामी कीमत का निर्धारण करने का ढंग नही है। यह एक मात्र अधिकतम कीमत प्राप्त करने का ढंग है। ऐसा करते समय राज्य को कीमत को निर्धारण के सिद्धांतो का अनुसरण नही करना होता है। इसे इसके प्रभाव के संबंध मे अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना आवश्यक नही होता है। यह कोयला को किसी अन्य वस्तु की भाँति मानता है। यह स्वयं को प्राइवेट व्यापारी की भाँति मानता है। भिन्नता को ध्यान मे रखना चाहिए जब राज्य बाजार मे एक प्रतिस्पर्धी के रूप मे सुविधा या दान को छोड़ना चाहता है तथा जब संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) के अन्तर्गत समाविष्ट इसके संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

1.8 'बाजार' व्यापक आशय का शब्द है। यह संबंधित एकाधिकार को शासित करने वाले कानून के प्रयोग तथा आवश्यक वस्तु के संदर्भ में निर्विवादित रूप से संबंधित व्यापार या प्राइवेट व्यक्ति से भिन्न आधार पर खड़ा होगा। राष्ट्रीयकरण अधिनियमो के प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए केन्द्र सरकार तथा कोयला कंपनीयो को लाभ कमाने वाले संस्था के रूप मे रूप मे सजीव कल्पना नही करनी चाहिए बल्कि कल्याणकारी राज्य के विस्तारित भुजा के रूप मे। इनसे आम आदमी के लाभ के लिए देश के व्यापार संभावना को संगत करने की अपेक्षा की जाती है। वाणिज्य या व्यापार क्रियाकलापो जारी रखने की केन्द्र सरकार की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 298 मे अन्तर्विष्ट संवैधानिक प्रावधानो से उत्पन्न होता है। इसलिए कोयला कंपनियों युक्तियुक्त कीमत का निर्धारण करने के लिए संवैधानिक बाध्यता के अधीन है। इन्हे स्वयं को निजी क्षेत्रो से अलग करना चाहिए जो एक मात्र लाभ हेतु पर पनपती है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो कोयला कंपनीयो द्वारा आवश्यक वस्तु के कीमत का निर्धारण इस रीति से करना कर्तव्य होगा जिससे आम लोगो का कल्याण हो सके। यद्यपि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (2) (ग) का प्रावधान 2000 आदेश के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कीमत के अविनियमन के दृष्टिगत कोयला के संबंध में आकृष्ट नही होता है, कोयला के कीमत के निर्धारण के प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त लक्षण को ध्यान मे रखना चाहिए। (996-जी-एच; 997-ए-सी)

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा एक अन्य बनाम गुजरात प्राकृतिक गैस उपभोक्ता संघ तथा अन्य (1990) अनुपूरक एससीसी 397; हिन्दुस्तान जिकं लि0 इत्यादि बनाम

आन्धप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य (1991), 3 एससीसी 299; डा0 पी0 नल्ला चाम्पी नेटा बनाम भारत संघ (1983) 4 एससीसी 598 तथा केरला राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मेसर्स एस0 एन0 गोविन्दा प्रभू एण्ड ब्रदर्स तथा अन्य इत्यादि (1986) 4 एससीसी 198 निर्दिष्ट

1.9 ई-नीलामी का आश्रय प्रमुख रूप से लाभ हेतु द्वारा लिया गया था। जनमत की माँग नही की गई थी तथा विशेषज्ञ समिति को नियुक्त नही किया गया था। कानूनी तथा संवैधानिक कर्तव्यो को ध्यान मे नही रखा गया था। सुविधा जनक रूप से, उक्त नीतिगत निर्णय करते समय, कोयला कंपनीयो ने स्वयं को याद नही दिलाया था कि चूकि ये राज्य के परिकरण है, ये राज्य के निर्देशक सिद्धांतो तथा प्रमुख उद्देश्य का पालन करने के लिए बाध्य है जिसके किस राष्ट्रीयकरण अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। सुशासन तथा अच्छा कार्पोरेट शासन भिन्न तथा अलग है। जबकि सुशासन का मतलब कमजोर वर्ग के लोगो की सुरक्षा करना होगा; जहां तक अच्छा कार्पोरेट शासन का संबंध है, यह अधिक सुसंगत नही हो सकता है। ई-नीलामी का आश्रय लेने मे कोयला कंपनियों ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अवधारणा को प्रभावी नही किया था। यद्यपि युक्तियुक्त लाभ अनुज्ञेय हो सकता है, मुनाफाखोरी नही होगा। (1019-बी-जी)

टी.एम.ए. पाई फाउन्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481; इस्लामिक अकेडमी आफ एजूकेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 6 एससीसी 697 तथा पी0 ए0 इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी 537, भरोसा किया गया।

1.10. राज्य जब आवश्यक वस्तु के संबंध मे मूल्य निर्धारण के अपने शक्ति का प्रयोग करता है, की भूमिका भिन्न होती है। इस प्रकार के मूल्य निर्धारण का उद्देश्य यह देखना होता है कि अंतिम उपभोक्ताओ को आवश्यक वस्तु उचित कीमत पर प्राप्त हो तथा उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादनकर्ता/उत्पादक के लाभ अतिरिक्त धनराशि को निरा न्यूनतम पर रखा जा सकता है। प्रश्न कि कैसे इस प्रकार के उचित कीमत का निर्धारण सही मायने मे किया जाना चाहिए इस मामले मे पैदा नही होता है क्योकि यहाँ केन्द्र सरकार ने कोई कीमत निर्धारित नही किया है। इसने मामला कोयला कंपनियों पर छोड़ा है। कोयला कंपनीयो ने भी ई-नीलामी का आश्रय लेते हुए कीमत निर्धारित नही किया था। इसने केवल वर्गीकरण का आश्रय लिया था जिसके द्वारा कोयला की कीमत भिन्न हो गया था। इसका एक मात्र उद्देश्य यह देखना था कि कोयले का अधिकतम संभव कीमत प्राप्त हो।

(1003-एफ-एच)

1.11. मूल्य निर्धारण का ढंग वस्तु के प्रकृति, इसे विनियमित करने वाले संबंधित कानून के प्रावधानो तथा अन्य सुसंगत कारको पर निर्भर होगा। जब कीमत का निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किया जाता है, राज्य जन आवश्यकता के सिद्धांत द्वारा विनियमित होगा। यह अपने कानूनी शक्ति के अनुसार तथा इसमे रोपित दण्ड प्रावधानो को ध्यान मे रखते हुए आवश्यक वस्तु के उत्पादनकर्त्ता या विक्रेता को इसे जन सामान्य को युक्तियुक्त कीमत पर या अलाभ पर बेचने के लिए बाध्य कर सकता है। फिर भी, अपने स्वयं के लाभ हेतु राज्य द्वारा मूल्य निर्धारित मे लाभ का तत्व होता है। जब कभी दोगुने कीमत का सहारा लिया जाता है, यह तार्किक होना चाहिए। दोगुने कीमत को निर्धारण करने के लिए फार्मूला मात्र कतिपय परिस्थितियो मे युक्तियुक्त हो सकता है।

(994-एफ-एच, 995-ए)

भारत संघ तथा अन्य बनाम हिन्दुस्तान विकास निगम तथा अन्य (1993) 1 एससीसी 467; गुजराज अंबुजा सीमेट लि0 तथा एक अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1998) 8 एससीसी 208 तथा केरला राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मेसर्स एस0 एन0 गोविन्दा प्रभू ब्रदर्स तथा अन्य इत्यादि (1986) 4 एससीसी 198, पर भरोसा किया गया।

हिन्दुस्तान जिंक लि0 इत्यादि बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य (1991) 3 एससीसी 299; वेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा एक अन्य बनाम गुजरात प्राकृतिक गैस उपभोक्ता उद्योग संघ तथा अन्य (1990) अनुपूरक एससीसी 397 तथा डॉ0 पी0 नल्ला थांपी थेरा बनाम भारत संघ तथा अन्य (1983) 4 एससीसी 598, निर्दिष्ट

1.12. कोर क्षेत्र तथा गैर कोर क्षेत्र के बीच भिन्न वर्गीकरण को ध्यान मे रखते हुए दोगुना मूल्य निर्धारण अनुज्ञेय है। फिर भी, राज्य ऐसे कीमत पर अपना दान वितरित करते हुए, यदि वस्तु के वितरण मे शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) के प्रावधान को आकृष्ट करेगा, भिन्न आधार पर खड़ा होगा। (996-एफ-जी)

पल्लवी, रिफैक्टरीज तथा अन्य बनाम एससीसीएल तथा अन्य (2005) 2 एससीसी 227 पर भरोसा किया गया।

1.13. कोयला जैसे आवश्यक वस्तु की कीमत का निर्धारण करते समय, छोटे उत्पादनकर्त्ताओ के बोली के क्षमता को भी ध्यान मे रखा जा सकता है। दिये गये स्थिति मे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने वाला न्यायालय अभिलेख पर लाये गये सामग्री के आधार पर प्रश्न का अवधारणा कर सकता हैं।

(996-डी-ई)

1.14. जहाँ तक निर्धारित या भिन्न कोयले के कीमत के निर्धारण के ढंग का संबंध है, नीतिगत निर्णय अपनाते समय, कोयला कंपनीयाँ मामले के सामाजिक तथा आर्थिक पहलू को ध्यान मे रखने के लिए बाध्य थी। ये कंपनीयां ऐसा कोई कदम नही उठा सकती थी जिससे संवैधानिक लक्ष्य विफल हो।

(1012-ई-एफ)

महावीर आटो स्टोर्स तथा अन्य बनाम इण्डियन आयल कार्पोरेशन तथा अन्य (1990) 3 एससीसी 752 पर भरोसा किया गया।

केरला राज्य विद्युत बोर्ड बनाम एस0एन0 गोविन्दा प्रभू ब्रदर्स तथा अन्य इत्यादि (1986) 4 एससीसी 198 तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा एक अन्य बनाम गुजरात गैस उपभोक्ता उद्योग संघ तथा अन्य (1990) अनुपूरक एससीसी 397 निर्दिष्ट

1.15. अनुच्छेद 39 (ख) को संसाधनो के साम्यापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के आवश्यकता को बताने के लिए संविधान में सम्मिलित किया गया था। कोयला के भारतीय उद्योगो तथा आम लोगो के लिए इस प्रकार का महत्वपूर्ण उत्पाद होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में अन्तर्विष्ट आदर्शो को साकार करने के लिए कोयले का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था (999 डी; 1000-बी-सी) कर्नाटक राज्य तथा एक अन्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी तथा एक अन्य (1977) 4 एससीसी 471; समथा बनाम आन्ध प्रदेश राज्य (1997) 8 एससीसी 191; संजीव कोक मैनूफैक्चरिंग कंपनी इत्यादि बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा एक अन्य इत्यादि (1983) 1 एससीसी 147 तथा एल अबू कबूर बाई बनाम तमिलनाडु राज्य (1984) 1 एससीसी 515, निर्दिष्ट।

1.16. जब कभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसा भारत के संविधान के भाग-4 के अधीन विचारित है मे अधिकथित प्रावधानो के अनुरूप राज्य द्वारा कार्यवाही की जाती है, इसे युक्तियुक्त कार्यवाही होना माना जाता है। (1001-सी-डी)

एम0आर0 एफ0 लि0 बनाम निरीक्षक केरला सरकार तथा अन्य (1998) 8 एससीसी 227 पर भरोसा किया गया।

बी0पी0 शर्मा बनाम भारत संघ (2003) 7 एससीसी 309; एआईआर (2003) एससी 3863; पंजाब राज्य बनाम देवांस मार्डन व्रेवरीज लि0 (2004) 11 एससीसी 26 तथा गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाव जमात (2005) 8 एससीसी 534, निर्दिष्ट

1.17. यह कहना सही नही हो सकता है कि कोई कार्यवाही जो संविधान के भाग 4 के प्रावधानो के अनुरूप नही है अधिकारातीत होगा लेकिन जो भी हो कोई संदेह नही हो सकता है कि इसमे अन्तर्विष्ट सिद्धांत आवश्यक वस्तु के मूल्य निर्धारण के संबंध मे प्रश्न का अवधारण करने हेतु सुसंगत विचार बनेगा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिक के मौलिक अधिकारो तथा कानूनी अधिकारो के निवर्चन के मार्गदर्शन का उपबंध करता है। (1002-सी-ई)

तारा प्रसाद सिंह तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1980) 4 एससीसी 179 निर्दिष्ट।

1.18. राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समाज मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये सभी क्षेत्रो मे न्यायानुसार तथा युक्तियुक्त तरीके से कार्य करेगे। (1004-सी-डी)

बाबू राव शांताराम मोरे बनाम बाम्बे हाउसिंग बोर्ड तथा एक अन्य (1954) एससीआर 572; द्वारकादास मरफतिया एण्ड सन्स बनाम बाम्बे पोर्ट न्यासी बोर्ड (1989) 2 एससीआर 751 तथा पथुम्मा तथा अन्य बनाम केरल राज्य तथा अन्य (1978) 2 एससीआर 537, निर्दिष्ट

1.19. कोयला कंपनीयाँ राष्ट्रीयकरण अधिनियम के प्रावधानो के अर्थान्तरगत इजारीदारी है। इन्हे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड (6) के प्रावधानो के अन्तर्गत इजारीदारी होना माना जायेगा (1004-एफ-जी)

अकदासी प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य (1963) अनुपूरक 2 एससीआर 691; राजस्थान राज्य बनाम मोहन लाल व्यास (1971) 3 एससीसी 705 निर्दिष्ट।

1.20. फिर भी, चूकि कोयला कंपनीयो ने ई-नीलामी के मूल स्कीम की पूर्ण अवज्ञा किया है क्योकि न केवल व्यापारीगण या गैर-क्रोड क्षेत्र के उपभोक्तागण बल्कि क्रोड क्षेत्र के उपभोक्तागण को भी इसमे भाग लेने की अनुमति दिया गया था। गैर-क्रोड क्षेत्र के उपभोक्तागण यद्यपि संबंद्ध उपभोक्तागण के रूप मे व्यापारीयो के मुकाबले पृथक तथा अलग श्रेणी बनते है, ये लोग निर्धारित कीमत पर कोयला प्राप्त करने के लाभ के हकदार नही होगे। उपभोक्ता के दोने श्रेणीयो के बीच भेदभाव के संबंध मे प्रश्न कुछ महत्व रखता है। (1018-ए-डी)

1.21. परिणाम यह है कि आज, जबकि कोर क्षेत्र (92 प्रतिशत) स्वयं तथा कोर गैर संबद्ध एसएआई/लघु इकाईयाँ (एनसीसीएफ/अन्य अभिकरणो के द्वारा) (1 प्रतिशत) निर्धारित कीमत पर कोयले की आपूर्ति कर रही है, दूसरी तरफ, गैर कोर संबंद्ध एसएआई/लघु इकाईयाँ (4 प्रतिशत) के साथ ई-नीलामी के व्यापारी नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा अभिनिश्चय किये जाने वाले

कीमत पर परवर्ती को कोयला की आपूर्ति करते हुए किसी तर्कसंगत वर्गीकरण के बिना विभेदी बर्ताव किया जा रहा है तथा इसके द्वारा याची-इकाईयों को व्यापारी के सम मूल्य पर रखा जाता है। इसलिए ई-नीलामी की स्कीम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत है।

मोहम्मद उस्मान बनाम आन्ध प्रदेश राज्य एआईआर (1971) एससी 1801, पर भरोसा किया गया।

उड़ीसा राज्य तथा अन्य बनाम हरीनारायण जायसवाल तथा अन्य (1972) 2 एससीसी 36 तथा कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी, अपने भागीदार श्री कस्तूरी लाल वार्ड सं0 4, पैलेस बार, पुंच जम्मू तथा अन्य द्वारा अभ्यावेदित बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा अन्य (1980) 4 एससीसी 1, सुभिन्न।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंद लाल जायसवाल (1986) 4 एससीसी 566; खोडे डिस्टलरीज लि0 तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य (1995) 1 एससीसी 574; रमण दयानन्द शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया तथा अन्य (1979) 3 एससीसी 489; मोटर जनरल ट्रेडर्स बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1904) 1 एससीसी 222; इन्द्रा साहनी 11 बनाम भारत संघ (2000) 1 एससीसी 168; उ0प्र0 राज्य बनाम जौहरी लाल (2004) 4 एससीसी 714 तथा ई.वी. चिनैया इत्यादि बनाम आन्ध्र्र प्रदेश राज्य तथा अन्य इत्यादि (2005) 1 एससीसी 394 निर्दिष्ट

1.22. कोयला के दुर्लभ वस्तु होने के नाते उस प्रयोजन हेतु इसकी उपयोगिता जिसके लिए यह जरूरी है मूलभूत है। यद्यपि तकनीकी रूप से, इस तथ्य के दृष्टिगत कि कोयला हेतु कोई कीमत निर्धारित नही है, शब्द में तकनीकी अभिप्राय में कोई कालाबाजारी नही हो सकता है; लेकिन यह न्यायालय सामान्य अभिप्राय मे कालाबाजारी को प्रोत्साहित नही कर सकता है। दुर्लभ वस्तु पर विचार करते समय किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ लेने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। (1025-डी-एफ)

2. यह नही कहा जा सकता है कि राज्य का नीतिगत निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन की विषयवस्तु नही हो सकता है। ई-नीलामी केन्द्र सरकार का नीतिगत निर्णय नही है। केन्द्र सरकार के कार्यपालक की ओर से इस प्रकार के नीतिगत निर्णय का अर्थ सही मायने मे भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार के शक्तियो के प्रयोग का नीति द्वारा कीमत निर्धारण से कोई लेना देना नही है। राज्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए कई कारको विशेष रूप से लोगो के व्यापक हित को

ध्यान मे रखते हुए कीमत निर्धारित करता है। इसलिए, आवश्यक वस्तु का कीमत निर्धारण जनहित के कसौटी पर किया जाता है। ऐसा करते समय राज्य से तर्कसंगत एवं उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है तथा उक्त प्रयोजन हेतु आकड़ा एकत्रित कर सकता है, जनमत प्राप्त कर सकता है तथा विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकता है। (1018-एफ-एच; 1019-ए).

3.1. धूमहीन कोयला आपरेटरो ने कोयला कंपनीयो के आदेश पर अपनी इकाईयाँ स्थापित किया था। ऐसे आपरेटरो जिसने तत्कालीन बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल मे अपनी इकाईयाँ स्थापित किया था स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रोत्साहित किये गये कंपनीयो के आदेश पर ऐसा किया था। यह छोटे उपभोक्ताओ को मुलायम कोयला की आपूर्ति करने के कोयला कंपनीयो के बोझ को साझा करने के लिए किया गया था। इसलिए, वचन अनुबंध का सिद्धान्त लागू होगा। (1021-ई-एफ)।

3.2 संबंधित राज्य भी बिक्री कर के भुगतान के आस्थगन या/तथा अधित्यजन द्वारा इस प्रकार के औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देना चाहते थे। वास्तव मे कानून के प्रावधानों के अधीन विधान या अन्यथा द्वारा इस प्रकार के औद्योगिक नीतियो को कई अन्य राज्यो द्वारा विरचित किया गया है। (1021-जी-एच; 1022-ए)

मेसर्स मोती लाल पदमपत सुगर मिल्स कं0 लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा (1979) 2 एससीसी 409; पूसामी आयल मिल्स तथा अन्य बनाम केरल राज्य तथा एक अन्य (1986) (अनुपूरक) एससीसी 728; सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर धारवाड़ तथा अन्य बनाम धर्मेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी तथा अन्य (1988) 3 एससीसी 570; मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड बनाम उपायुक्त वाणिज्यिक कर तथा अन्य (1992) अनुपूरक 1 एससीसी 21; पवन एलाय एण्ड कास्टिंग प्रा0 लि0 मेरठ बनाम उ0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य (1997) 7 एससीसी 251 तथा पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इण्डिया लि0 तथा एक अन्य (2004) 6 एससीसी 465 निर्दिष्ट

4. नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त उन मामलो मे लागू होगा जहाँ कुछ अधिकार है जिसके प्रशासन के कार्य द्वारा प्रमाणित होने की संभावना है। फिर भी, सुप्रशासन अन्य स्थितियों में युक्तियुक्तता के सिद्धांत के पालन की माँग करता हैं जहाॅ नागरिकगण से विधि सम्मत तरीके से उचित व्यवहार करने की अपेक्षा की जा सकती है। विधि सम्मत अपेक्षा का सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के संदर्भ में विकसित किया गया है।

स्ट्रेच बनाम यू. के. (2004) 38 ईएचआरआर 12 तथा राउलांड बनाम इनवायरनमेंटल एजेसी (2003) ईडब्लूसीए सिव 1885 निर्दिष्ट।

5.1 अधिकांश उपभोक्ताओं ने कोयला की आपूर्ति प्राप्त करने के विचार से अपने यथार्थता को साबित करने के लिए दस्तावेजों को दाखिल किया था। उक्त दस्तावेजों की छानबीन कोयला कंपनियों के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। इन्हे किसी आशंका होने की दशा मे संबंधित कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पूरा किया जाना चाहिए जिसके अधिकारिता में इकाई स्थित है। (1025-जी-एच; 1026-ए)

5.2 एक व्यवहार्य नीति को विकसित करने के विचार से, भारत संघ द्वारा समिति का गठन किया जाना चाहिए। जिसमे कोयला सचिव अध्यक्ष होगा। इस प्रकार के समिति मे कोयला मे तकनीकी विशेषज्ञ को भी संबंद्ध किया जाना चाहिए क्योकि अधिकांश परियोजनाओ मे कोयला के उपभोक्तागण, विशेष रूप से कठोर कोयला तथा धूमहीन ईंधन के उत्पादनकर्ता शामिल है। जहाँ तक उत्पादन के मुकाबले निवेश के अनुपात का संबंध है बकाया तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ के साथ इसमे प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों को ध्यान मे रखते हुए ज्ञात करना कठिन नही हो सकता है। पाँच वर्षो के शर्तो के अलावा एक मात्र इस प्रकार के निष्कर्ष के आधार पर, आपूर्ति को एमपीक्यू का आधार बनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार कोयला कंपनीयो के सहयोग से उस नीति को तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगा जो कोयला के उपभोक्ताओ के हित के मुकाबले जनहित के शर्तो को पूरा करेगा। ये इस प्रकार के सन्नियमों को अधिकथित करने का हकदार होगे जैसा उपयुक्त तथा उचित पाया जा सकता है। ये इसके लिए समुचित सन्नियमो को तय करने के हकदार होगे। यदि, किसी औद्योगिक इकाई को सन्नियमो का उल्लेख करता पाया जाता है, कड़ाई से निपटा जाना चाहिए (1026-ए-डी)

5.3 इसलिए केन्द्र सरकार कोयले के परिभाषा को व्यापक बनाने को उपयुक्त समझ सकता है जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपने शक्ति के प्रयोग से धूमहीन कोयला को शामिल किया जा सके। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गारा कोयले का एक हिस्सा है तथा खान एवं खनिज (विनियमन तथा विकास) के प्रावधानो द्वारा शासित है। कोयले की इस प्रकार की व्यापक परिभाषा होने के नाते, कोई कारण नही है कि क्यो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए भारत संघ द्वारा समुचित कार्यवाही नही की जा सकती है। निवारक कार्यवाही करने मे तथा अनधिकृत प्रयोजन हेतु बेईमान व्यक्तियो द्वारा कोयला का क्रय विक्रय

करने मे असली उपभोक्ताओं को ढूढ़ निकालने के लिए कोई कठोर प्रणाली लेता होगा। ऐसे लोग जो ऐसा करते है, से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नही होगा कि असली उपभोक्ताओ को कोयले के अभाव का कष्ट उठाना चाहिए।

5.5 केन्द्र सरकार तथा इस मामले के लिए कोयला कंपनीयाँ अपने नीतिगत निर्णयो के बदल सकती है, लेकिन इसके लिए मात्र लाभ हेतु से प्रति- सुभिन्न के रूप मे जनहित होना चाहिए। अकाट्य तथा वैध कारणां हेतु नीतिगत निर्णय मे कोई परिवर्तन विधि मे स्वीकार्य है, लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन को केवल तब किया जाना चाहिए जब यह वाकी से कोयला के असली उपभोक्ताओं को पृथक करने के कवायद के आरंभ करने के पश्चात आवश्यक है। यदि कोयला कंपनियाँ कोई कार्यवाही करना चाहती है ये ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो सकती है। लेकिन इसके संवैधानिक तथा कानूनी स्कीमों के शर्तो को पूरा करना चाहिए, विद्यमान स्कीम के संबंध मे भी उदाहरणार्थ खुला विक्रय स्कीम, निर्विवादित रूप से कोयला कंपनीयाँ नई नीति को बनाने के लिए स्वतंत्र होगी जो बदले हुए स्थिति का सामना करेगी। ई-विज्ञापन या ई-निविदा का स्वागत किया जाएगा लेकिन तब इसके लिए अधिक पारदर्शिता बनाये रखी जानी चाहिए। (1027-ए-सी)

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं0 5302 वर्ष 2006

रिट याचिका (सी) सं0 2460/2005 मे झारखण्ड उच्च न्यायालय राची के अंतरिम आदेश दिनांक 13.09.2005 से

के साथ

सी0ए0 सं0 5329, 5303, 5304, 5305, 5324, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5313, 5312, 5314, 5317, 5315, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323 तथा 5316 वर्ष 2006, टी0सी0 (सिविल) सं0 89, 124, 126-136 वर्ष 2005 तथा टी0सी0 (सिविल) सं0 4-5, 7-45, 75, 125, 137-139 वर्ष 2006, सी0ए0 सं0 5547 वर्ष 2004 तथा 2972-2976 वर्ष 2005, रिट याचिका (सी) सं0 67 वर्ष 2005

पक्षकारो के उपस्थित होते हुए गोपाल सुब्रम्ण्यम, ए.एस.जी.ए. शरण ए.एस.जी., ए0के0 गांगुली आलताफ अहमद, जयदीप गुप्ता, दीपांकर गुप्ता, एस0के0 बग्गा, शांति भूषण, भाष्कर गुप्ता, महावीर सिंह, के0 राधा कृष्णन, टी0आर0 अंधयारूजिया एस.डी. संजय, देवाशीष भरूका, पंकज भगत, हंस भरूका, डा0 सुशील वलवदा, राणा मुखर्जी, सिद्धार्थ गौतम, गुडविल इन्दीवर, एम0पी0झा,राम इकबाल राय, हर्षवर्धन झा, अमित महेरिया, मोहन प्रसाद महेरिया, सीरज बग्गा,

सुरेस्था बग्गा, विजन कुमार घोष, सुखेन्दु शेखर, राजीव मेहता, बी. अग्रवाल, ए. हेनरी टी अनिल कुमार मनीष शंकर वर्मा, अनुपम लाल दास, अर्जुन वी. वोवड़े, हृषीकेश बरूआ, ज्योति मेदीरत्ता, मनीष पिटाले, चन्द्र शेखर आसरी, राजेश सिंह, गौरी करूणादास, अनूगुप्ता, कमल कान्त त्रिपाठी, रूदेश्वर सिंह, आर0सी0 मिश्रा, अनिल कुमार सिन्हा, गौरव अग्रवाल, एस. चन्द्रशेखर कंचन कौर धोदी, मनोज शर्मा, पी0के0 जैन, सूर्यकान्त, के0 एल0 भाटी, ऐश्वर्या भाटी, अनिप सचथे, अजित कुमार सिन्हा, कृष्ण महाजन, सत्यकाम, नवीन प्रकाश, वी0के0 वर्मा, चेतन शर्मा, राजीव नंदा, रमणी तनेजा, बाबूजी, निशांत गुप्ता, वाणी मेहता, विमला सिन्हा, गोगपाल सिंह, श्री निवास आर खत्रप, मोहित पाल, सी, मुकुन्द, अशेक कुमार जैन, अनिमेष शाहाँ, विजय कुमार जैन, पंकज जैन, बी0वी0 सिंह, मानिक करंजा वाला, एन0डी0बी0 राजू भारती आर, एन. गणपति, गुन्तूर प्रभाकर तथा राजेन्द्र कुमार

न्यायालय का निर्णय **एस0बी0 सिन्हा, न्यायमूर्ति**

द्वारा सुनाया गया, प्रस्तावना :

सभी विशेष अनुमति याचिकाओ मे अनुमति मंजूर की जाती है।

इलेक्ट्रानिक नीलामी (ई-नीलामी) द्वारा कोयला के विक्रय हेतु कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विरचित स्कीम की वैधता तथा/या विधिकता इन अपीलो तथा अन्तरित आवेदनो मे प्रश्नगत है। "कोयला निर्विवादित रूप से देश के अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह भारत के प्रतिरक्षा नियमावली के अन्तर्गत भी विनियामक कार्यवाही की विषय वस्तु रहा था। कोयले के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति तथा मूल्य को उक्त नियमावली के अन्तर्गत विरचित कोयला खान नियंत्रण आदेश 1945 (1945 आदेश) के अन्तर्गत नियंत्रित तथा विनियमित किया जाता था। उक्त आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी था। कोयला खान नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कोयला नियंत्रक को कोयले के कोटा को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारो को आवंटित करने के लिए भी अधिकृत किया गया था; यद्यपि उक्त प्रक्रिया अब समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा इसके अन्तर्गत जारी विनियंत्रणकारी अधिसूचनाओ के दृष्टिगत प्रचलित नही है। सभी उपभोक्ताओ द्वारा अपेक्षित कोयल की गुणवत्ता तथा मात्रा को कोयला नियंत्रक द्वारा विनियमित किया जाता था। कोयला एक मात्र खनिज था जो कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसार राष्ट्रीयकरण के अधीन था। यहाँ तक कि पट्टेदारो को अनुदत्त कोयला खान पट्टो को वर्ष 1976 मे खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास)

अधिनियम, 1957 की धारा 4-ए आधार पर समाप्त किया गया था। कोयले का प्रयोग कई कोर क्षेत्रों में प्रमुख कच्चा माल के रूप में किया जाता है जो देश के अर्थव्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है उदाहरणार्थ, बिजली, इस्पात, तेल इत्यादि। इसके गुणवत्ता के संबंध मे केन्द्र सरकार द्वारा कोयले के कीमत का निर्धारण निरन्तर कानूनी आदेशो के अधीन था। इसके गुणवत्ता पर आश्रित कोयले के वर्गीकरण का निर्धारण कोयला खॉन (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत गठित ''कोयला बोर्ड' द्वारा किया जाना था। कोयले की गुणवत्ता न केवल कोयला खान के स्थान पर बल्कि विशेष दरार पर भी निर्भर हो सकता है जहां से इसका दोहन किया जाता है। अखिल भारतीय आधार पर कोयले के निर्धारित कीमत को बनाये रखने की शर्त को यथा साध्य निरन्तर देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास मे अनिवार्य माना गया था।

कोयला पर नियंत्रण :

कोयला निर्विवादित रूप से आवश्यक वस्तु है। इसके महत्व को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को अन्य बातो के साथ उचित कीमत पर आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता तथा साम्यापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। कोयला कोयला खान नियंत्रण आदेश 2000 (2000 आदेश) को ध्यान में रखते हुए आंशिक अविनियम के बावजूद अभी भी विनियमित वस्तु है।

1945 आदेश द्वारा कोयला के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण को विनियमित करने के लिए प्रावधानो को बनाया गया था। यह कोयला के श्रेणी, कोयला के ग्रेड, कोयला के आकार तथा कोयला के कीमत से संबंधित था। खण्ड (3) द्वारा केन्द्र सरकार को श्रेणी, आकार, ग्रेड इत्यादि विहित करने के लिए सशक्त किया गया था जिसमे कोयला का वर्गीकरण तथा उक्त आधार पर इसका विशिष्टीकरण किया जा सकता है।

जबकि कोकिंग कोयला मे गर्म करने पर फूलने का अन्तनिर्हित गुण होने के नाते इसका मूलतः प्रयोग इस्पात के उत्पादन हेतु इस्पात संयन्त्र मे धातुकर्मीय प्रयोजन हेतु किया जाता है, कोयला की अन्य सभी श्रेणीयाँ कोकिंग कोयला नही है। नान-कोकिंग कोयला का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया मे कच्चे माल के रूप मे जैसे सीमेंट, ग्रेफाइट, मुलायम कोक, घरेलू ईधन तथा विभिन्न उत्पादो के उत्पादन हेतु किया जाता है जैसे- ग्लास, खाद्यप्रसंस्करण, चीनी मिट्टी, रसायन, रि-रोलिंग मिल्स, लवण काचित शिलाखण्ड, पाइप, इस्पात निर्माण हेतु प्रयुक्त उच्चतापसह। कोयला के विभिन्न आधारो को अन्य बातो के साथ 'खान के कुण्ड' 'वाष्प'

तथा कोयला के चूरा के रूप मे जाना जाता है। कोयले की कीमत न केवल ग्रेड के संदर्भ मे बल्कि आकार तथा कोकिंग कोयला खान या कोयला खान जैसी भी स्थिति हो मे स्थित दरार पर भी निर्भर होता है।

फिर भी, 1945 आदेश के खण्ड 12बी तथा 12ई का अवलंब केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाओं को जारी करते हुए लिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप कोयले के कीमत तथा वितरण पर नियंत्रण को वापस लिया गया था। फिर भी, धातुकर्मीय उद्योगो के लिए प्रयुक्त कोकिंग कोयला पर पूर्ण विनियमन को प्रतिधारित किया गया था।

कोयला के कीमत तथा वितरण के संबंध मे कई अधिसूचनाएँ जिसके कारण विनियमन समाप्त किया गया था समय-समय पर जारी किया गया था। कोयला के वितरण तथा कीमत को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया गया था। 05.01.1991 को परिपत्र जारी किया गया था कि कोल इंडिया 5,000 मीट्रिक टन प्रतिमाह तक कोयला निर्वाधन/अनुबंध जारी कर सकता है। अधिसूचना दिनांक 23.02.1996 द्वारा, कोयला के कुछ ग्रेड की कीमत, वितरण को विनियमन से अलग किया गया था जबकि इसे 12.03.1997 को कोयला के कतिपय अन्य ग्रेडो तक विस्तारित किया गया था। स्पष्टीकरण जारी किया था कि कोयला कंपनीयाँ समय-समय पर उत्पादित कोयला हेतु प्रभारित किये जाने वाले कीमत का निर्धारण कर सकती है।

01.01.2000 को तथा से 1945 आदेश को कोयला खान नियंत्रण आदेश 2000 (2000 आदेश) द्वारा निरसित तथा प्रति स्थापित किया गया था, जिसके अनुसार कोयला पर नियंत्रण तथा विनियमन जैसा 1945 आदेश के अन्तर्गत अभिभावी था, को समाप्त किया गया था। उक्त आदेश के अनुसार कार्य जहाँ तक कोयला के वर्गीकरण, कोयला के निपटान, केन्द्र सरकार मे निहित स्टाक का संबंध है, जबकि कोयला नियंत्रक को गुणवत्ता के निगरानी की शक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के आधार पर, फिर भी केन्द्र सरकार ने कोयला नियंत्रक, द्वारा किये जाने वाले कतिपय अन्य कानूनी शर्तो के अलावा कोयला के स्टाक के निपटान को विनियमित करने हेतु निदेशो को जारी करने की शक्ति रखा था।

कोयला का राष्ट्रीयकरण :

कोकिंग कोयला खान तथा कोयला खान कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 (संक्षेप मे 1972 अधिनियम) तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 (संक्षेप मे 1973 अधिनियम) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीयकरण के अधीन था। उक्त अधिनियम, जैसा इसके धारा 2 से प्रतीत होता है, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) के प्रावधानो

को कार्यान्वित करने के विचार से अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियमो के अन्तर्गत, कोकिंग कोयला खान तथा कोयला खान दोनों उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार मे निहित थे।

दोनो राष्ट्रीयकरण अधिनियमो की प्रस्तावना एक ही रीति मे है। 1973 अधिनियम का प्रस्तावना कहता है कि "इस प्रकार के संसाधनो का नियंत्रण राज्य मे निहित है तथा इसके द्वारा इस प्रकार वितरित है जैसा सर्वोत्तम रूप से आम लोगो के कल्याण मे सहायक हो सके। उक्त कानूनो के आधार पर, कोयल कम्पनियों ने न केवल कोकिंग कोयला खानों तथा कोयला खानों को प्राप्त किया था बल्कि कोयला मे व्यापार भी जारी रखे हुए है, ये एकाधिकार चरित्र का आनंद उठाते है।

यह भी विवादित नही है कि कोर क्षेत्र तथा गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं दोनों से कोयला की भारी माँग थी।

फिर भी, केन्द्र सरकार ने समुचित अधिसूचनाओं को जारी किया था जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत उक्त दोनो कोयला खान 1972 अधिनियम तथा 1973 अधिनियम के निबंधनो के अनुसार केन्द्र सरकार मे निरन्तर निहित होने के बजाय इसमे विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनीयो मे निहित थी जो इसमे पक्षकारगण है।

अनुबंध :

कोयला के राष्ट्रीयकरण के बाद, उपभोक्ताओ को दो प्रमुख क्षेत्रों मे वर्गीकृत किया गया था अर्थात्, कोर क्षेत्र तथा गैर कोर क्षेत्र। अनुवंध प्रणाली सर्वसम्मति से प्रथम प्रक्रम पर कोर क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था। वर्ष 1993 में खाली अनुबंध समिति को तापीय विद्युत स्टेशनो को कोयला की आपूर्ति के लिए स्थापित किया गया था।

अनुबंध उक्त वर्ष मे संकल्प सं0 सीआई-21 (20/73) दिनांक 19.11.1973 के निबंधनो के अनुसार सीमेंट तक विस्तारित किया गया था। संकल्प दिनांक 06.01.1973 के निबंधन के अनुसार वर्ष 1973 मे कोयला के अनुबंध हेतु स्कीम आरंभ किया गया था, जिसके द्वारा, अन्य बातो के साथ स्थायी अनुबंध समिति जिसमे इसमें विनिर्दिष्ट सदस्यगण शामिल थे, स्थापित किया गया था, जिसका सुसंगत प्रावधान निम्नवत पठित हैं;

> "सं0 सीआई-21 (2)/72 - भारत सरकार विगत कुछ समय से विभिन्न विद्युत स्टेशनो का समुचित मात्रा के ईधन के आपूर्ति करने के आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तापीय विद्युत स्टेशनो को कोयला आपूर्ति के योजना हेतु तथा इसी समय कोयला के

उत्पादन तथा परिवहन हेतु उपलब्ध क्षमता का अधिक से अधिक किफायती उपयोग करने के लिए स्थायी अनुबंध समिति के गठन के प्रश्न पर विचार कर रहा है ....''

समिति के संदर्भ का निबंधन निम्नवत था :-

"(1) विद्यमान तापीय विद्युत स्टेशनो के कोयला जरूरतो की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए तथा निम्न को ध्यान में रखते हुए कच्चा कोयला आपूर्ति हेतु कोयला खानो के साथ तथा मिडलिंग के आपूर्ति हेतु बाशरीज के साथ तर्कसंगत अनुबंध स्थापित करने के लिए :

(क) निकटतम स्रोत से योजनाबद्ध तथा उपलब्ध कोयला उत्पादन की क्षमता जो रेल परिवहन को शून्य करेगा या कम से कम करेगा।

(ख) विद्युत स्टेशनो द्वारा अपेक्षित कोयला की गुणवत्ता

(ग) रेल तथा परिवहन के अन्य साधनो की उपलब्धता तथा

(घ) कोयला के खपत का पैटर्न

(2) पहले से निर्माणाधीन तापीय विद्युत स्टेशनो हेतु कोयला के आपूर्ति की योजना बनाने तथा इन्हे कोयला आपूर्ति के स्रोतो से जोड़ना

(3) कोयला उत्पादन हेतु अतिरिक्त क्षमता के विकास तथा योजना के संबंध मे समय समय पर सलाह देने के लिए जिसे विभिन्न क्षेत्रो मे भावी तापीय विद्युत विकास कार्यक्रमो को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कोयला क्षेत्र मे विकसित किया जाना चाहिए।

(4) इस विस्तार तक समय-समय पर जांच करना जहां तक विद्युत स्टेशनो के बीच अनुबंध पहले से स्थापित है तथा कोयला आपूर्ति के स्रोतो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा उन कदमो के बारे मे सुझाव देना जो इनके समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

(5) कोयला के किफायती आपूर्ति के संभावना को ध्यान मे रखते हुए नये तापीय विद्युत संयंत्रो के स्थापित करने के व्यवहार्यता पर सरकार को परामर्श देगा।

(6) उन सभी मामलो की जाँच करना जो कोयला क्षेत्रों के साथ विद्युत स्टेशन के अनुबंधो मे बदलाव के संबंध में खान मंत्रालय, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय या योजना आयोग द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया जा सकता है तथा इस प्रकार के मामले मे उपयुक्त तरीके से सरकार को परामर्श देना।

3. समिति को सामान्यतया तीन माह मे एक बार बैठक करना चाहिए। खान मंत्रालय समिति को अपेक्षित सचिवीय सहायता उपलब्ध करायेगा।

"यह कि राष्ट्रीयकरण के बाद, कोयला उपभोक्ताओ को दो प्रमुख क्षेत्रो अर्थात् कोर क्षेत्र तथा गैर कोर क्षेत्र मे वर्गीकृत किया गया था। कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ मे आधार भूत संरचना विकास से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है, उदाहरण के लिए, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, प्रतिरक्षा, उर्वरक, रेलवे, कागज, अल्यूमिनियम, निर्यात, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि। सभी अन्य बाकी उद्योगो /उपभोक्ताओ से गैर-कोर क्षेत्र बनता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो के उत्पादन तथा प्रेषण मे विकास में तुलना को प्रदर्शित करने वाली सारिणी से कोयला के उत्पादन मे चमत्कारिक वृद्धि प्रदर्शित होता है तथा विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में कोयला प्रेषण मे आनुपातिक वृद्धि निम्नवत है :

1974-75 मे कोयला खान प्राधिकरण लि0 तथा 2004-05 मे कोल इंडिया लि0

से तुलनात्मक कोयला प्रेषण

उत्पादन **(लाख टन मे आंकड़ा)**

मद	1974-75 मे सीएमएएल से	2004-05 मे सीआईएल से
कोयला उत्पादन	78.99	323.88
कोयला प्रेषण	72.83	319.12

कोयला प्रेषण का क्षेत्रवार विघटन

मद	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
विद्युत	20.16	27.66	249.26	78.11
इस्पात सीपीपी	1.22	1.67	6.427	2.01
इस्पात संयन्त्र	8.71	11.95	5.654	1.77
लोको	12.82	17.59	0.00	0.00
सीमेंट (सीमेंट सीपीपी सहित)	3.48	4.77	10.043	3.15
उर्वरक	0.95	1.30	2.150	0.67
निर्यात	0.528	0.72	0.021	0.01
कागज	1.297	1.78	2.016	0.63
अन्य	23.67	32.55	43.55	13.65
कुल	72.83	100.00	319.12	100.00

आबद्ध विद्युत संयंत्र (सीपीपी) को छोड़कर

अनुबंध स्कीम कोर तथा गैर कोर क्षेत्र दोनो पर लागू होता है। कोर क्षेत्र द्वारा कोयले की खपत में लगलग 94.61 प्रतिशत शामिल है, जबकि गैर कोर क्षेत्र कोयले के कुल उत्पादन का लगभग 5.4 प्रतिशत खपत करता है।

गैर कोर क्षेत्र का अनुबंध :

गैर कोर क्षेत्र मे क्रेतागण को तीन श्रेणियां में बाटा जा सकता है, अर्थात् ऐसे क्षेत्र जो धूमहीन ईधन या विक्रेट का उत्पादन करते हैं, ऐसे क्षेत्र जो ग्लास जैसे वस्तु का उत्पादन करते हे, जिससे संबंध में इसके पहले संदभ किया गया है तथा ऐसे क्षेत्र जो कठोर, कोक का उत्पादन करत है। हमारे समक्ष कुछ अपीलार्थीगण भी ब्यापारी है।

गैर कोर क्षेत्र द्वारा कोयला के भारी मांग को ध्यान मे रखते हुए, अनुबंध प्रणाली को गैर कोर उपभोक्ताओं के लिए भी चालू किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला को ले आने तथा ले जाने के संभारतंत्र का संबंधित उद्योगो द्वारा अपेक्षित कोयला के गुणवत्ता सहित कई कारको को ध्यान में रखते हुए नवम्बर 1978 मे इस प्रकार के प्रणाली को तैयार किया था।

कोयला का उक्त अनुबंध : (i) कोयले की उपलब्धता ; (ii) राज्य द्वारा प्रमाणित प्रत्येक उद्योग के संबंध मे इनकी अपेक्षाओं तथा (iii) कोयले का परिवहन करने के लिए रेलवे की क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाना था।

जब कभी आवंटन किया जाता है, कोयला तथा कोयला खान की मात्रा तथा गुणवत्ता जिससे इसे उठाया जा सकता है, अनुबंध परामर्श पत्र मे उल्लेख किया जाता है, जिसका नमूना प्रति निम्नवत है :

" कोल इंडिया लिमिटेड

विपणन संभाग

15. पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता- 700016

संदर्भ सं0 सीआईएल/सी4ए/48912/ दिनांक :

सेवा में :

मेसर्स________ (कोयला/कोक आपूर्ति का विनियमन एमओसी/सीआईएल के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार किया जायेगा।

स्थान/ गन्तव्य

प्रिय महाशय

विषय : *अनुबंध परामर्श पत्र*

संदर्भ : *कोयला/कोक अनुबंध हेतु आकड़ा पत्र मे आपका आवेदन*

कृपया कोयला/कोक के अनुबंध के मंजूरी हेतु आकड़ा पत्र मे अपने आवेदन को निर्दिष्ट करे।

''अंतिम अनुबंध परामर्शपत्र" के विवाद्य हेतु आपके आवेदन को सीआईएल मे प्राप्त किया गया है। आपके स्थापित इकाई का विवरण जो ज्वलन उपकरण/भट्ठी/योजना तथा मशीनरी के सं0, परिमाप, विनिर्देशन, क्षमता इत्यादि का संकेत देता है को प्राप्त किया गया है।

सुसंगत सूचना के आधार पर, कोयला का अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा (एमपीक्यू) जिसकी खपत आपके इकाई/संयंत्र द्वारा की जा सकती है को लिखा गया है तथ निम्न के अनुसार आपके इकाई हेतु अंतिम अनुबंध को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रेड

आकार

परिवहन का ढंग

कोयला कंपनी

क्षेत्र

संपर्क कार्यालय

अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा (एमपीक्यू)/माह

फिर भी, कोयले की आपूर्ति संबंद्ध कोयला कंपनी द्वारा संबंधित प्रायोजन करने वाले प्राधिकारी से वार्षिक प्रायोजन/सिफारिश के आधार पर किया जायेगा।

कोयला का अनुबंध उन शर्तो के अधीन होगा जैसा नीचे/पन्ने के दूसरी ओर उल्लिखित है।

आपका स्वामिभक्त

उप मुख्य विक्रय प्रबंधक (अनुबंध) कोल इंडिया लि0 (मुख्यालय) इस प्रकार के अनुबंध की कुछ शर्ते जो हमारे प्रयोजन हेतु सुसंगत है निम्नवत है :

"1. अनुबंध ''कोयला के स्टाक के निपटान" को विनियमित करने वाले समुचित सक्षम प्राधिकारी के समय-समय पर निदेशो- यदि कोई है के अनुसार तथा उपलब्धता के अधीन इकाई को कोयले की आपूर्ति हेतु संबंद्ध कोयला कंपनी को मंजूरी है। अनुबंध किसी विशेष कोयला कंपनी/कोयला क्षेत्र/स्रोत/ग्रेड इत्यादि से कोयला का दावा करके के सबंद्ध इकाई हेतु किसी अधिकार को साबित नही करता है।

4. अनुबंध के विरूद्ध आवंटित कोयला संबंद्ध इकाई में वास्तविक खपत के लिए है तथा भारत सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व लिखित सहमति के सिवाय अन्य को दिया या बेचा नही जा सकता है।

9. "अनुबंध" रद्दकरण के अधीन है यदि :-

(क) इसमे अन्तर्विष्ट निबंधनो तथा शर्तो का कोई उल्लंघन किया जाता है।

(ख) आकड़ा पत्र में दिया गया आकड़ा गलत/छिपाया गया पाया जाता है।

(ग) उठाये गये कोयला, खपत कोयला तथा कोयले के स्टाक का पता चलने के बीच कोई फर्क

10. "अनुबंध" के शर्तो मे परिवर्तन किया जा सकता है जैसा समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।

कोल इंडिया लि0 से गैर कोर क्षेत्र अनुबंधो के आरम्भ होने के पहले कोयला प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओ को पांरपरिक रूप से संबंद्ध उपभोक्ताओ के रूप मे वर्गीकृत किया गया था तथा विगत प्रवृत्ति पर आधारित इसके सहायक कंपनीयो से कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी तथा 1978 के बाद के अवधि मे नये संबंद्ध उपभोक्ताओ के सममूल्य पर माना गया था। फिर भी, अनुबंध के शर्तो को समान रूप से इनके लिए प्रयोज्य बनाया गया था। 1982 मे कोयला के वितरण हेतु प्रक्रियाओ के सरलीकरण के प्रक्रिया के एक भाग के रूप मे गैर कोर अनुबंध समिति का गठन कोल इंडिया लि0 द्वारा किया गया था।

कोयला के आपूर्ति की मात्रा आरंभ मे प्रायोजन करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रायोजन पर निर्भर रहा करता था। प्रायोजन रेल द्वारा कोयले के लाने ले जाने हेतु अवश्यक था। अधिमानी यातायात अनुसूची जिसमे अधिकारियों/ अभिकरणो की सूची का उपबंध है जिन्हे प्रायोजन करने के लिए अधिकृत किया गया था। प्रायोजन अभिकरण उपभोक्ता के आवश्यकताओ तथा इसके आकार तथा आपूर्ति के ढंग पर निर्भर रहते हुए कोयला के मात्रा की सिफारिश किया करते थे। इस प्रकार के प्रायोजन पर आधारित तथा कोयले की उपलब्धता सहित अन्य कारको पर विचार करते हुए, विशेष गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ता को आपूर्ति किये जाने के लिए आवश्यक कोयले के मात्रा का निर्धारण किया जाता था। उपभोक्ता के प्रायोजन तथा योजन क्षमता के बाद भी रेलवे के पास अपनी स्वयं की अधिकतम सीमा थी जिसे कोयला आपूर्ति के मात्रा के निर्धारण मे पर्याप्त रोक तथा संतुलन उपलब्घ कराने के विचार से बनाया गया था। सड़क तथा अन्य रीति से कोयला आपूर्ति के मात्रा के निर्धारण हेतु प्रायोजन को उपर्युक्त प्रणाली

अपनाई गई थी। फिर भी यह विवादित नही है कि संदत्त किये जाने वाले कोयले की कीमत कभी अनुबंध व्यवस्था का हिस्सा नही था।

1998 तक राज्य अधिकारियो से कोल इंडिया लि0 द्वारा अकेले इकाईयो द्वारा अपेक्षित कोयले की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था जिसका मामला इन लोगो द्वारा प्रायोजित किया जाता था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मामले थे जहाँ इस प्रकार का मूल्यांकन नही किया गया था या भले ही किया गया था, इसे सरसरी तौर पर किया गया था। परिणाम स्वरूप, कोल इंडिया लि0 ने अपने तकनीकी समितियो द्वारा परिमाणात्मक मूल्यांकन आरंभ किया था तथा अपने अनुबंध परामर्श पत्र मे उद्योग के लिए कोयला आवश्यकता के मात्रा का उल्लेख करते हुए आरंभ किया गया था। तत्पश्चात, संचलन हेतु रेलवे द्वारा अधिरोपित किसी अधिकतम सीमा के अभाव मे कोयले की उपलब्धता, परिवहन क्षमता तथा वास्तविक खपत पर सम्यक् ध्यान दिये बिना राज्य प्रायोजन करने वाले अधिकारियो की ओर से भेदभाव पूर्ण तरीके से प्रायोजन जारी करने की प्रवृत्ति देखी गई थी। इसके दृष्टिगत तथा विवरणो के संबंध मे अपर्याप्त ध्यान के कारण, वास्तविक उपलब्धता से कई गुना अधिक होने के नाते कुल संबंद्ध मात्रा के साथ अंधाधुंध अनुबंध अनुदत्त दिया जाता था। संबंद्ध माँग तथा कोयले के उपलब्धता के बीच वेमेल को कम से कम करने के लिए अनुबंध शर्तो के अनुसार कदम उठाया गया था तथा संबंद्ध मात्रा को संबंद्ध गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ के संबंध में कम किया गया था जो कोयला के पूर्ण संबंद्ध मात्रा को प्राप्त नही कर रहे थे। चूकि मात्रा प्रतिबद्धता सम्पूर्ण मात्रा के उपलब्धता के अधीन था जिसके लिए अनुबंध अनुदत्त करवाया गया था, यह कई गुना उपलब्धता से अधिक था। उदाहरण के लिए, वर्ष 2000 के दौरान एक मात्र उद्योगो के लिए प्राप्त कुल प्रायोजन लगभग 6000 वैगन प्रतिदिन लिखा गया था जिसमे एक मात्र उ0 प्र0 का हिस्सा लगभग 5300 वैगन प्रतिदिन था। दूसरी तरफ, कोल इंडिया लि0 द्वारा गैर कोर क्षेत्र के लिए कुछ लोडिंग वैगन लगभग 1300 वैगन प्रतिदिन था। अनुबंध के इस प्रकार के काल्पनिक अनुदत्त किये जाने को संतुलित करने के लिए एमपीक्यू (अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा) की अवधारणा, जो तीनो पहले के किसी कैलेन्डर वर्ष मे संबंद्ध उपभोक्ता द्वारा अधिकतम वैध आदेश बुकिंग के रूप मे परिभाषित है को चालू किया गया था। इसके अलावा, अन्य शर्ते थी जिसके अन्तर्गत कोयले के गैर प्राप्ति के अवधि या अपयोजन /दुरूपयोग पर निर्भर होने के नाते अनुबंध को समाप्त या छीना जा सका था। यह कि कोयले के लाभ प्रद वृद्धि दर के बावजूद, कोर क्षेत्र विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र हेतु माँग आश्चर्य जनक दर पर बढ़ा

था। दूसरी तरफ, कुल मात्रा जिसके लिए, अनुबंध अनुदत्त किया गया था उपलब्धता से काफी अधिक बढ़ गया था।

अपने वर्तमान रूप मे अनुबंध प्रणाली के कारण यह स्थिति पैदा हुई जहाँ गैर कोर क्षेत्र अनुबंध उपभोक्ताओ के सबंध मे परिमाणात्मक माँग सहायक कंपनीयो मे कोयला उपलब्धता से अधिक बढ़ गया था। अभिकथित रूप से, कोयले के माँग तथा उपलब्धता के संबंध मे इस वेमेल के कारण, कोल इंडिया ने गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ को नया अनुबंध देना रोक दिया था। इसी प्रकार, उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों के आलोक मे छीने गये/ समाप्त अनुबंध के पुर्न प्रवर्तन को भी रोक दिया गया था। इस प्रकार चूंकि गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताआें के लिए 2001 के बाद नया अनुबंध अनुदत्त नहीं किया जा सका, उपभोक्तागण जिनके पास अनुबन्ध नहीं था, अधिक कीमत पर चोर बाजार से कोयला खरीदने के लिए बाध्य थे। ऐसे उपभोक्तागण जिनके पास अनुबंध था गौण बाजार पर निर्भर रहना पड़ा था यदि ये कोयला के मात्रा के आपूर्ति मे वृद्धि चाहते थे। गौण बाजार मे अधिक अधिमूल्य कीमत होने से संबंद्ध गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्तागण राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों से अधिसूचित कीमत पर इसे खरीदने के बाद खुले बाजार मे अनाधिकृत उपयोजन/विक्रय हेतु लोभ मे थे।

6 जून, 2001 को, कोल इंडिया लि0 ने निदेशक बोर्ड के बैठक मे विक्रेन्द्रीकरण को कार्यान्वित किया था तथा प्रभारित किये जाने कीमत सहित गैर कोर क्षेत्र को कोयले की विक्री हेतु प्रत्येक समनुवंगी कम्पनियों को अपनी स्वयं की नीतियाँ तय करने के लिए अधिकृत किया था। यह उल्लेखनीय है कि 01.01.2000 को, कोयला अविनियमित वस्तु हो गया था, अर्थात इसके कीमत को केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित नही किया जा सका तथा तत्पश्चात, कोल इंडिया लि0 जो इसके कीमत का निर्धारण करने का हकदार हो गया था। आगे यह तय किया गया था कि नया अनुबंध जारी नही किया जायेगा। प्रायोजन के प्रणाली को भी रोक दिया गया था।

यह विवादित नही है कि संबंद्ध उपभोक्तागण कोयले के सम्पूर्ण मात्रा के प्राप्त नही सके जो इनके द्वारा अपेक्षित था

एमपीक्यू प्रणाली के आरंभ होने के बाद गैर कोर क्षेत्र का दी गई कोयले की सम्पूर्ण मात्रा भिन्न थी तथा कोयले की आपूर्ति संबंधित उद्योगो द्वारा किये गये माँग के 45 प्रतिशत से 75 प्रतिशत मे था।

कोयले का इस प्रकार का आवंटन माहवार हुआ करता था।

फिर भी, उक्त अनुबंध प्रणाली आवश्यक रूप से प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजन पर निर्भर थी। अपने प्रतिशपथ पत्र के पैरा 27 मे भारत संघ का कहना है :

"यह कि कोयला आपूर्ति के मात्रा का निर्धारण आरंभ मे प्रायोजन अधिकारियों द्वारा प्रायोजन पर आधारित था। प्रायोजन रेल द्वारा कोयले के संचलन हेतु अनिवार्य था। अधिमानी यातायात अनुसूची मे उन अधिकारियों/ अभिकरणां की सूची उपबंधित है जिन्हे प्रायोजन के लिए अधिकृत किया गया था। उक्त प्रायोजन अभिकरण उपभोक्ता के मात्रा आवश्यकता तथा कोयले के आकार एवं आपूर्ति के ढंग की सिफारिश करेगा। इस प्रकार के प्रायोजन पर आधारित तथा कोयला के उपलब्धता सहित अन्य कारको पर विचार करते हुए, विशेष गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ता को आपूर्ति किये जाने वाले कोयले की मात्रा का निर्धारण किया गया था। उपभोक्ता के सबंद्ध क्षमता तथा प्रायोजन के बाद भी, रेलवे की अपनी स्वयं की अधिकतम सीमा थी जो कोयला आपूर्ति के मात्रा के निर्धारण मे पर्याप्त रोक तथा संतुलन उपलब्ध कराने के विचार से था। प्रायोजन के उपर्युक्त प्रणाली को सड़क तथा अन्य ढंग द्वारा कोयला आपूर्ति के मात्रा के निर्धारण हेतु अपनाया गया था।

अनुबंध प्रायोजन तथा नये विक्रय नीति का अभिकथित दुरूपयोग :

यद्यपि अनुबंध तथा प्रायोजन अस्तित्व मे आया था, अनुबंध के उक्त प्रणाली के दुरूपयोग को दृष्टिगत रखते हुए तात्पर्यित कोयला खान नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत 25.06.1992 को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया गया था।

फिर भी, अनुबंध प्रणाली जारी था जहाँ तक उद्योग जिसे उक्त लाभ दिया गया था का संबंध है। फिर भी, विद्यमान संबंद्ध उपभोक्ताओ के यथार्थता या अन्यथा हेतु आवश्यकता पुनः महसूस की गई थी जिसके लिए सत्यापन प्रक्रिया आरंभ किया गया था।

यह विवादित नही है कि स्वयं कोयला कंपनीयो द्वारा 13.10.2001 को निर्णय लिया गया था कि गैर कोर क्षेत्र मे मूल्य वृद्धि को एक वर्ष के अवधि मे एक से अधिक बार कार्यान्वित नही किया जा सकता है।

गैर कोर क्षेत्र के लिए नये विक्रय नीति को निबंधनो में आरंभ किया गया था जिसके बारे में यह उल्लेख किया गया था कि नये अनुबंधों द्वारा लंबे अवधि की प्रतिबद्धता उचित नही हो सकती है। सिद्धान्ततः एमपीक्यू जैसा तब था के स्तर को निर्बन्धित करते हुए असली उपभोक्ताओ का पता लगाने के प्रयोजन हेतु सत्यापन पूरा किया जाना था। फिर भी, 28.01.2003 को, यह निर्णय भी लिया गया था कि खुली विक्रय स्कीम कोर क्षेत्र तथा संबंद्ध /

प्रायोजित उपभोक्ताओ के आपूर्ति को प्रभावित नही करेगा। फिर भी, केन्द्र सरकार के अभिकरणो तथा राज्य सरकार के अभिकरणो के संबंध मे अपवर्जन किया गया था जिसके अनुसरण मे या जिसको अग्रसर करने मे एनसीसीएफ के अलावा, विसको माउन जैसे राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार तथा झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम को अधिसूचित मूल्य के 20 प्रतिशत अधिक पर कोयला आपूर्ति का हकदार बनाये जाने का निदेश दिया गया था।

23.08.2001 को अन्य बातो के साथ ओएसएस कीमत तथा संबद्ध उपभोक्ताओ के कीमत के बीच अंतर को दूर करने के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। यह सिफारिश किया गया था कि कोयला कंपनीयो को उपनति चैनल नेटवर्क स्कीम का प्रसार करना चाहिए जिससे बाजार हितैषी के दो उद्देश्यो को प्राप्त किया जा सके तथा इसी समय इनके सर्वोत्तम राजकोषीय हित को सुनिश्चित किया जा सके।

अनुबंध के दुरूपयोग को रोकने के लिए, संबद्ध उपभोक्ताओ के इकाईयो का सत्यापन आरंभ किया गया था। इस प्रकार क सत्यापन के परिणाम स्वरूप, यह अभिकथित रूप से पाया गया जैसा प्रति शपथ पत्र मे दिये गये निम्न कथन से प्रतीत होता है :

> ''यह कि कोल इंडिया लि0 के नये कोयला विक्रय नीति के संबंध में 21.03.2002 को कोयला तथा खान मंत्री द्वारा लिये गये बैठक के विवरणो की प्रति अन्य के साथ निदेशक (विपणन) कोल इंडिया लि0 के साथ कोल इंडिया लि0 के समनुषंगी कंपनीयो के अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक को अग्रेषित किया गया था। विवरणो मे यह उल्लेख था कि संबद्ध इकाईयो की कुल संख्या 7015 थी जिसमे से 2217 के अनुबंध को छीना गया था। यह कि इस तिथि तक इकाईयो की कुल संख्या जिनका वैध अनुबंध था 4798 थी जिसमे से 3317 इकाईयो का सत्यापन राज्य सरकार/प्रायोजन करने वाले अभिकरणो द्वारा या कोयला कम्पनियों के आन्तरिक सतर्कता इकाईयो द्वारा किया गया था। जबकि 3064 को अस्तित्व मे होना बताया गया था, 253 इकाईयो को या तो अविद्यमान या कार्य चलन न करने वाला पाया गया था। यह आगे बताया गया कि कोयला कंपनी वार समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि ऐसे मामलो मे जहाँ कोयला कम्पनियों के सतर्कता विभागो ने इकाईयों का सत्यापन किया था, लगभग 40-50 प्रतिशत इकाईयो को या तो अविद्यमान या कार्यचलन न करने वाला पाया गया था। दूसरी तरफ, राज्य सरकार/प्रायोजन करने वाले अभिकरणो ने 90 प्रतिशत से अधिक सत्यापित इकाईयो को

अस्तित्व मे होना बताया था। कोयला कम्पनियों का सत्यापन सतर्कता द्वारा कराये जाने की सलाह दी गई थी। - ''

मामले पर नये सिरे से विचार करने की दृष्टि से कोयला तथा इस्पात पर स्थायी समिति की बैठक (2004-2005) हुई थी जिसमे यह संकल्प लिया गया था :

"6.5... समिति ने यह भी नोट किया कि जैसा सचिव, कोयला विभाग द्वारा स्वीकृत है, व्यापार मे 4000 छुटपुट उद्योग है जिसमे से कुछ जाली कंपनियाँ हो सकती है जो कोयले का उपयोग नही करती है तथा इसका कालाबाजारी करती है। समिति ने महसूस किया कि व्यापक आशंका है कि जाली कंपनीयाँ कोयला के परिवहन तथा कालाबाजारी मे कार्य कर रही है इसके द्वारा कोयला क्षेत्र को अत्यधिक हानि पहुँचा रही है अंततोगत्वा देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। समिति ने आगे नोट किया कि कोयले की गुणवत्ता अनुबंध के प्रभावशाली क्रियान्वयन से गहराई से संबद्ध है। समिति यह उल्लेख करने मे घबड़ाता है कि कोयला कोटा प्राप्त करने वाले 8000 छुटपुट उद्योगो मे से 4000 इस प्रकार के उद्योग जिन्हे जाली बताया गया था, को कोयला विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण के बाद समाप्त कर दिया गया था। इसलिए समिति ने मजबूती के साथ सिफारिश किया कि कोयला विभाग को कोयला परिवहन संविदा के पंचाट मे सक्रिय तथा सुधारात्मक निर्णय लेना चाहिए। विभाग को जाली कम्पनियां की पहचान करने तथा छाटने का कवायद भी आरंभ करना चाहिए जो कोयला के कालाबाजारी के धन्धे में है। समिति ने आगे सिफारिश किया कि कोयला विभाग को कोयला अनुबंध के सम्पूर्ण सप्तक पर नये सिरे से विचार करना चाहिए तथा साफ सुथरी नीति के साथ बाहर आना चाहिए। समिति इस संबंध मे कार्यवाही के बारे मे अवगत कराना चाहेगा।' '

कोयला कम्पनियां के अनुसार, फिर भी अविद्यमान इकाईयो द्वारा कोयला के माँग की बीमारियां तथा या संबद्ध इकाईयो के अपेक्षा के अतिरिक्त कोयले की माँग का कुछ व्यापारीयों के हाथों कोयले के खरीद के संकेन्द्रण के संबंध मे उठाये गये इस प्रकार के कठोर कदमो के बावजूद अपने पूरे समाधान पर कार्य नही किया था।

खुला विक्रय स्कीम (ओएसएस)

03.11.1998 को खुली विक्रय स्कीम (ओएसएस स्कीम) को चालू किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप कोयले के कुछ मात्रा की आपूर्ति सीधे व्यापारियो को की जानी थी जिससे

अनुबंध व्यवस्था का कुछ लेना देना नही है।

यह स्पष्ट किया गया कि ओएसएस किसी भी प्रकार से संबद्ध/ प्रायोजित उपभोक्ताओ को प्रेषण को प्रभावित नही करता है। 1945 आदेश के अनुसार फिर भी, भारत सरकार कोयले के विभिन्न ग्रेडो के मूल्यो को निर्धारित करती थी तथा अधिसूचित करती थी जिसके आधार पर कोल इंडिया लि0 तथा इसकी समनुषंगी कंपनीयाँ सभी श्रेणी के उपभोक्ताओ को कोयला बेचा करती थी। उक्त स्कीम कतिपय निबन्धनो के अधीन थी, जिसके अनुसार, एक क्रेता के लिए प्रत्येक कोयला खान से 33 प्रतिशत से ज्यादा कोयला खरीदने की अनुमति नही थी। संबद्ध उपभोक्तागण या प्रायोजित उपभोक्तागण, इस प्रकार के खुले विक्रय स्कीमो मे भाग लेने के हकदार नही थे।

कोयला कंपनीयो ने तर्क दिया है कि अनुबंध की स्कीम, प्रायोजन या ओएसएस नीतिगत निर्णयो का हिस्सा था जिसे इन लोगो द्वारा समय समय पर उस स्थिति जो तब व्याप्त थी के अत्यावश्यकता को पूरा करने के विचार से लिया गया था। फिर भी, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आपूर्ति माँग को पूरा नही कर सकता है जो काफी सीमा तक कृत्रिम तथा मानव निर्मित है, एक नये नीतिगत निर्णय का तैयार किया जाना आवश्यक है जिससे नये स्थिति का सामना किया जा सके विशेष रूप से, तब जब इनके जरूरतो के अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराते हुए कोयला के कालाबाजारी को रोकने के लिए की गई कार्यवाहियाँ तथा/या व्यापारियो द्वारा इकाइयो के अस्तित्व मे न होने के नाते फली भूत नही हुआ था।

ई-नीलामी :

एक नई स्कीम जिसे ई-नीलामी के रूप मे जाना जाता है को तात्पर्यित रूप से कोयला के आयात तथा प्राइवेट कोयला खानो को चालू करने के संबध मे केन्द्र सरकार के उदारीकरण नीति का सामना करने के लिए तथा कोयले के वितरण को व्यवहारिक तथा पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के लिए किया गया था। 2003-04 मे गैर कोर क्षेत्र को 4-8 लाख टन कोयला दिया गया था। गैर-कोर क्षेत्र के लिए चिन्हित मात्रा 933 वैध रूप से संबंद्ध उपभोक्ताओ तक सीमित थी। उक्त स्कीम के उद्देश्यो को निम्न बताया गया है :

उद्देश्य :

गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ के लिए कोयले के विक्रय की वर्तमान व्यवस्था में निम्न बदलावो को समायोजित करते हुए और अधिक व्यवहारिक तथा पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है :

(क) उपभोक्ता जिसे विशेष कोयला खान/स्रोत तथा साइडिंग/पायलट से कोयले के विनिर्दिष्ट गुणवत्ता की आवश्यकता है, का इसके लिए बाजार निर्धारित कीमत अदा करते हुए कोयला खरीदने तक पहुंच होनी चाहिए।

(ख) यह दृष्टिकोण गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ को गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ तक सीमित नीलामी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के भुगतान पर अपने पंसद का कोयला प्राप्त करने के लिए सक्षम बनायेगा।

इसका खण्ड-3 निम्न शब्दो मे ई-नीलामी के अन्तर्गत कोयले के आफर तथा विक्रय के वर्गीकरण का उपबंध करता है :

"अनुपाततः आधार पर कोयले की उपलब्धता मोटो-मोटा कोयला के संबद्ध गैर कोर उपभोक्ताओ के अधिकृत मात्रा का 45 प्रतिशत है तथा यह भी उपलब्धता के अधीन है। मात्रा जिस पर पहुँचा गया है को आवंटन योग्य मात्रा (एक्यू) कहा जायेगा तथा वार्षिक प्रत्येक गैर- कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओ को व्यौरे वार तैयार किया जाएगा (उचित वितरण के लिए, यह प्रत्येक माह होगा तथा बोली की प्रक्रिया प्रत्येक माह इस प्रकार के अनुपातिक मात्रा तक सीमित होगा) गैर कोर क्षेत्र के लिए कोयले के बढ़े उपलब्धता के साथ एक्यू (व्यक्ति का एमपीक्यू) विशेष माह के लिए कुल कोयला उपलब्धता कुल मासिक एमपीक्यू

3.3 जबकि विद्यमान उपभोक्तागण के मामले मे हकदारी विगत 7 वर्षो के एमपीक्यू (अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा) द्वारा नियंत्रित होगा, नये उपभोक्ता के अपेक्षा के विरूद्ध आपूर्ति कोयला कंपनी के समाधान तथा कोयले के उपलब्धता पर निर्भर होगा।

3.4 उपलब्ध कुल गैर कोर क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत राज्य/केन्द्रीय सरकारो द्वारा नामांकित सरकारी अभिकरणो को उपलबध कराया जायेगा। छोटे तथा लघु उपभोक्ताओ को वितरण हेतु राज्य सरकारो को कोयले का मूल्य निर्धारण उस माह के दौरान कोयले के इस विशेष ग्रेड के लिए ई-नीलामी पर पहुचे औसत लागत पर किया जा सकता है।' '

खण्ड-4 ई-नीलामी प्रक्रिया का उपबंध करता है जबकि खण्ड-5 भुगतान के अवधि का उपबंध करता है। ई-नीलामी के अवधारणा का निम्नवत बताया गया है :

"गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओ द्वारा कोयला के विपणन मे कुछ पारदर्शिता पैदा करने के लिए इस जाँच के सफलता की उपेक्षा करते हुए जाँच आधार पर ई-नीलामी के द्वारा गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओ को कोयले के विक्रय हेतु कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की समनुषंगी कंपनी भारत कोकिंग कोल लि0 (बीसीसीएल) द्वारा हाल मे पहल किया गया है। इसे सीआईएल के अन्य कोयला कंपनीयो मे इस स्कीम को विस्तारित करने के लिए विचार किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से गैर उपभोक्तागण/व्यापारीयो सहित गैर कोर क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओ को आच्छादित किया जा रहा है।

ई-नीलामी के द्वारा कोयला के विक्रय हेतु पश्चातवर्ती जाँच हेतु विस्तृत लाभ तथा ढंग निम्नवत है :

लाभ :

(i) संबद्ध तथा गैर-संबद्ध उपभोक्ताओ के बीच भिन्नता की समाप्ति जैसा कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निदेशित है।

xxx xxx xxx"

अक्टूबर 2004 मे बीसीसीएल द्वारा जाँच आधार पर ई-नीलामी के जरिए कोयले के विक्रय के अवधारणा को पुरः स्थापित किया गया था।

ई-नीलामी को नार्थ ईस्टर्न कोल लिमिटेड द्वारा पुरः स्थापित किया गया था।

अंतरिम कार्यवाही के रूप मे, कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न समनुषंगी कम्पनियां मे 2005-06 मे ई-नीलामी द्वारा लगभग 10 लाख टन कोयला बेचने का निर्णय लिया गया था। मात्रा जिसे ई-नीलामी पर रखा गया था इसकी कीमत निम्न क्रय मे होना था :

(क) 10 लाख टन मात्र ई-नीलामी द्वारा जारी

(ख) ई-नीलामी कीमत पर एमपीक्यू अवधारणा के द्वारा लगभग 12 लाख टन गैर कोर क्षेत्र के संबद्ध उपभोक्ताओ को जारी।

(ग) एनसीसीएफ को 2 लाख टन, उ0 प्र0 सरकार को 0.5 लाख टन दोनो औसत ई-नीलामी कीमत पर

"कोयला कम्पनियां के अनुसार लगभग 26.5 लाख टन कोयला ई-नीलामी कीमत पर बेचा जाना था जिसके परिणाम स्वरूप प्रेषण मे गैर कोर क्षेत्र का हिस्सा लगभग 5.4 प्रतिशत के वर्तमान हिस्सा के विरूद्ध मोटो-मोटा 8 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। फिर भी इसके संबंध मे विवरण नही दिया गया है।

ई-नीलामी के द्वारा गैर कोर क्षेत्र को कोयले के विक्री हेतु 21.10.2004 को जारी एक नोटिसो मे, यह अन्य बातो के साथ कहा गया है -

"बीसीसीएल पारदर्शी तरीके से उचित बाजार कीमत पर उपलब्धता के अधीन अपने पंसद का कोयला खरीदने के लिए वास्तविक तथा असली गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ को सक्षम बनाने के विचार से अपने विक्रय तथा वितरण नीति का पुर्ननिर्माण करने की प्रक्रिया मे हैं।

इस प्रकार के सभी उपभोक्ताओ को एक समान अवसर देने के लिए विशुद्ध रूप से परीक्षण के आधार पर एमएसटीसी लि,, एक भारत सरकार का उद्यम द्वारा संचालित नवम्बर 2004 मे ई-नीलामी द्वारा 1.6 लाख टन कोला बेचने का निर्णय लिया गया है।

प्रत्येक गैर कोर क्षेत्र को कोयले का विक्रय क्रमशः 17.11.04, 22.11.04, 25.11.04 तथा 29.11.04 को सम्पन्न होने वाले ई-नीलामी द्वारा किया जायेगा। माह दिसम्बर 2004 मे, मात्र ई-नीलामी के द्वारा बेचे गये कोयले को वितरित किया जाएगा।

आनलाइन पंजीकरण हेतु बीसीसीएल के वास्तविक उपभोक्तागण जो पहले से संबद्ध है तथा नये उपभोक्तागण विहित फार्म में बीसीसीएल को आवेदन कर सकते है जो शीर्षक बीसीसीएल कोयला नीलामी के अन्तर्गत ीजजचध्ध्ूूण् उेजबपदकपंण्बवउ के वेवसाइट से या ीजजच ध्ध्इमकण्बव चकपण् बवण्पद पर बीसीसीएल के वेबसाइट से उपलब्ध है जहाँ से इसे डाउन लोड किया जा सकता है। इस प्रकार का आवेदन फार्म बीसीसीएल धनवाद, बीसीसीएल कोलकाता, एमएसटीसी कोलकाता या एमएसटीसी दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

सभी तरह से पूर्ण आवेदन फार्म अधिक से अधिक 4 नवम्बर 2004 तक द्वितीय प्रति मे श्री एस0 मलिक, विक्रय प्रबंधक (रोड़ सालिव सेक्सन), विक्रय तथा विपणन संभाग, बीसीसीएल, कोयला भवन, पी0ओ0 कोयला नगर धनवाद -826005 या श्री के0के0 मजुमदार विक्रय प्रबंधक, बीसीसीएल 6 लायन्स रेंज (5वाँ तल) कोलकाता-700001 तक पहुँच जाना चाहिए।

सम्यक् सत्यापन के पश्चात बीसीसीएल पंजीकरण हेतु इस आवेदन को एमएसटीसी लि0 को अग्रेषित करेगा। एमएसटीसी द्वारा सूचित किये जाने के बाद उपभोक्तागण को एमएसटीसी लि0 कोलकाता के पक्ष मे डीडी/पीओ द्वारा रू0 10,000/-

का पंजीकरण शुल्क एक बार मे अदा करना चाहिए तथा स्वयं को http://www.mstcauction.com पर आनलाइन पंजीकरण करना चाहिए' '

ई-नीलामी हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को निम्न शब्दो मे बताया गया है;

"इलेक्ट्रानिक नीलामी करने मे विशेषज्ञ मेटल स्कैप ट्रेडिंग कारपोरेशन, एतस्मिन् पश्चात एमएसटीसी के रूप मे निर्दिष्ट (भारत सरकार का उपक्रम) तथा मेसर्स मेटल जक्शन सर्विसेज (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कं0 लि0 का संयुक्त उद्यम) को कोल इंडिया लि0 के समनुषंगी उत्पादन करने वाले कंपनीयो द्वारा ई-नीलामी द्वारा कोयला का विक्री करने के लिए शामिल किया गया है। स्कीम के अन्तर्गत, रूचि रखने वाले क्रेतागण द्वारा आरंभ मे स्वयं को उपरोक्त नीलामीकर्ता अभिकरणो के साथ पंजीकृत किया जाना आवश्यक है तथा पहले ही सभी संबद्ध को सूचना हेतु प्रकाशित कराया जाता है। नीलामी के बारे मे पहले से प्रदर्शित सूचना मे स्रोत, मात्रा, ग्रेड, आकार, परिवहन का ढंग तथा न्यूनतम मूल्य का वितरण शामिल है। ई-नीलामी स्कीम के अन्तर्गत अलग से प्रत्येक समनुषंगी कम्पनियां के लिए किया जाता है। प्रत्येक समनुषंगी कंपनी एनसीएल को छोड़कर प्रत्येक माह औसत चार नीलामी करता है जो एक माह मे कम से कम दो नीलामी करता है। माह जनवरी 2006 मे कराये गये ई-नीलामी के विवरणो को प्रदर्शित करने वाले चार्ट से प्रदर्शित होता है कि 19 जनवरी 2006 तक 26 नीलामी पहले ही किया गया है। क्रेतागण को कोयले के लिए अपेक्षित धरोहर जमा राशि (एतस्मिन्पश्चात ईएमडी के रूप मे निर्दिष्ट) जमा करना आवश्यक है यदि ये नीलामीकर्ता अभिकरणो के साथ विड करना चाहते है। वर्तमान मे, भागीदारो को अपने प्रतिटन जरूरत के विरूद्ध रू0 100/- के धरोहर जमा राशि को जमा करना आवश्यक है। बोली लगाने का कार्य विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नीलामकर्ता अभिकरण द्वारा किया जाता है जो विडिंग के प्रस्थिति के अधीन विस्तारित हैं। इलेक्ट्रानिक बिडिंग समाप्त होने के बाद अभिकरण कोयला को जारी करने के लिए आगे कार्यवाही करने हेतु समनुषंगी कंपनी को धरोहर जमा राशि, आवंटित मात्रा, विड मूल्य इत्यादि के साथ सफल विडरो की सूची भेजता है। साथ मे सफल विडरो को अभिकरणो द्वारा इलेक्ट्रानिक मेल के जरिए सूचित भी किया जाता है। सफल विडरो द्वारा निर्मोचन आदेश प्राप्त करने के लिए सुसंगत दस्तावेजो के साथ कोल इंडिया लि0 के संबंधित समनुषंगी कंपनी के मुख्यालय विक्रय विभाग मे विडिंग पूरा होने की तिथि से आठ कार्य दिवसो मे कोयले की पूरी कीमत जमा

करना आवश्यक होता है तथा तत्पश्चात 45 दिनो के वैधता अवधि के अन्दर संबंधित समनुषंगी कंपनी के अपने-अपने परियोजना/खानो से कोयला के कार्य व्यापार की व्यवस्था करना आवश्यक होता है।

फिर भी, केन्द्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को संबोधित पत्र दिनांक 08.04.2005 द्वारा ई-नीलामी के पुरः स्थापित किये जाने के बावजूद अनुबंध व्यवस्था को जिन्दा रखा था।

ई-नीलामी का अपवर्जन

20.07.2005 को, कोयला मंत्रालय ने परिपत्र द्वारा कहा था :

"राज्य सरकार के अभिकरणो हेतु चिन्हित कुल मात्रा को एक लाख टन तक बढ़ाया जा सकता हैं जिससे वर्ष 2005-06 के लिए 3 लाख टन कोयले की कुल मात्रा को रिजर्व रखा जा सके। राज्य सरकार के अभिकरण जो एसएसआई तथा छोटे इकाईयो को कोयला वितरित कर रहे है को रिपोर्ट किये गये अधिक ई-नीलामी कीमत के दृष्टिगत भारित औसत ई-नीलामी कीमत के बजाय न्यूनतम कीमत (अर्थात् विशेष ग्रेड के कीमत के अधिसूचित कीमत से 20 प्रतिशत अधिक) पर सीआईएल के समनुषंगी कंपनीयो द्वारा कोयला की आपूर्ति किया जाना चाहिए।

इस प्रकार केन्द्र सरकार ने कोयला कंपनीयो को एनसीसीएफ तथा अन्य अभिकरणो को कोयले की आपूर्ति भारित औसत ई-नीलामी कीमत के बजाय अधिसूचित कीमत से 20 प्रतिशत अधिक पर करने का निदेश दिया गया था, जिससे इन्हे ई-नीलामी के कार्यक्षेत्र से बाहर निकाला जा सके। इसी प्रकार का लाभ केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारो के अभिकरणो को दिया गया था। पत्र दिनांक 08.04.2005 द्वारा कोयला मंत्रालय ने एनसीसीएफ को आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक 2 एमटी कोयले के आपूर्ति को आवंटित किया गया था तथा राज्य सरकारो ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अभिकरणो को नामांकित किया था। अन्त मे पुनः 20.07.2005 को कोयला मंत्रालय ने निदेश दिया था कि एनसीसीएफ तथा राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट अभिकरणो को कोयले की आपूर्ति के लिए कीमत न्यूनतम कीमत अर्थात् भारित औसत ई-नीलामी कीमत के बजाय विशेष ग्रेड के निर्धारित अधिसूचित कीमत से 20 प्रतिशत अधिक पर प्रभारित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अभिकरणों को कोयले की आपूर्ति की मात्रा को 2005-06 के लिए एक एमटी तक आगे बढ़ाया गया था। फिर भी, इस न्यायालय का ध्यान एनसीसीएफ द्वारा जारी विभिन्न कैश मेमो की तरफ आकृष्ट किया गया है, जिसके परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि एनसीसीएफ केवल छोटे तथा लघु उपभोक्ताओ के प्रतिनिधिक अंश या

समूह उदाहरणार्थ कुम्हार, लोहार, चाय विक्रेता को कोयले की आपूर्ति करने के बजाय जिन्हे अपना व्यापार चलाने के लिए कोयले की काफी कम मात्रा की जरूरत होती है, संबद्ध उपभोक्ताओ को भी कोयला बेच रहे थे। फिर भी, कोल इंडिया लि0 के अध्यक्ष ने विभिन्न राज्य सरकारो के मुख्य सचिवो को संबोधित पत्र दिनांक 30.09.2005 द्वारा यह कहते हुए छोटे तथा लघु उपभोक्ताओ को परिभाषित करने की माँग किया था कि ऐसे उपभोक्तागण जिनकी खपत 500 टन प्रति वर्ष से कम है इसके कार्यक्षेत्र मे आयेगे। सर्व सम्मति से, छोटे उपभोक्ताओ को आधार मूल्य के 105 प्रतिशत से अनधिक प्रभारित किया जाना था जिस पर कोयला कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसके समनुषंगी कंपनीयो से प्राप्त किया गया था। उक्त पत्र द्वारा, यह निदेश दिया गया था कि छोटे/लघु उपभोक्ताओ को कोयला बिल में अलग से आधार मूल्य तथा परिवहन, रायल्टी, कर इत्यादि जैसे अन्य प्रभार शामिल होगे।

धूमहीन ईंधन इकाईयाँ स्थापित करने के लिए प्रत्यावेदन :

स्वयं कोयला कंपनीयाँ घरेलू खपत के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग हेतु मुलायम कोक तथा कोयले के अन्य संजातो का उत्पादन किया करती है।

भारत सरकार, कोयला मंत्रालय ने अध्यक्ष, कोल इंडिया लि0 कलकत्ता को संबोधित पत्र दिनांक 27.03.1997 द्वारा इससे इच्छुक उद्यमकर्त्ताओ को और अनुबंध देते हुए सीएफआरआई द्वारा दिये गये प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने तथा घरलू खपत के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एसएसआर तथा व्रिक्रेट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा था।

07.05.1987 को, स्टेटसमैन सहित कई प्रमुख समाचार पत्रो में विज्ञापनो को प्रकाशित किया गया था, जिसमे यह कहा गया था :

> "विशेष धूमहीन ईंधन उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य तथा दक्षिण भारत के कुछ राज्यो मे लाखो घरो, कंटीन रसोईघर, छोटे छात्रावासो द्वारा खाना पकाने के लिए एक उपयुक्त लोक प्रिय उत्पाद है।
>
> कोयला अनुबंध पर निर्वन्धन के कारण अब तक कोयला पैदा करने वाली कंपनीयो हेतु नई प्रौद्योगिकी आरक्षित थी।
>
> अब आप भी इसे बना सकते है। कोल इंडिया कोयला तथा उत्पादन करने वाले प्रौद्योगिकी दोनो को उपलब्ध कराने का भरोसा देता है यदि यह उत्साही उद्यमकर्त्ताओ के पास उपलब्ध नही है।

इसका उत्पादन राज्य उपक्रम/निगमों, संयुक्त क्षेत्र उद्यम द्वारा तथा प्राइवेट उद्यमकर्ता द्वारा किया जा सकता है।

उद्यमकर्तागण जिनमे कुछ हमारे समक्ष अपीलार्थीगण है लघु उद्योग है। ये अपने-अपने राज्यो के उद्योग निदेशालय से पंजीकृत हे। ये इसमे कोयला कंपनीयो से कोयले के आपूर्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए संबद्ध उद्योग है। उद्यमकर्तागण जिसमे कुछ हमारे समक्ष आपीलार्थीगण है, को धूमहीन कोयले का उत्पादन करने के लिए अभिकथित रूप से संयंत्रो को स्थापित करने हेतु इनके द्वारा किये गये वचन को अग्रसर करने मे या अनुसरण मे आमंत्रित किया गया है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियाँ-

कुछ व्यापारियों ने गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल किया था। निर्णय तथा आदेश दिनांक 08/04/2005 हाय गौहाटी उच्च न्यायालय ने अन्य बातो के साथ उक्त प्रयोजन हेतु अपनाये गये प्रणाली को प्रकृति में मनमाना धारित करते हुए ई-नीलामी स्कीम को अपास्त किया था। बहरहॉल यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के पास इस प्रकार का निर्देश जारी करने या इस प्रकार की स्कीम बनाने का अधिकार नही था। ई-नीलामी पर कोयले के विक्रय के व्यवहार्यता को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सिविल अपील सं 2972 से 2974 वर्ष 2005 दाखिल किया गया है।

जब ई-निलामी के स्कीम को वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में चालू किया गया था, रिट याचिका द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष इस अधिकार पर आपत्ति की गई थी। निर्णय तथा आदेश दिनांक 29-09-2005 द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त स्कीम को वैध तथा विधिमान्य अभिनिर्धारित किया था।

इसके विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 24034 वर्ष 2005 दाखिल किया गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष विजय कुमार पोद्दार ने प्रायोजन स्कीम के वैधता पर आपत्ति करते हुए रिट याचिका दाखिल किया था। उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात किया गया है।

गौहाटी उच्च न्यायालय का निष्कर्ष :

गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष, जैसा एतस्मिनपूर्व उल्लिखित है, व्यापारियो ने रिट याचिका दाखिल किया था। अन्य बातो के साथ ई- नीलामी जो रेको में लोड किये गये कोयले के विक्रय के लिए था के नोटिस पर आपत्ति करते हुए व्यापारियों तथा एसएसआई स्वामियो द्वारा पाँच रिट याचिकाएँ दाखिल की गई थी। एक रेक में 41 वैगन होता है तथा प्रत्येक वैगन में लगभग 60 एमटी कोयला होता है। उक्त नोटिस के आधार पर , यह निर्देश दिया गया था कि यदि बोली मात्र एक रेक के लिए है, इसका न्यूनतम मूल्य लगभग रू49 लाख होगा। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसमें याची के पास आक्षेपित नोटिसों को चुनौती देने के लिए सुने जाने का अधिकार था तथा जहाँ तक ई-नीलामी द्वारा कोयले के विक्रय का संबंध है अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड कोई नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम नही था। यह संप्रेक्षित किया गया कि उक्त नीतिगत निर्णय के आधार पर कोयले के विक्रय का सभी अन्य ढंग अतिष्ठित होने के नाते यह वैध नही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में व्याप्त परिस्थितयो को ध्यान में रखते हुए निविदा के प्रक्रिया का सुरक्षित न होना अभिनिर्धारित किया गया था क्योकि अन्य बातो के साथ यह देखा गया था कि अरूणांचल प्रदेश से कोई भी ई-नीलामी द्वारा कोयले के खरीद हेतु पंजीकृत नही किया गया था। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें अधिकथित मानक में पूर्वोत्तर राज्यों में व्याप्त स्थिति को ध्यान में नही रखा गया था तथा इसप्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है। यह पाया गया कि चुकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली कमी है, व्यापारीगण तथा संबद्ध उपभोक्तागण ई-नीलामी द्वारा बिड करना कठिन पायेगे। विद्वान न्यायमूर्तिगण ने समिति का गठन करने का निर्देश दिया था जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय , विद्युत मंत्रालय, बीएसएनएल तथा सीआईएल के प्रतिनिधिगण शामिल होगें, जिस की अध्यक्षता सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा की जायेगी जिससे इसे निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके कि कितना सर्वोत्तम उक्त नीतिगत
निर्णय का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का निष्कर्ष:

अनुबंध अधिकार का मामला नही है तथा कतिपय पुरोभाब्य शर्त पर निर्भर है। पल्लवी रिफैक्टरीज तथा अन्य बनाम एससीसीएल तथा अन्य (2005) 2 एससीसी 227 में निर्णय के दृष्टिगत, अपनाये गये दोगुना मूल्यनिर्धारण नीति में त्रुटि नही पाया जा सकता है। इसमें अधिकथित वाणिज्यिक सिद्धांत भी बताता है कि ई-नीलामी विधि में वैध है। ई-नीलामी द्वारा

मूल्य निर्धारण मनमाना नही है। ई-नीलामी के आधार पर मूल्य का बदलाव वाणिज्यिक संव्यवहार में समान पहलू होने के नाते विधि में दोषपूर्ण नही है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय का निष्कर्ष:

प्रश्न कि क्या सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति करने के लिए तथा नियंत्रित कोयले के परिणामस्वरूप प्रायोजन के बिना कोल इंडिया लि0 को निर्देश जारी किया सकता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था। इसमें कोयला कंपनियों का आधार यह था कि कोर एवं गैर कोर क्षेत्रो दोनो के उपभोक्तागण कोयले के साम्यापूर्ण वितरण के हकदार है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि प्रायोजन प्रणाली के आधार पर लघू वर्गीकरण भारत के संविधान का अधिकारातीत है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने अन्य बातो के साथ इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट आधार लेते हुए 30 जुलाई,2004 को इस न्यायालय के समक्ष वि0अनु0या0 (सिविल अपील सं0 5547वर्ष 2004) दाखिल किया था कि संबद्ध उपभोक्ताओं से अलग वर्ग बनता है। उक्त प्रकथनो पर , इसने 8-10-2004 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन के रोक का आदेश प्राप्त किया था। फिर भी, इसके बावजूद, इन लोगो ने थोड़े समय में निमित्त भान निर्णय लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित किया था।

कोल इंडिया तथा अन्य कोयला कंपनियो ने कई अन्तरण आवेदनो को दाखिल किया है जिसके अनुज्ञात होने के बाद, रिट याचिकाओ को इस न्यायालय में अन्तरित किया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियाँ :

सिविल अपील सं0 2972 तथा 2975 वर्ष 2005 गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08-04-2005 से उदभूत होता है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आदेश दिनांक 29-09-2005 पर आपत्ति करते हुए वि0अनु0या0 (सिविल सं0) 24134 वर्ष 2005 दाखिल किया गया है। कोल इंडिया लि0 ने सिविल अपील सं0 5547 वर्ष 2004 दाखिल किया है। जो विजय कुमार पोददार के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय से उदभूत होता है।

इस बीच ई-नीलामी के वैधता पर आक्षेप करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सहित कई उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दाखिल की गई थी। उक्त उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अंतरिम आदेशो को पारित किया गया था। पक्षकारों द्वारा इनके के विरूद्ध कई विशेष अनुमति याचिकाएँ दाखिल की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड ने बड़ी संख्या में अन्तरण आवेदनो को

दाखिल किया था जिसे अनुज्ञात किया गया था। गौहाटी उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयो के निर्णयों के विरूद्ध सभी अन्तरण आवेदनों तथा अपीलों को एक साथ सुनवाई हेतु लिया जा रहा है।

हमारे समक्ष मामलों की श्रेणियाँ :

उपभोक्ताओं की चार श्रेणियाँ है जो ई-नीलामी के स्कीम के चालू होने से व्यथित है। (i) गैर-कोर संबद्ध उपभोक्तागण जो धूमहीन कोयले का उत्पादन करता है। (ii) गैर-कोर क्षेत्र के उपभोक्तागण जो उन विभिन्न उत्पादो के उत्पादनकर्तागण है जिसमें कोयला कच्चा माल है (iii) कठोर कोक स्वामीगण यद्यापि गैर-कोर संबद्ध श्रेणी लेकिन कोर श्रेणी में शामिल किये जाने के लिए सिफारिश की गई थी तथा (iv) व्यापारीगण निवेदन

कोयले के उपभोक्ताओ के विभिन्न श्रेणियो की ओर से उठाये गये तर्को का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए हम क्रमशः निम्न पक्षकारो के लिए उपस्थित होते हुए विद्यवान अधिवक्ता के निवेदनो का उल्लेख करेगे---

(i) सामान्य

(ii) धूमहीन कोयले के उत्पादनकर्तागण

(iii) कठोर-कोक के उत्पादनकर्तागण

(iv) व्यापारीगण

(v) भारत संघ तथा कोल इंडिया लिमिटेड

(vi) एमएसटीसी

सामान्य :

विभिन्न उच्च न्यायालयो के समक्ष रिट याचीगण का तर्क जो हमारे समक्ष है निम्न है:--

(i) संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) के अन्तर्गत समाविष्ट संवैधानिक लक्ष्य को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधिनियमित किये जाने के बाद, कोयला कंपनियाँ इसे क्रियान्वित करने के लिए बाध्य है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कोयला का मनमाना कीमत निर्धारित नही कर सकती है जो राष्ट्रीय संसाधन है।

(ii) कोयला न केवल आवश्यक वस्तु है बल्कि बड़ी संख्या में उत्पादन करने वाले उद्योगो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कच्चा माल होने के नाते उचित तथा युक्ति-युक्त कीमत पर वितरित किया जाने आवश्यक है, विशेष रूप से इस तथ्य

के दृष्टिगत कि कोयला कंपनियाँ इस पर एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग कर रही है।

(iii) चुकि एनसीसीएफ ई-नीलामी स्कीम का आश्रय लिये बिना कोयले की आपूर्ति करता है, कोई कारण नही है कि क्यो गैर-कोर क्षेत्र संबद्ध उद्योगो को इसी तरह नही माना जायेगा। एनसीसीएफ के व्यापारी जैसा रिट याचीगण के है के श्रेणी का होने का नाते, इसके साथ कोयले के मूल्य के निर्धारण के संबंध में भेदभाव नही किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप , लघुउद्योग या तो कोयला ई-नीलामी के जरिये खरीद सकते है या एनसीसीएफ से कोयला खरीद सकते है, जो दोहरे मूल्य निर्धारण को उद्भूत करेगा तथा इस प्रकार यह अयुक्तियुक्त है।

(iv) विस्काउमान तथा झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम जैसे राज्य अभिकरणो को संबद्ध उपभोक्ताओ के सम मूल्य पर लाये जाने के बाद कोयले के खरीद के प्रयोजन हेतु प्राथमिकता नही दी जा सकती थी।

(v) आवश्यक वस्तूओ के लिए कीमतो को निर्धारित करने के शक्ति को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अन्तर्निहित चरित्र कायम रखना चाहिए कि कोयला कंपानियो को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड 6 के अनूसार एकाधिकारी प्रस्थिति दिया गया है।

(vi) ई-नीलामी द्वारा कीमत के कृत्रिम तरीके से बढ़ने के नाते, इससे अनिश्चितता पैदा हुई है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादनकर्तागण अपने उत्पादो के लिए कीमत का निर्धारण नही कर सकते है।

(vii) केन्द्र सरकार तथा/ या कोयला कंपनीयो ने स्वयं नीतिगत निर्णय लिया है कि कोयले की कीमत को कम से कम एक वर्ष में बदला नही जाना चाहिए, ई-नीलामी की स्कीम इससे असंगत होने के नाते अयुक्तियुक्त ठहराया जाना चाहिए।

(viii) कोयला जो दुर्लभ वस्तु है के मनमाने कीमत का निर्धारण विभिन्न उत्पादन कर्ताओ में अस्वास्थ्यकर पर प्रतिस्पर्धा को उदभूत करेगा, जो न केवल संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के उद्देश्य तथा भावना के विरूद्ध होगा बल्कि इसके

द्वारा लाखो लोग जो इसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते है पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ix) कोयला कंपनियाँ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तरगत राज्य है आम आदमी के कीमत पर अधिक मुनाफाखोरी का आश्रय नही ले सकता है।

(x) सरकारी कंपनियों को अपने लोक कर्तव्य का परित्याग करने की अनुमति नही दी जा सकती है, उपभोक्ताओ के साथ इसका व्यवहार उचित तथा भेदभाव रहित होना चाहिए।

धूमहीन ईंधन तथा व्रिकेट के उत्पादन कर्तागण :

यह निवेदन किया गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई छोटे उद्योगो को स्थापित किया गया है, (जो धूमहीन कोयला तथा विक्रेट का उत्पादन कर रहे है) अपने विज्ञापनो में कोयला कंपनियों द्वारा किये गये वचन के अनुसरण में या अग्रसर करने में, इसका उत्पाद ग्रामीण लोगो के खपत हेतु होने के नाते तथा पर्यावरणीय हितैषी ईंधन होने के नाते स्कीम को वचन विबंध के सिद्धान्त के विरूद्ध ठहराया जाना चाहिए। धूमहीन कोयला ग्रामीण लोगों के आवश्यकता को पूरा करता है तथा मामले को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा कोयले पर जो 2000 आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तु है नियंत्रण स्थापित करने के बाद ई-नीलामी का आश्रय होने की अनुमति नही दी जा सकती थी क्योकि इस कारण कठिनाईयों के अलावा अनिश्चितता पैदा करते हुए कीमतों में एकाएक बढ़ोत्तरी हो रही है। यह निवेदन किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 (ii), धारा 3 (i) तथा 3 (ii) (सी) के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात दुर्लभ वस्तु को क्रय योग्य कीमत पर लोगो को उपलब्ध कराना।

सोलह याचीगण जिन्होने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित किया है जो औद्यौगिक पिछड़ा क्षेत्र है की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बी.ए बोवड़े ने निवेदन किया है कि इन्हे भी ग्रामीण लोगो के माँग को पूरा करने के लिए कोयले के आपूर्ति का आश्वासन दिया गया था तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए ई-नीलामी का आश्रय लेने के आधार पर इन लोगो पर अयुक्तियुक्त बोझ डाला गया था, जिसे विधि मे दोषपूर्ण ठहराया जाना चाहिए।

सूक्ष्म तथा लघु इकाईयो तथा एसएसआई इकाईयो में गैर-कोर क्षेत्र में लघू वर्गीकरण तथा स्वयं गैर-कोर क्षेत्र में दोहरी मूल्य निर्धारण नीति, जहाँ वह इसका संबंध छोटे तथा असली

कोयला इकाईयाँ से है, स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित तथा असाम्यापूर्ण है तथा केवल इस लिए क्योकि कुछ इकाईयाँ असली उपभोक्तागण नही है, इसका मतलब यह नही है कि सभी उपभोक्ताओ को बहुमूल्य राष्ट्रीय आस्तियो से वंचित किया जायेगा।

कठोर-कोक :

हमारे समक्ष कुछ अपीलार्थीगण कठोर कोक के उत्पादनकर्तागण है। यह विवादित नही है कि कि कठोर कोक यद्यापि कोर क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में नही आता है, कोयला के वितरण के प्रयोजन हेतु, इस्पात मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई है कि इसे उक्त श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। फिर भी उक्त कदम का विरोध कोयला तथा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस लिए हम इस आधार पर अग्रसर होते है कि कठोर कोक गैर-कोर क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में आता है।

हार्ड कोक ओवेन संयन्त्र की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीपांकर गुप्ता ने निवेदन किया है कि (i) यह कि चुकि कठोर कोक स्वामियो द्वारा उत्पादित कठोर-कोक को इस्पात मंत्रालय द्वारा कोर क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में लाये जाने की सिफारिश करने के बाद, गैर कोर क्षेत्र इसका कतिपय लक्षण विशेष श्रेणी का होने के नाते अलग किया हुआ अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार सभी 106 कठोर कोयला भट्ठीयाँ जो कठोर कोक का उत्पादन करती है विशेष श्रेणी बनता है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष ग्रेड का कोयला प्राप्त करने के इसके अधिकार का खण्डन नही किया जा सकता है क्योकि अनुबंध प्रणाली ई-नीलामी के स्कीम के चालू होने के बावजूद लगातार प्रवर्तन में है। (ii) इस प्रकार कठोर कोक उत्पादन करने वाली इकाईयों को व्यापारियों के साथ एक साथ सम्मिलित नही किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप, असमान को समान आधार पर माना जा रहा है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आधिकारातीत है।

ई-नीलामी के स्कीम के चालू होने के पहले तथा बाद कठोर-कोक उत्पादनकर्ताओ को कोयले की आपूर्ति को प्रदर्शित करने वाले चार्ट की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए यह तर्क दिया गया है कि एक वर्ष में कुछ माह के लिए, पूर्णतया कोयले की आपूर्ति नही की गई थी।

यह निवेदन किया गया है कि पसंद का कोयला कठोर कोक स्वामीयो की चिंता नही हैं यद्यापि यह व्यापारियो को लिए सूसंगत हो सकता है क्योकि अनुबंध पत्र दिनांक 19-05-205 के दृष्टिगत अभी भी जारी है।

व्यापारीगण :

व्यापारियो की और से उपस्थित होते हए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अल्ताफ अहमद ने हमारा ध्यान ई-नीलामी स्कीम के विभिन्न खण्डो की ओर आकृष्ट किया है तथा निवेदन किया है कि चूँकि खुली विक्रय स्कीम (ओएसएस) के अन्तर्गत व्यापारियो के अधिकारो की रक्षा की जाती थी तथा विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक कोयला खान से 33 प्रतिशत से अधिक एक व्यापारी द्वारा खरीदा नही जा सकता है, अब सभी इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना सभी उपभोक्ताओ के लिए खोला गया है कि क्या ये संबद्ध कोर-क्षेत्र के है इस संबद्ध गैर-कोर क्षेत्र के है या अन्य को व्यापारियों के साथ ई-नीलामी में बिड की अनुमति दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारियो को काफी हानि पहुचायाँ गया है इस निमित हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि कोर क्षेत्र तथा गैर कोर क्षेत्रो दोनो के उत्पादनकर्तागण उस नीलामी में अपने बिड की प्रस्थापना कर रहे है जो आवश्यक वस्तु के उचित वितरण के अवधारण के विरूद्ध है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार सभी श्रेणीयो के उपभोक्ताओ की भागीदारी ओएसएस स्कीम के दृष्टिगत कोयला कंपनीयो के तथाकथित नीति के विरूद्ध होने के नाते विधि विरूद्ध होगा ।

भारत संघ की ओर से निवेदन :

भारत संघ की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अपर सालीसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने निम्न तर्को को उठाया ----

(i) तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि यह पाया गया कि अनुबंध स्कीम तथा खुली विक्रय स्कीम दोनो के संबंध में प्रक्रिया का घोर दुरूपयोग किया गया था, कोयला कंपनियो को ई-नीलामी का आश्रय लेना पड़ा था जो जनहित के कसौटी को पूरा करता है।

(ii) ई-नीलामी के औचित्य को प्रदर्शित करने के लिए अभिलेखो पर समाग्रियों को लाया गया है, यह विधि में संघार्य है।

(iii) प्रयोग द्वारा ई-नीलामी का आश्रय लेना कठिन स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया था।

(iv) चूंकि इस तथ्य के दृष्टिगत उक्त स्कीम के कार्य प्रणाली के बारे मे कोई शिकायत नही थी कि 16000 गैर उपभोक्तागण में से 12000 इससे संतुष्ट है,

कोई शिकायत नही उठाई जा सकती है कि इसके कारण कोयला कंपनियो ने किसी मनमाना कार्यवाही का आश्रय लिया था।

(v) ई-नीलामी को इस तथ्य के दृष्टिगत चालू किया जाना था कि अनुबंध तथा प्रयोजन एवं खुली विक्रय स्कीम को त्रुटिपूर्ण पाया गया है तथा इसके अलावा इस तथ्य के दृष्टिगत कि दोनो अनुबंध तथा प्रयोजन स्कीमे समाप्त हो चुकी थी।

(vi) केन्द्र सरकार ने कोयले के अविनियमन का आश्रय लिया था क्यो कि यह पाया गया कि अनुबंध का आश्रय लेते हुए, कोयले के निर्वाध तथा उचित वितरण तथा इसके संचलन के संबंध में बाधाएँ पैदा की जा रही है। इसके अलावा , प्रत्येक उपभोक्ताओ को इस तक समान पहुँच देनी चाहिए।

(vii) मात्र इसलिए क्योकि संबंद्ध उपभोक्ताओ को अधिक कीमत अदा करना होगा, इसे स्वयं इस तथ्य के दृष्टिगत अनुचित तथा अयुक्तियुक्त नही कहा जा सकता है कि संबंद्ध स्कीम के अनुसार भी कोयले के कीमत को निर्धारित नही किया गया था न ही कोई प्रत्यावेदन किया गया था जहाँ तक विनिर्दिष्ट कीमत पर विनिर्दिष्ट मात्रा के कोयले की आपूर्ति करने के लिए कोल इंडिया लि0 की ओर से बाध्यताओ का संबंध है।

(viii) अनुबंध प्रणाली मात्र व्यवहार के परे अस्तित्व मं आया था तथा इस कारण संबंद्ध उपभोक्ताओ ने विधि में या संविदा में कोई निहित अधिकार प्राप्त नही किया है।

(ix) ई-नीलामी के अवधारणा की कल्पना कोयला कंपनियो द्वारा की गई थी जो अन्यथा भी इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे तथा इसने केन्द्र सरकार के मुद्रण अनुमति को प्राप्त किया था जिसे कोयला खान नियंत्रण आदेश के खण्ड 6 के अनुसार निदेश माना जायेगा।

(x) कोर तथा गैर कोर क्षेत्र के बीच वर्गीकरण वैध होन के नाते दोहरा मूल्य निर्धारण विधि में अनुज्ञेय है।

(xi) यद्यापि कोयले कंपनियाँ एकाधिकारी है, माँग तथा आपूर्ति स्थिति तथा बाजार के बलो को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जो इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड 6 के कार्यक्षेत्र में नही आएगा।

एमएसटीसी की ओर से निवेदन:

श्री टी. सी. अधियार्जुन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गौहाटी उच्च न्यायालय ने यह धारित करने में स्पष्ट त्रुटि किया है कि ई-नीलामी भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में संभव नही है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रक्रिया जिसे ई-नीलामी करने हेतु अपनाया गया है पूर्णतया पारदर्शी तथा उचित है।

मूल्य निर्धारण के संबंध में नीतिगत निर्णय

दोहरे मूल्य निर्धारण की युक्तियुक्तता :

मूल्य निर्धारण का देश के आर्थिक स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष संबंध है। वित्त सबसे से अधिक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। मूल्य निर्धारण का ढंग वस्तु के प्रकृति, इसे नियंत्रित करने वाले संबंधित कानून के प्रावधानो तथा अन्य सुसंगत कारको पर निर्भर होगा। जब कीमत का निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किया जाता है तथा राज्य लोक आवश्यकता के सिद्धांत नियंत्रित होगा। यह इसके कानूनी शक्ति के अनुसार हो सकता है इसमें रोपित दण्ड प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तु के उत्पादनकर्ता या विक्रेता इसे जनसाधारण को युक्तियुक्त कीमत पर यह अलाभ के लिए बाध्य करता है। फिर भी, राज्य द्वारा अपने स्वयं के लाभ के लिए मूल्य निर्धारण में लाभ का तत्व होता है जब कभी दोहरे मूल्य का आश्रय लिया जाता है, इसके तार्किक होना चाहिए/दोहरी कीमत के निर्धारण हेतु फार्मूला मात्र कतिपय परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो सकता है (देखिए भारत संघ तथा अन्य बनाम हिन्दुस्तान विकास निगम तथा अन्य (1993)1 एससीसी 467)

गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि0 तथा एक अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1998) 8 एससीसी 208 में, इस न्यायालय को कोयले के मूल्य के निर्धारण के संबंध में मामले पर विचार करने का अवसर मिला था जिसमें कोयला खान नियंत्रण आदेश 1945 के अनुसार इसका कोटा केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओ को आवंटित किया गया था।

इसलिए सरकारी कंपनी संवैधानिक स्कीम के संबंध में, अपने लोक कर्तव्य का परित्याग नही कर सकती है । (देखिए हिन्दुस्तान जिंक लि0 इत्यादि बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य (1991) 3 एससीसी 299) इसका न तो प्राइवेट दबाव हो सकता है न ही आम लोगो के कीमत पर धन का विर्वधन।

केरला राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मेसर्स एस. एन. गोविन्द प्रभु ब्रदर्स तथा अन्य इत्यादि (1986) 4 एससीसी 198 में विधि निम्न शब्दो में अधिकथित किया गया था :

"यह लोक उपयोगिता एकाधिकारी दायित्व है जिसे विशुद्ध लाभ हेतु द्वारा संचालित नही किया जा सकता है - न कि लाभ से बचा जाना चाहिए लेकिन यह सेवा तथा लाभ नही को इसके कार्यो पर दोष नही लगाया जाना चाहिए। यह बोर्ड का कार्य नही है जिससे यह अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपने मामलो को समाल सके, एक प्राइवेट कार्पोरेट निकाय को भी अपने शेयर धारको को अधिक लाभांश अदा करने के विचार से भारी लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नही है कि बोर्ड को कानून के अन्तर्गत अपने कर्तव्यो का पालन करने तथा अपने बाध्यताओ का निर्वहन करने के प्रयोजन हेतु लाभ अर्जित नही हो सकता है तथा लाभ अर्जित करने की आवश्यकता नही है। यह सामान्य बोध है कि बोर्ड को अपना मामला ठोस आर्थिक सिद्धांतो पर सम्भालना चाहिए। वाणिज्य के क्षेत्र में जोखिम उठाने के बाद कोई लोक सेवा उपक्रम यह नही कह सकता है कि यह व्यापार सिद्धांतो की अनदेखी करेगा जो लोक सेवा उपक्रमो के लिए उतना ही आवश्यक है जितना वाणिज्यिक जोखिम।

फिर भी, यह संप्रक्षित किया गया :

"बोर्ड से मात्र वर्षानुवर्ष उत्तर जीवी आधार को जारी करने की अपेक्षा नही की जाती है। इसे धरती पर अपना पैर मजबूती से जमाना चाहिए इसे स्वयं द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज अदा करने में सक्षम होना चाहिए, इसे अपना कर्ज चुकाने में सक्षम होना चाहिए इसे कार्यक्षम तथा किफायती सेवा देने में सक्षम होना चाहिए इसे मूल्यह्रास उपलब्ध कराते हुए अपनी सेवाओ के सम्यक निष्पादन को जारी रखने में सक्षम होना चाहिए, इसे अपनी सेवाओ के विस्तार का उपबंध करना चाहिए, जिससे कोई यह बहाना न बना सके कि देश में पहले से बिजली की भलीभाँति आपूर्ति की गई है। पर्याप्त अधिशेष इस प्रयोजन हेतु पैदा किया जाना चाहिए। यह कि हम वही स्वीकार करते है जैसा बोर्ड आवश्यक रूप से करेगा यदि सामान्य वाणिज्यिक उपक्रम को समुचित तरीके से तथा बुद्धिमानी से ठोस वाणिज्यिक प्रणाली पर नियंत्रित किया गया है। क्या स्थिति कुछ भिन्न है क्योकि बोर्ड लोको प्रयोगिता उपक्रम है या विद्युतआपूर्ति अधिनियम के प्रावधानो के कारण" ?

(देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा एक अन्य बनाम गुजरात प्राकृतिक गैस उपभोक्ता उद्योग संघ तथा अन्य (1990) अनुपूरक एससीसी 397)

गुजरात अम्बुजा सीमेंट (ऊपर) में प्रश्न उठा था कि अधिसूचना जिसे कोयलाखान नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत जारी किया गया था के सारिणी ii में दिये गये मुल्य पर 10% प्रीमियम का अधिरोपण इतना अयुक्तियुक्त तथा मनमाना था जिससे भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 आकृष्ट हो सके। इस मामले में, पक्षकारो ने साक्ष्यो को पेश किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसके परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार नही किया था तथा इस आधार पर अभिलेख पर लाये गये सामग्रीयो को ध्यान में रखते हुए इससे याची के शिकायतो पर विचार करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था (देखिए डॉ0 श्री नल्ला थांपीथेरा बनाम भारत संघ तथा अन्य (1983) 4 एससीसी 598)

कोयला जैसे आवश्यक वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते समय, छोटे उत्पादो के बिड के क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सकता है। दिये गये स्थिति में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने वाला न्यायालय अभिलेखो पर लाये गये सामग्री के आधार पर प्रश्न का अवधारण कर सकता है।(देखिए गुजरात अंबुजा सीमेंट लि0 (ऊपर))

फिर भी कोर क्षेत्र तथा गैर कोर क्षेत्र के बीच भिन्न वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए दोहरा मूल्य निर्धारण अनुज्ञेय है।(देखिए पल्लवी रिफैक्टीरीज (ऊपर))

फिर भी राज्य, कीमत पर अपना दान वितरित करते हुए, यदि वस्तु के वितरण में शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के प्रावधान को आकृष्ट करेगा, भिन्न आधार पर खड़ा होगा। 'व्यापार' व्यापक आशय का खण्ड है। यह आवश्यक वस्तु के साथ तथा संबंधित एकाधिकारी को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रयोग के संदर्भ में निर्विवादित रूप से व्यापार या प्राइवेट व्यक्ति से भिन्न आधार पर खड़ा होगा। राष्ट्रीयकरण अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार तथा कोयला कंपनियो को लाभ/कर कमाने वाली संस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि कल्याणकारी राज्य के विस्तारित भुजा के रूप में देखा जाना चाहिए। आम आदमी को लाभ पहुचाने के लिए इनसे देश के व्यापार संभावना को संगत बनाने की अपेक्षा की जाती है व्यापार क्रियाकलापो पर व्यापार को जारी रखने की केन्द्र सरकार की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 298 में अन्तर्विष्ट संवैधानिक प्रावधानो से निकलता है। इस लिए कोयला कंपनियाँ युक्तियुक्त कीमत का निर्धारण करने के लिए संवैधानिक बाध्यता के अधीन है। इन्हे स्वयं को निजी क्षेत्रोंसे अलग करना चाहिए जो केवल लाभ हेतु पर बल देता है। इस प्रकार, सर्वजानिक क्षेत्र के उद्‌यमों, कोयला कंपनियों द्‌वारा इस प्रकार के आवश्यक वस्तु के कीमत का निर्धारण करने का कर्तव्य होगा जिससे आम लोगो की भलाई हो सके। यद्‌यापि

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (2) (ग) का प्रावधान 2000 आदेश के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कीमत के अविनियमन के दृष्टिगत कोयले के संबंध में आकृष्ट नही होता है, कोयले के कीमत के निर्धारण के प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए ।

इस प्रकार के मूल्य का निर्धारण करते समय सामान्यता राज्य उसी रीति के कार्य करता है जिससे लोकोपयोगिता इस संबंध में स्वयं संचालित हो। इस न्यायालय ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा एक अन्य बनाम गुजरात प्राकृतिक गैस उपभोक्ता उद्योग संघ तथा अन्य (ऊपर) में विचार व्यक्त किया था कि निर्धारित कीमत संभव न्यूनतम होनी चाहिए क्योकि ग्राहक या उपभोक्ता के पास अपने उत्तरजीविता के लिए वस्तु होनी चाहिए तथा न्यूनतम से अधिक क्रय नही कर सकता है। इसमें इस न्यायालय ने आगे उल्लेख किया :

"34. श्री आर के गुप्ता , ड़ॉ0 राव द्वारा लोकउद्यम मे विवाद्यको में प्रोदधृत "भारत में सार्वजिनक क्षेत्र" पर एक दूसरा लेख यह कहते हुए प्रोदधृत किया जाता है (पे084पर)

> "मूल्य निर्धारण नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय आय तथा इस वृद्धिके दर में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके --- लोक उद्यम को लाभ कमाना चाहिए तथा सभी उद्यमों मे लोक उद्यमो का हिस्सा जितना अधिक होगा, लाभ कमाने के लिए इसकी जरूरत भी अधिक होगा। एक तरफ लाभ बचत तथा निवेश के लिए उपलब्ध अधिशेष को साबित करता है तथा दूसरी तरफ राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण कार्यक्रमो में योगदान देता है तथा यदि लोक उद्यम लाभ नही कमाता है निवेश की दर को बढ़ाने के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय अधिशेष तथा सामाजिक कल्याण की वृद्धि में तत्समान कटौती होगा अतः अतार्किक विश्वास का त्याग करने की आवश्यकता कि लोक उद्यम को परिभाषा द्वारा अलाभ आधार पर चलाया जाना चाहिए।

विद्युत (आपूर्ति)अधिनियम 1948 के अन्तर्गत टैरिफ के निर्धारण पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने हिन्दुस्तान जिंक लि0 (ऊपर) में विचार व्यक्त किया था कि प्राइवेट व्यापारी के रूप में कार्य करते हुए तथा अपने लोकोप्रयोगिता चरित्र को छोड़ते हुए बोर्ड द्वारा इस प्रकार से प्रभुक्त का निर्धारण नही किया जा सकता है। यह संप्रेक्षित किया गया :

"दूसरे शब्दो में, यदि लाभ मात्र लाभ के लिए नही कमाया जाता है, बल्कि बोर्ड द्वारा अपने बाध्यता के बेहतर निर्वहन के प्रयोजन हेतु, यह नही कहा जा सकता है कि लोक उद्यम ने अपने प्राधिकार के परे कार्य किया है।

डॉ0 श्री नल्ला थांपी चेरा बनाम भारत संघ (1983) 4 एससीसी 598 में इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया:

> “25 हमने पहले ही कहा है कि रेलवे लोकोपयोगिता सेवा है जिसे एकाधिकारी आधार पर चलाया जाता है। चुकि यह लोकोपायोगिता है, माल लाभ कमाने के विचार से वाणिज्य जोखिम के रूप में चलाने का औचित्य नही है। हम नही जानते है- वहर हाल यह विचारार्थ नही आता है- यहाँ यदि एकाधिकारी आधारित लोकोपयोगिता कभी राज्य के सामान्य राजस्व का समर्थन करने के लिए वाणिज्य जोखिम होना चाहिए लेकिन यह कहने के लिए हममें रंचमात्र की हिचकिचाहट नही है कि इसके मौलिक अधिकार के स्वतंत्र आचरण से गहराई से संबंद्ध परिवहन का आम आदमी का ढंग होना चाहिए।

मेसर्स एस.एन गोविन्द प्रभू एण्ड ब्रदर्श (ऊपर) में, इस न्यायालय ने संप्रक्षित किया कि लाभ को छोड़ा नही जाना चाहिए लेकिन यह सेवा तथा लाभ नही बोर्ड के कार्य की जानकारी दी जानी चाहिए। यह आगे संप्रक्षित किया गया :

> “हम नही मानते है कि लोकोपयोगिता उपक्रम के रूप में विद्युत बोर्ड का चरित्र या विद्युत आपूर्ति अधिनियम का प्रावधान बोर्ड को ठोस वाणिज्यिक प्रक्रिया पर अपने मामलो की व्यवस्था करने से वंचित करता है यद्यापि लाभ प्यास के साथ नही।”

जहाँ तक श्री सीताराम शुगर कंपनी लि0 बनाम भारत संघ (1990) 3 एससीसी 223 में इस न्यायालय के संविधानपीठ के निर्णय को निर्दिष्ट करने के बाद मूल्य निर्धारण के न्यायिक पूनर्विलोकन की सीमा का संबंध है, इस न्यायालय ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा एक अन्य बनाम गुजरात प्राकृतिक गैस उपभोक्ता उद्योग संघ तथा अन्य (1990) अनुपूरक एससीसी 397 में संप्रक्षित किया :-

> “....फिर भी यहाँ इसके तथा पहले के मामले के विवेचना में प्रवेश करने की आवश्यकता नही है क्योकि ये मामले प्रमुख रूप से इस प्रश्न से संबंद्ध थे लिया गया मूल्य निर्धारण आम जन के हित में आवश्यक वस्तु के मूल्यो का निर्धारण करने वाले सुंसंगत विधान के शर्तो के अनुरूप किया गया था तथा ओएनजीसी यह खण्डन नही करता है कि राज्य परिकरण के रूप में इसका मूल्य निर्धारण सुंसंगत सामग्री पर आधारित होना चाहिए तथा उचित एवं युक्तियुक्त होना चाहिए। इन निर्णयो में कोई भी निर्णय यह धारित नही करता है कि लागत धन प्रणाली मूल्यो के निर्धारण हेतु एकमात्र सुसंगत प्रणाली है। इसके विपरीत, कुछ निर्णयो में ऐसा संकेत है जो यह संकेत करता है कि न्यूनतम नही

बल्कि युक्तियुक्त लाभ अतिरिक्त राशि अनुज्ञेय है। राज्य विद्युत बोर्ड जैसे लोकोपयोगिता उपक्रम के संबंध में भी जहाँ अपने एकाधिकारी स्थिति का दुरूपयोग करते हुए अनुचित लाभ कमाने का कर्तव्य स्पष्ट है-"

आवश्यक वस्तु के मूल्य के निर्धारण के मामले में भी राज्य की ओर से कार्यवाही को निम्न कोणो से देखा जाना चाहिए जिसमें कुछ का उल्लेख हम एतस्मिन पश्चात करेगे।

अनुच्छेद 39 (ख) - अवधारणा

अनुच्छेद 39 (ख) को संसाधनो के सम्यापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता का संकेत देने के लिए संविधान में सम्मिलित किया गया था।

कर्नाटक राज्य तथा एक अन्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी तथा एक अन्य (1977) 4 एससीसी 471 में, इस न्यायालय ने यह कहते हुए संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में अन्तर्विष्ट संवैधानिक प्रावधानो का विश्लेषण किया था :

> मुख्य शब्द "वितरित" करना है तथा अनुच्छेद की प्रकृति है , यदि हम ऐसा कह सकते है, नही कर सकते है लेकिन पूरा बर्ताव किया जाना चाहिए क्योकि यह आर्थिक व्यवस्था के पुनर्रचना के मूलभूत उद्देश्य को पूरा करता है। अनुच्छेद में प्रत्येक शब्द की रणनीतिक भूमिका है तथा सम्पूर्ण अनुच्छेद सामाजिक मिशन है। इसके समाज का सम्पूर्ण तात्विक संसाधन सम्मिलित है। इसका कार्य इस प्रकार के संसाधनो का वितरण करना है। इसका लक्ष्य वितरण का आरंभ करना है जिससे आम लोगो की भलाई अधिक से अधिक हो सके। यह इस प्रकार के वितरण द्वारा स्वामित्व तथा नियंत्रण को पुर्नगठित करता है।
>
> "संसाधनो की व्यापक अभिव्यक्ति है तथा न केवल नकद संसाधनो को आच्छादित करता है बल्कि उधार (ऋण संसाधन) की क्षमता भी है। ब्लैक के विधिक शब्दकोष में इसका अर्थ दिया गया है।
>
> पैसा या कोई सम्पत्ति जिसे आपूर्तियो में बदला जा सकता है, का मतलब धन उगाहना या आपूर्ति; धन उगाहने की क्षमता या आवश्यक जरूरतो की आपूर्ति करना ; उपलब्ध साधन या किसी प्रकार की क्षमता।
>
> राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुर्नव्यवस्थित करने के संदर्भ में समाज के तात्विक संसाधनो में सभी राष्ट्रीय सम्पत्ति शामिल है, न केवल प्राकृतिक संसाधन , समीचीन सामग्री के सभी प्राइवेट तथा सार्वजानिक स्रोतो न केवल मात्र लोक सम्पत्ति आवश्यक

है। भौतिक संसार में उपयोग या महत्व की प्रत्येक चीज तात्विक संसाधन है तथा व्यक्ति के समाज का सदस्य होने के नाते इसके संसाधन इसके समाज का एक हिस्सा है।

(देखिए समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1997) 8 एससीसी 191)

कोयला भारतीय उद्योगो तथा आम आदमी का इस प्रकार का महत्वूर्ण उत्पाद होने के नाते , संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में अन्तर्विष्ट आदर्शी को साकार करने के लिए कोयला का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था।

संजीव कोक मैनूफैक्चरिगं कंपनी इत्यादि बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा एक अन्य इत्यादि (1983) 1 एससीसी 147 में इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया :

“कोयला वास्तव में ऊर्जा के सबसे अधिक महत्वपूर्ण सात स्रोतो में एक स्रोत है तथा इस लिए एक महत्वूपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। जबकि कोयला कई उद्योगो के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में आवश्यक है, कोकिंग कोयला देश के महत्वपूर्ण लौह तथा इस्पात उद्योग के लिए अपरिहार्य है। इसलिए संसद ने कोकिंग कोयला को पहली प्राथमिकता दिया था। सर्वप्रथम कोकिंग कोयला खानों के संबंध में विधान था तथा तत्पश्चात सभी कोयला खानो, कोकिंग तथा गैर कोकिंग के संबंध में विधान था। कोकिंग कोल माइन्स (राष्ट्रीय करण) अधिनियम द्वारा सभी कोकिंग कोयला खान जिसे देश में विद्यमान जाना जाता था का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोक ओवन संयंन्त्र जो राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोल माइन्स का हिस्सा था या खान स्वामियो का था, भी स्वयंमेव राष्ट्रीयकृत हो गया था। अन्य कोक ओवन संयंन्त्र जो खान स्वामियो का नही था लेकिन जो राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोल माइन्स के निकट स्थित था की पहचान की गई थी तथा इस आशय के स्पष्ट प्रावधान द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया था। कोयला खान उद्योग के यौक्तीकरण तथा राष्ट्रीयकरण के इस प्रक्रम पर, इस प्रकार के कोक ओवन संयंन्त्र का राष्ट्रीयकरण करना स्पष्ट रूप से आवश्यक तथा पर्याप्त समझा गया था क्योकि राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला खानो से संबंधित था सामंथा या जैसा सभी अन्य कोक ओवन संयंन्त्र को छोड़ते हुए राष्ट्रीयकृत कोकिन कोयला खानो के निकट स्थित होने के नाते पहचान किया गया था।

लेकिन कोयला खानो तथा कोक ओवन संयंन्त्र का राष्ट्रीयकरण लौह तथा इस्पात उद्योग के बढ़ते माँग को पूरा करने के लिए आवश्यक कोकिंग कोयला के

संसाधनो के वैज्ञानिक विकास को संरक्षित करने, परिरक्षित करने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य हेतु इस प्रकार के खानो तथा संयंन्त्र का पुर्नगठन तथा पुर्नसंरचना करने के विचार से तथा इससे संबद्ध या इसके आनुषांगिक मामले के लिए किया गया था। हम इस संदेह पर लेशमात्र भी विचार नही करते है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए कोकिंग कोयला खान तथा विनिर्दिष्ट कोक ओवन संयंन्त्र का राष्ट्रीयकरण यह सुनिश्चित करने के लिए था कि समाज के तात्विक संसाधनो का स्वामित्व तथा नियंत्रण उस प्रकार वितरित है जिससे आम लोगो का कल्याण अधिक से अधिक हो सके।

(देखिए एल कवूर बाई - तमिलनाडु राज्य (1984) 1 एससीसी 515)

भारत का संविधान का अनुच्छेद 37 उपबंध करता है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अन्तर्विष्ट प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नही होगा तथा यह राज्य को विधि निर्माण में इस भाग के प्रावधानो को लागू करने का आदेश देता है।

यह उल्लेख करना कुछ दिलचस्प है कि जब कभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धोतो जैसा भारत के संविधान के भाग 4 में विचारित है में अधिकथित प्रावधानो के अनुरूप राज्य द्वारा कार्यवाही की जाती है, इसे युक्तियुक्त कार्यवाही मानी जाती है।

एल.आर.एफ लि0 बनाम निरीक्षक केरल सरकार तथा अन्य (1998) 8 एससीसी 227 में, प्रश्न उठा था कि क्या अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानो के अधिकारो को केरल औधौगिक स्थापन (राष्ट्रीय तथा उत्सव अवकाश) (संसोधन) अधिनियम 1990 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कहा जाता है, जिसके द्वारा कई राष्ट्रीय अवकाशो को बढ़ाया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के दृष्टिगत, अधिरोपित निर्वधन को यह कहते हुए युक्तियुक्त निर्वन्धन अभिनिर्धारित किया गया था :

"अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत अभिवाक पर विचार नही किया जा सकता है। राष्ट्रीय तथा उत्सव अवकाशो को बढ़ाने के लिए विधायी संशोधन द्वारा निर्णय इस तथ्य सहित सरकार द्वारा माने गये सुसंगत सामग्री पर आधारित है कि केन्द्र सरकार तथा अन्य सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुज्ञात अवकाश अधिनियम के अन्तर्गत विहित अवकाशो की संख्या से काफी अधिक था। जैसा पहले बताया गया है, अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 43 में अन्तर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धातो को लागू करने के लिए एक सामाजिक विधान है । इस प्रकार बनाये गये विधि को मनमाना नही कहा

जा सकता है न ही इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी होने के लिए विखंडित किया जा सकता है।"

इसमें यह भी संप्रक्षित किया गया था :

"कानूनी प्रावधान के युक्तियुक्तिता की जाँच करने में क्या यह अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रत्याभूत मौखिक अधिकार का अतिक्रमण कारी है, कोई संविधान के अध्याय 4 में अन्तर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धातो की अनदेखी नही कर सकता है जैसा इस न्यायालय द्वारा सागीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मे तथा मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य में अधिकथित किया गया है।

12. इस सिद्धांत का अनुसरण लक्ष्मी खण्डसारी मामले में किया गया था जिसमें अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत उपलब्ध मौलिक अधिकारो पर अधिरोपित निर्वन्धनो के युक्तियुक्तता की जाँच अन्य के साथ आधारो पर की गई थी कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अतिक्रमणकारी नही थे।

(देखिए बी.पी. शर्मा बनाम भारत संघ (2003) 7 एससीसी 309 : एआईआर 2003 एससी 3863; पंजाब राज्य बनाम देवांश मार्डन श्री बीबरीज लि0 (2004) " एससीसी 26; गुजरात राज्य बनाम मिर्जापूर मोती कुरैशी कसाव जमात (2005) 8 एससीसी 534)

यह कहना सही नही हो सकता है कि कोई कार्यवाही जो संविधान के भाग 4 के प्रावधानो के अनुरूप नही है अधिकारारीत नही होगा लेकिन जो भी हो कोई संदेह नही हो सकता है कि इससे अन्तर्विष्ट सिद्धांत आवश्यक वस्तु के मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रश्न का अवधारणा करने के लिए सुसंगत विचार बनेगा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धातं नागरिक के मौलिक अधिकारो तथा कानूनी अधिकारो के निर्वचन के मार्गदर्शन का उपबंध करता है।

हमने एतस्मिनपूर्व उल्लेख किया है कि कोयले का राष्ट्रीयकरण कोकिंग कोल माइन्स (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 बनाम तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया था। हमने यह भी उल्लेख किया है कि उक्त अधिनियमो को अधिनियमित किया गया था जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में अन्तर्विष्ट संवैधानिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार, निर्विवादित रूप से कोयला कंपनियाँ तथा भारत संघ उद्देश्य तथा अभिप्राय जिसके लिए कोकिंग कोल माइन्स तथा कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया था को प्राप्त करने के कार्य को अग्रसर करने में कार्यवाही करने के लिए बाध्य थे। संसद

ने भी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संसोधन अधिनियम 1976 अधिनियमिति किया था। वर्ष 1976 में, सभी कोयला खानो के खनन पट्टो को भी निरस्त किया गया था। 1976 संशोधन अधिनियम के संवैधानिकता को इस न्यायालय द्वारा तारा प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ तथा अन्य (1980) 4 एससीसी 179 में यह कहते हुए अभिपुष्ट किया गया था कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम निम्न निबंधनो में अनुच्छेद 39 (ख) को अग्रसर करने में अधिनियमित किया गया था :

> "35 राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम में प्रस्तावना की जरूरत नही है, विशेष रूप से जब यह कारणो तथा उद्देश्यो के कथन द्वारा समर्थित हो। समान्यतया संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के प्रयोजन को आगे बढाने के लिए पारित किया जाता है जैसा इस अधिनियम के प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। कोयला खानो का अर्जन, यह याद रखा जाना चाहिए कि यह स्वयं में अंत नही है बल्कि मात्र अंत का साधन है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम तथा राष्ट्रीयकरण संसोधन अधिनियम का मौलिक उद्देश्य उन परिस्थितियो को अस्तित्व में लाना है जो खानो को विनियमित करने के लिए तथा खनिज विकास हेतु अनुकूल होगा।

यह सत्य हो सकता है कि बाजार बलो को ध्यान में रखते हुए कीमतो का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। माँग तथा आपूर्ति सुसंगत कारक है जहाँ तक कीमत के निर्धारण का संबंध है। मुक्त अर्थव्यवस्था द्वारा शासित बाजार में जहाँ प्रतियोगिता मूलमंत्र है, उत्पादनकर्तागण अपने स्वयं की कीमत को निर्धारित कर सकते है। फिर भी, राज्य के संवैधानिक बाध्यताओ तथा इसी समय सिद्धांत जिसमें कारण मुक्त अर्थव्यवस्था है को कार्यान्वित करना कठिन है। नई अर्थव्यवस्था का अवलंब लेने के लिए क्षैतिज खेल का मैदान मुख्य कारक है । इस प्रकार का क्षैतिज खेल का मैदान प्राप्त किया जा सकता है जब कई आपूर्तिकर्ता हो तथा जब बाजार में ऐसे प्रतियोगीगण हो जो उपभोक्ता को मात्र उपलब्ध कराने के प्रयोजन हेतु प्रसंद का प्रयोग करने में सक्षम बनाये। यदि खुले बाजार के नीति को प्राप्त किया जाना है उपभोक्ता के लाभ को राज्य द्वारा मस्तिष्क में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए।

क्या उपभोक्ता से एकाधिकारी प्रतिष्ठान से इस प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकती है? क्या इस प्रकृति के स्थिति के कारण ऐसी मिश्रित स्थिति होगी जहाँ कोयला कंपनीयाँ को अपने स्वयं की कीमत का निर्धारण करने की अनुमति दी जाती है जो

उचित कीमत नही हो सकता है? ऐसे कूछ प्रश्न है जिसे कोयला कंपनियाँ द्वारा आवश्यक वस्तु के कीमत का निर्धारण करने की नीति बनाने के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

राज्य जब आवश्यक वस्तु के संबंध में मूल्य निर्धारण के अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, भूमिका भिन्न है। इस प्रकार के मूल्य निर्धारण का उद्देश्य यह देखना है कि अतिम उपभोक्तागण आवश्यक वस्तु उचित कीमत पर प्राप्त करे तथा उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विनिर्माता/उत्पादनकर्ता के लाभ अतिरिक्त लाभ को निरा न्युनतम पर रखा जा सकता है। प्रश्न कैसे इस प्रकार के उचित मूल्य का निर्धारण सही अर्थ में किया जाना चाहिए इस मामले में पैदा नही होता है, जैसा एतस्मिनपश्चात किये गये विवेचना से प्रतीत होता है, क्योकि यहाँ केन्द्र सरकार ने किसी कीमत को निर्धारित नही किया है। इसने मामला कोयला कंपनियो पर छोड़ा है। ई-नीलामी का आश्रय लेने में कोयला कंपनियो ने कीमत का निर्धारण नही किया था। इसने केवल उस वर्गीकरण का आश्रय लिया था जिसके द्वारा कोयले की कीमत भिन्न हो गया था। इसका एक मात्र उद्देश्य यह देखना था कि कोयले का अधिकतम संभव कीमत प्राप्त हो। अपीलार्थीगण कोयले की कीमत का निर्धारण करने के लिए कोयला कंपनीयो के अधिकार पर प्रश्न नही करते है। इस प्रकार के कीमतो को पहले भी निर्धारित किया गया था जिसके लिए वैधानिक तरीके से या अन्यथा केन्द्र सरकार अनुमोदन के संबंध में अपनी सहमति के दिया करता था। 1995 आदेश के अन्तर्गत अपने शक्तियो को प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया 1996 से 2004 तक जारी था।

क्या ई-नीलामी के कारण अन्ततोगत्वा कोयला कीमत का निर्धारण किया जाता है? उक्त प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए जो सुस्पष्ट 'नही' है। क्यो कि इसके कारण कोयला कंपनियाँ भी यह जान पायेगी कि विभिन्न श्रेणियो के कोयले की कीमत क्या होगी। विवाद्यक का विनिश्चय इस प्रेक्ष्य से किया जाना चाहिए कि क्या कोयला कंपानियो को यह कहने की अनुमति दी जा सकती है कि इसके एकाधिकारी चरित्र के बावजूद तथा इसके राज्य होने के नाते कीमत का निर्धारण कर सकती है जो अन्यता अनुचित या अयुक्तियुक्त होगा।

राज्य या सर्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम समाज में महत्वूर्ण भूमिका अदा करता है। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि ये किराये पर दिये गये भवन के मकान स्वामी के रूप में या किसी अन्य क्षमता में सभी क्षेत्रो में उचित तथा युक्तियुक्त तरीके से कार्य करेगे (देखिए बाबूराव सांताराम मोरे बनाम बाम्बे हाउसिंग बोर्ड तथा एक अन्य (1934)एससीआर 572 577 पर, द्वारका दास माफतिया एण्ड सन्स बनाम बाम्बे बंदरगाह न्यासी बोर्ड (1989) 2 एससीआर

751,760 पर 762 तथा पथुम्मा एवं अन्य बनाम केरल राज्य तथा अन्य (1978) 2 एससीआर 537,545 पर)

ई-नीलामी कीमत की निर्धारण करनेका ढंग नही है। यह अधिकतम कीमत प्राप्त करने का एक मात्र ढंग है। दूसरे शब्दो में, कोयले के विक्रय द्वारा इष्टतम लाभ प्राप्त करना लक्ष्य़ है। ऐसा करते समय राज्य को कीमत के निर्धारण के सिद्धांतो का अनुसरण नही करना होता है। इसके द्वारा इसके परिणाम के संबंध में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना आवश्यक नही होता है। यह कोयले को किसी अन्य वस्तु की भाँति मानता है। यह स्वयं प्राइवेट व्यापारी की भाँति माना जाता है। मस्तिष्क में एक भिन्नता पैदा होना चाहिए कि कब राज्य बाजार में प्रतियोगी के रूप में सुविधा या दान से अलग होना चाहता है तथा कब इससे संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) के अन्तर्गत समाविष्ट अपने संवैधानिक लक्ष्य़ को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

एकाधिकार :

कोयला कंपनियाँ राष्ट्रीयकरण अधिनियम के प्रावधानो के अर्थान्तरगत एकाधिकारी है । इन्हे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड (6) के प्रावधानो में एकाधिकारी होना माना जायेगा। हमारा ध्यान अकदासी प्रधान बनाम् उड़ीसा राज्य (1963). अनपूरक 2 एससीआर 961, 715 पर तथा राजस्थान राज्य बनाम मोहन लाल ब्य़ास (1971) 3 एससीसी 705) में इस न्यायालय के दोनो निर्णयो के संबंध में आकृष्ट किया गया है।

अकदसी प्रधान (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब एकाधिकारी अनुच्छेद 19 के उपखण्ड (6) के अनुसार सृजित किया जाता है, अभिकरण की नियुक्ति नही की जा सकती है कि कौन प्रधान तथा अभिकर्ता के हुलिया का उत्तर नही देगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एकाधिकारी संगठन के अभिकर्ता को नियुक्त नही किया जा सकता है या स्वयं से कार्य नही कर सकता है।

मोहन लाल ब्यास (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान के उल्लंघन में कोई विधि नही हो सकता है तथा संविधान के अन्तर्गत नागरिक को कोई एकाधिकारी अधिकार प्रदत्त नही किया जा सकता है, न ही इसे इसके अन्तर्गत न्यायसंगत ठहराया जा सकता है।

ई-नीलामी की संवैधानिकता :

कोयला आवश्यक वस्तु है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसके समनुषंगी कंपनियो ने इसके उत्पादन, वितरण तथा विक्रय के एकाधिकारी का अनंद उठाया था। प्रश्न जो विचारार्थ पैदा होता

है यह है कि क्या उपरोक्त स्थिति में राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत ई-नीलामी का आश्रय लेने की अनुमति दी जा सकती है जो इस देश के संवैधानिक स्कीम के अनुरूप नही है।

कुछ कोयला कंपनियाँ सर्व सम्मति से आर्थिक समस्याओ से लड़खड़ा रही थी। इसमे तीन बीमार औद्योगिक उपक्रम हो गये थे तथा बीआईएफआर को संदर्भ किया गया था। भारत संघ का अपने प्रतिशपथपत्र में कहना है कि ई-नीलामी का आश्रय लेने का निर्णय लिया गया था जिससे बीमार कोयला कंपनियाँ दुबारा वापसी कर सके।

भारत संघ तथा कोयला कंपनियाँ इस बात का खण्डन नही करती है कि इसका एकाधिकारी है। ये इंकार या खण्डन नही करती है कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तरगत राज्य है। इसमें कोई तर्क नही उठाया है कि अनुच्छेद 39 (ख) के अनुसार संवैधानिक बाध्यता का अनुपालन किया जाना आवश्यक नही है।

यह विवादित नही है कि लगभग 94 से 98 प्रतिशत कोयला कोर क्षेत्र को अधिसूचित कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। हमने यह भी देखा है कि एनसीसीएफ तथा विभिन्न केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अभिकरणो को आधार कीमत + इसका 25 प्रतिशत पर कोयला मिलना था। उदाहारण द्वारा यह उल्लेख करना कुछ महत्वपूर्ण है कि जबकि कोर क्षेत्र कोयला रू 1155/- प्रति मीट्रिक टन के कीमत पर प्राप्त करता है, एनसीसीएफ, बीसीसीएल तथा झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम इसे रू 1386 / प्रति मीट्रिक टन की कीमत पर प्राप्त करेगे, लेकिन ई-नीलामी के कीमत के लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए अन्य गैर कोर संबद्ध उपभोक्ताओ तथा व्यापारियो द्वारा देय कीमत रू 1660 से 1900/- प्रति मीट्रिक टन की धनराशि होगी।

संबद्ध उपभोक्तागण कुल उत्पादन के लगभग 1 प्रतिशत गठित होते है। जहाँ तक गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्तागण का संबंध है, अनुबंध प्राणाली 1973 से चल रहा है। व्यवस्था के लाभार्थी प्रमुख रूप से कठोर कोक, घूमहीन ईंधन तथा अन्य उत्पादो के उत्पादकगण है जिसके लिए कोयला आवश्यक कच्चा माल है। खुली विक्रय स्कीम जो व्यापारियो के लिए थी. कोयला कंपनियो के मूल नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत, ई-नीलामी उन व्यापारियो के लिए लागू होती थी जिसके लिए खुली विक्रय स्कीम प्रयोज्य थी। फिर भी यह विवादित नही है कि कोयला कंपनियो को केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशो को ध्यान में रखते हुए, सभी उपभोक्तागण, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि क्या ये कोर क्षेत्र या गैर कोर क्षेत्र के संबद्ध उपभोक्तागण है, ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत थे। समान्यतया व्यापारीगण जो अनुबंध के स्कीम

के बाहर है ई-नीलामी में भाग लेने के हकदार है। ई-नीलामी का आश्रय अभिकथित रूप से इस आधार पर किया गया है कि खुली विक्रय स्कीम तथा एमपीक्यू सहित कोयला कंपनियो द्वारा आजमाई गई विभिन्न प्रणालियाँ एक या दूसरे कारण से असफल थी। ओएएएस के जारिए कोयले के विक्रय के मामले मे किये गये अनियमितताओ को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सिफारिश किया था कि निविदा का प्रचार कदाचार को कम करने तथा अधिक पारदर्शिता पैदा करने के विचार से पत्र दिनांक में 18-12-2003 के अनुसार वेबसाइट के द्वारा किया जाना चाहिए। कोयला कंपानियो का कहना है कि इस प्रकार का निर्देश सीवीसी एक्ट 2003 की धारा 8 (1) (एच) के अनुसार किया गया था। यह सिफारिश किया गया था कि जहाँ भी यह व्यवहार्य तथा व्यवहारिक हो संगठन को अन्तोगत्वा ई-प्रापण / ई-विक्रय के प्रक्रिया का कायाकसट करना चाहिए। फिर भी यह पाया गया कि निर्देश प्रकृति में सामान्य है तथा सीबीसी 2003 एक्ट की धारा 8 (1) (एच) के अनुसार कोयला कंपनियो को कोई विशेष निर्देश जारी नही किया गया था जो विधि में अन्यथा अनुज्ञेय है।

यह हो सकता है कि ई- विपणन तथा / या ई- विज्ञापन तथा / ई -संविदा की प्रक्रिया विश्व के विभिन्न भागो में चालू है लेकिन ई-नीलामी जिसके भिन्न अवधारणा की बराबरी इसके साथ नही की जा सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार कोयला आवश्यक वस्तु है। कोयला खान नियंत्रण आदेश अन्य बातो के साथ आवश्यक वस्तु के अधिक कीमत की उपलब्धता तथा साम्यापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इस लिए, कोयला कंपनियो तथा केन्द्र सरकार का पूरा करना संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता है। इस प्रकार एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करने वाले कोयला कंपनियो द्वारा कोयले का वितरण साम्यापूर्ण तरीके से तथा उचित मूल्य पर किया जाना आवश्यक है।

तारा प्रसाद सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से विचार किया है कि क्यो संसद ने राष्ट्रीयकरण अधिनियम अर्थात आम लोगो की भलाई के लिए राज्य में निहित संसाधनो का वितरण करने को अधिनियमित करना उपयुक्त समझ था। जबकि यह घिसा पिटा है कि साम्यापूर्ण वितरण या अन्यथा के प्रयोजन हेतु मूल्य का निर्धारण विशुध् रूप से लाभ हेतु द्वारा चालू नही किया जा सकता है। इसे इस प्रकार से अपने कार्यो का निर्वहन नही करना चाहिए जिससे विशेष उन लोगो की कीमत पर भारी लाभ कमाने की अभिलाषा पैदा हो जो कोयला जैसे एकाधिकारी मद के आपूर्ति के लिए इन पर पूर्णतया निर्भर है। यह विधि नही

हो सकती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को आवश्यक वस्तुओ का विक्रय करते समय हानि उठानी चाहिए। यह भी विधि नही है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमो को सब्सिडी का वितरण करना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) तथा अनुच्छेद 14 के अधीन वर्णित संवैधानिक स्कीम के अनुसार उक्त आवश्यक वस्तु को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। फिर भी, इस मामले के प्रयोजन के अनुसार, हमारे लिए आवश्यक वस्तु या अन्यथा के रूप में कोयले के कीमत के निर्धारण के सिद्धांत का सविस्तार वर्णन करना जरूरी नही हो सकता है।

जहाँ तक ढंग तथा तरीका जिसमें आवश्यक वस्तुओ जिस पर एकाधिकारी अधिकार का प्रयोग किया जाता है के कीमत के निर्धारण पर विचार विमर्श किया गया था का संबंध है हमारे समक्ष पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयो पर भरोसा किया है। हमने पल्लवी रिफैक्टरीज (ऊपर) में इस न्यायालय के हाल के निर्णय को पढ़वाया भी है।

ई-नीलामी के आधार पर कीमत निर्धारित नही किया जाता है क्योकि यह बिड से बिड भिन्न होगा। कोयला को एक माह में कम से कम दो बार ई-नीलामी द्वारा बेचा जाता है। ऐसे कई स्थान होगे जहाँ ई-नीलामी एक साथ की जायेगी। ई-नीलामी में, ग्रेड ,आधार ,कोयला खान जिससे इस का दोहन किया जाता है पर भरोसा करते हुए कोयले का गुण विनिर्दिष्ट होता है। इस प्रकार की स्थिति में, समान रूप से कोयले की इसी गुणवत्ता के लिए कीमत अत्यधिक भिन्न होगा क्योकि विडर अपने स्वयं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिड करेगा। बार-बार बिडो की अनुमति देने से, व्यक्ति जिसे आवश्यक वस्तु की जरूरत है इसे साबित करने में सक्षम नही होगा तथा इसकी गैर उपलब्धता के परिणाम स्वरूप उत्पादन बंद हो सकता है जिससे कई कठिनाईयाँ होगी। इसलिए इसे निराशाजनक स्थिति में डाल दिया जायेगा। एक मात्र कीमत जो ई-नीलामी के लिए निर्धारित है आरक्षित मूल्य है जो अधिसूचित कीमत से 25 प्रतिशत ऊपर है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उचित तथा युक्तियुक्त कीमत का निर्धारण करते समय (यद्यापि कीमत दोहरी नही है), यह आवश्यक है कि कीमत वास्तव में नियत हो । इस तथ्य दृष्टिगत कि कोयला आवश्यक वस्तु है इस प्रकार का मूल्य निर्धारण आवश्यक है। इस लिए, यह महत्वपूर्ण है कि कीमत को वास्तव में नियत किया जाय तथा परिवर्तनशील न रखा जाय। कोयले के कीमत का निर्धारण अत्यधिक महत्व का है क्योकि यह अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का खनिज है। कोयला तथा परिणामस्वरूप अन्य उत्पादो की

अनुपलब्धता के कारण कुछ नागरिक वर्ग को कठिनाई हो सकती है। इससे कारखानो तथा अन्य उद्योगो का बंद होना आवश्यक हो सकता है जिसके बदले में राज्य राज्यकोष को हानि होगी ; जिससे यह अपने करो से वंचित हो जाएगा। इस कारण बड़ी संख्या में कर्म व्यापारियो का रोजगार समाप्त हो सकता है तथा लघु उद्योगो को प्रोत्साहित करने के केन्द्र सरकार के एकीकृत उद्देश्य के लिए हानिकारक होगा।

स्वयं कोयला को कोरक्षेत्र में होना माना जाता है। औद्यौगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अनुसार संसद केन्द्र सरकार से इस प्रकार के कदमो को उठाने की अपेक्षा करता है जो एसएसआई इकाईयो को अपने व्यवहार्यता तथा शक्ति को बनाये रखने में सक्षम बनायेगा जिससे (i) देश के औद्योगिक विकास को संगत तरीके से प्रोत्सहित करने तथा नियोजन की समस्या को आसान बनाने (ii) समाज के महत्वपूर्ण संसाधनो के स्वामित्व तथा नियंत्रण को सुनिश्चित करना जिससे इसका वितरण आम लोगो की भलाई के लिए किया जा सके में प्रभावी हो सके।

गैर-कोर क्षेत्र उपभोक्ताओ के लिए ई-नीलामी का कोयले की कीमत तथा इसके उपलब्धता दोनो पर प्रभाव हुआ है। इसकी उपलब्धता उपभोक्ताओ के सफल बिड पर निर्भर होगा। इसके निश्चित उद्देश्य के लिए अर्थात इसके गैर-कोर क्षेत्र तथा व्यापारियो तक सीमित करने के लिए चालू किया गया था । काफी विस्तार तक इससे विचलन किया गया है। अब भी, कोर क्षेत्र ई-नीलामी में भाग ले रहे, लेकिन इस निमित कोई कदम नही उठाया गया है।

फिर भी केन्द्र सरकार ने हाल में संबद्ध उपभोक्ताओ को कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित किया था लेकिन इन्हे औसत भारित कीमत अदा करना है।

अपने पत्र दिनांक 08/04 /2005 द्वारा केन्द्र सरकार ने यह कहते हुए अध्यक्ष,कोल इंडिया लि0 को सुचित किया था कि गैर कोर क्षेत्र संबद्ध उपभोक्ताओ को कोयले की आपूर्ति एमपीक्यू के आधार पर जारी रहेगा। फिर भी, इस प्रकार के आपूर्तियो के कीमत की गणना औसत ई-नीलामी के आधार पर की जानी चाहिए :

> “एमपीक्यू के आधार पर गैर कोर क्षेत्र उपभोक्ता को आपूर्तित कोयला जारी रहेगा। फिर भी इस प्रकार के आपूर्तियो के लिए कीमत की गणना माह के दौरान औसत ई-नीलामी दर के आधार पर की जायेगी। एनसीसीपी के जरिए छोटे उपभोक्ताओ को दो लाख टन कोयले की बिक्री भी जारी रहेगा। फिर भी, एनसीसीपी को कोयला

आपूर्तियो के लिए कीमत पर नियंत्रण ई-नीलामी कीमतो के आधार पर रखा जायेगा, जैसा ऊपर उल्लिखित है।"

ई-नीलामी के लाभ तथा हानियाँ :

हम इस समय पर ई-नीलामी के तात्पर्यित लाभो का उल्लेख कर सकते है जैसा भारत संघ की ओर से निवेदन किया गया है।

(i) ई नीलामी की व्यवस्था,सामान्य, आसानी से पहुचँ योग्य, पारदर्शी है तथा सभी कोयला ग्राहको/ इच्छुक सेवाओ को समान अवसर देता है।

(ii) भारत का कोई नागरिक देश के किसी भाग के अपने घर / कार्यालय में बैठकर ई-नीलामी के द्वारा कोयला क्रय कर सकता है तथा भाग ले सकता है।

(iii) विडर द्वारा किसी औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता नही होती है जैसे लाइसेंस /कोटा/ प्रायोजन /अनुबंध इत्यादि प्राप्त करना तथा इस प्रकार के किसी औपचारिकताओ को पूरा करने की आवश्यकता नही होती है।

(iv) यहाँ तक कि बिजली/ कम्प्यूटर के बिना भारत के दूरस्थ भाग में स्थित क्रेता निकटतम गांव /कस्बा के साइबर कैफे में पहुचने के लिए स्वतंत्र है तथा ओएसएस के अधीन कोयला कंपनी /कोयला क्षेत्र में आने की अपेक्षा किये बिना ई-नीलामी में भाग ले सकता है।

(v) विडर स्रोत /गुणवत्ता/मात्रा को चुनने के लिए तथा मागँ तथा आपूर्ति के आधार पर स्वयं द्वारा निर्धारित कीमत पर कोयला खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

(vi) कोयला खरीदने के लिए क्रेता का मध्यस्थ/बिचौलिया पर निर्भर होने की आवश्यकता नही है तथा ई-नीलामी द्वारा सीधे क्रय कर सकता है। यह काला बाजारी के गुंजाइस को कम करेगा, यदि पूर्णतया इसे समाप्त नही करता है।

(vii) क्रेता बिचौलिया के कमीशन तथा अन्य आनुषांगिक खर्चो से बच जायेगा।

(viii) आनुषांगिक लाभ संशोधित लाभ के रूप में अर्थात मध्यस्थ का हिस्सा कोयला कंपनियो के काम में लगाकर कोयला कम्पनी द्वारा बाटा जाता है।

(ix) छोटे उपभोक्ताओ के लिए बड़ी संख्या में बाजार है जो इन्हे सीमित बाजार/ कोयला कंपनियो के बजाय किसी कंपनियो/ स्रोतो से अपनी कोयला आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा जैसा पहले के स्कीमो में मामला था।

(x) नीलामी पर विक्रय दूरस्थ क्षेत्रो में भी किया जाता है इस लिए समाज विरोधी तत्वो के किसी छलसाधन/प्रभाव के अधीन नही है।

(xi) व्यवस्था वर्गीकरण के बिना क्रेतागण के सभी श्रेणीयो को आपूर्ति के अधिकृत चैनल का उपबन्ध करता है जो अन्यथा गौण बाजार (काला बाजार) पर निर्भर है।

(xii) बेईमान तत्वो द्वारा विनियोजित पुराने व्यवस्था के अधीन प्रीमियम की जाचँ करवाई जाती है/निर्बन्धित करवाया जाता है।

(xiii) एसएसआई इकाईयो सहित गैर-कोर क्षेत्र के अन्तर्गत कोयले का कोई क्रेता अधिसूचित कीमत से थोड़ा अधिक का भुगतान करके इस अवसर का लाभ उठाने में सक्षम है। ई-नीलामी के व्यवस्था का उद्देश्य अधिक कीमत प्राप्त करना नही है बल्कि गैर-कोर क्षेत्र के क्रेताओ में समान अवसर पैदा करने का प्रयास करना है। फिर भी, हम उल्लेख कर सकते है कि भारत संघ या कोयला कंपनियो का उक्त दावा न्यायसंगत नही है। केन्द्र सरकार के उपरोक्त दावा का खण्डन उपभोक्तागण द्वारा यह कहते हुए किया गया है कि भारत संघ द्वारा दिया गया आकड़ा भ्रामक है। सभी समनुषंगीयो के मूल्य को समनुषंगी बार आक़ड़ा लेने के बजाय संचित रूप से लिया गया है। बिजली, इस्पात, लौह तथा रसायन इत्यादि जैसे कोर क्षेत्र में उपभोक्तागण जैसे ग्रासिम, हिन्डालको, जिन्दल तथा हल्दिया स्टील बड़ी कंपनियाँ है जो ई-नीलामी में भाग ले रही है जिसके परिणाम स्वरूप कोयले की कीमत एसएसआई ईकाईयो के कीमत पर बढा है। इस प्रकार ,कोर तथा गैर कोर क्षेत्रो के संबंद्ध उपभोक्तागण इसमें भाग ले रहे है। ई-नीलामी में कोर क्षेत्र की भागीदारी इसके स्वयं के पॉलिसी के बारे में नकारात्मक है जैसा कोयला मंत्रालय के पत्र दिनांक 08/04/2005 से प्रतीत होता है तथा इस प्रकार , इसे मुनाफाखोरी के आधार पर न्यायसंगत नही ठहराया जा सकता है जिसके साथ एसएसआई ईकाईयो का विद्यमान रहना शामिल है

यद्यपि कंपनियो द्वारा दावा किया गया है कि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले रहे है, हमारे लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि 16000 उपभोक्ताओ में से 12000 ने भाग लिया है चुकि ई-नीलामी को बार-बार और किया गया है, बार-बार एक ही व्यक्तियो द्वारा भाग लेने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।

भारत संघ के आधार को समझना कठिन है कि ई-नीलामी का आश्रय अधिक से अधिक व्यक्तियो द्वारा लिया जा रहा है तथा यदि ऐसा है तो कोई कारण नही है कि क्यो ई-नीलामी द्वारा कोयले की कीमत गिरी है।

हमारे समक्ष यह प्रदर्शित करने के विचार से चार्ट दाखिल किया गया है कि ई-नीलामी के स्कीम के चालू होने के बाद, कई कोक ओवन को कोयले की आपूर्ति इसके अंतिम उत्पादन को प्रभावित करते हुए घटी है। आशंकाएँ उठाई गई है कि अंततोगत्व कई कंपनियाँ बंद हो सकती है। हमारा मानना है कि कोयला कंपनियो को इसे देखना चाहिए जिससे इस प्रकार की स्थिति से बचा जा सके।

फिर भी यह विवादित नही कि नीलामी कीमत के ऑनलाइन होने के नाते, अन्य बोली लगाने वाले को बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत बोली के अन्तर्वस्तु की जानकारी नही है। किसी बोली लगाने वाले की पहुँच ई-नीलामी से संबंधित अभिलेखो तक नही होगी जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन सबसे अधिक बोली लगाने वाला है या सबसे अधिक बिड मूल्य क्या है या कोयले के विशेष ग्रेड के विरूद्ध बोली लगाने वालो के दवारा प्रस्तुत विभिन्न बोलीयो के संबंध में किसी बोली लगाने वाली की जानकारी या पहुँच नही होगी जिससे विशेष ग्रेड के कोयले के औसत ई-नीलामी कीमत पर पहुँचा जा सके। मात्र एनएसटीसी तथा एमजेसीपीएल तथा ऐसी कंपनीयाँ जो ई-नीलामी कर रहे है, का बोली लगाने वालो द्वारा प्रस्तुत बोली के विवरणो तक पहुँच होगी। कोई अर्हता मानक निर्धारित नही किया गया है, व्यापारियो सहित कोई व्यक्ति ई-नीलामी में भाग सकता है तथा बोली लगा सकता है। अधिकतम कीमत अधिकतम मात्रा उक्त स्कीम के अनुसार बोली लगाने वाले को विक्रय /आवंटन हेतु एक मात्र कारक है, क्योकि ई-नीलामी के परिणाम स्वरूप व्यापारीगण भारी मात्रा में कोयला खरीद रहे है। परिणाम स्वरूप कठोर कोक तथा धूमहीन कोयला के उत्पादन कर्ताओ तथा अन्य छोटे ईकाईयो को व्यापारियो से निषेधक दर पर कोयला खरीदना पड़ता है। इस प्रकार ई-नीलामी के बोली लगाने वालो को कोयले के आवंटन हेतु वर्गीकरण असाम्यापूर्ण,अतार्किक तथा आकस्मिक है।

इस समय पर कोयले के आवंटन हेतु वर्गीकरण का उल्लेख हमारे द्वारा किया जा सकता है :

आवंटन निम्न आधार पर ई-विक्रय साफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है।

(क) पहली वरीयता अधिकत्तम बोली कीमत को दी जाती है।

(ख) यदि दो या अधिक पक्षकारगण एक ही कीमत की बोली लगाते है, तब आवंटन हेतु वरीयता उस पक्षकार को दिया जाता है जो अधिक मात्रा के लिए बोली रखता है।

(ग) यदि दो या अधिक पक्षकारगण एक ही कीमत तथा मात्रा की बोली लगाते है तब वरीयता उस पक्षकार को दी जाती है जिसने पहले बोली रखा है।

चुँकि विशेष ग्रेड विभिन्न बोली लगाने वालो को विभिन्न कीमतो पर आवंटित/बेचा जाता है, अंततोगत्वा ई-नीलामी के कारण विशेष ग्रेड के कोयले की ब्रिकी बाजार में परिवर्तनशील कीमतो पर की जाती है।

औसत ई-नीलामी दर पर संबंद्ध उपभोक्ताओ को कोयले के विक्रय के आशाजनक भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप के बावजूद, संबद्ध उपभोक्ताओं को विक्रय अधिकतम बोली कीमत पर किया जा रहा है न कि औसत बोली के कीमत पर।

यह स्वीकार किया जाता है कि कोयला दुर्लभ वस्तु है तथ सरकारी कम्पनियाँ इसके मांग के अनुसार कोयला आपूर्ति के स्थिति में नही है, जो इस तथ्य के बावजूद बहुत बड़ा हो सकता है कि कोयले के कतिपय स्तर के आयात की भी अनुमति दी जाती है।

फिर भी, स्वतः ई-नीलामी का लाभ या इसकी हानियाँ निर्णायक नही हो सकती है क्योंकि यह न्यायालय इसके संवैधानिकता से संबद्ध है। इससेइंकार या खण्डन नहीं किया गया है कि ई-नीलामी के आधार पर कोयले की कीमत निर्धारित नहीं है। मूल्य निर्धारण की अवधारणा यह है कि सभी व्यक्ति जिन्हें वस्तु की आवश्यकता है इसके आधार या मानक को जानना चाहिए। यदि कीमत का निर्धारण किया जाता है, ये लोग इस प्रकार से अपने स्वयं के व्यापार पालिसी का निर्धारण करने में सक्षम होगें जिससे इनके पास प्रतियोगिता के बाजार से क्षैतिज खेल का मैदान हो सके तथा इस प्रकार की प्रतियोगिता न केवल उन व्यक्तियों के बीच हैं जिनकी साध्य-परियोजना समान है या अन्यथा कोयले पर आधारित है लेकिन जो अन्य उत्पादों को पैदा करते हैं जो पूर्णतया कोयले पर आधारित नहीं है। कोयले के कीमत में अस्थिरता उन सभी को प्रभावित करेगा जो कोयले पर निर्भर है उदाहरणार्थ, हम देख सकते हैं कि कठोर कोक को इस्पात के उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कोयले की कीमत निर्धारित नही होती है, कठोर कोक के कीमत का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जो इस्पात या धूमहीन कोयले के कीमत में अनिश्चितता को उद्भूत कर सकता है जो घरेलू उपयोग के लिए तथा छोटे होटलों में उपयोग के लिए तथा/या ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग दोनों के लिए छोटे उपभोक्ताओं के

आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोयले के कीमत को सार्वजनिक किया जाय। कोयला कम्पनियाँ का तर्क यह है कि एलपीजी के उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए धूमहीन कोयला अब उपयोग में नही है। प्रथमदृष्टया उक्त अभिवाक् अस्वीकार्य है।

इसके अलावा, क्रमशः एलपीजी के मूल्य का निर्धारण भी अन्य देशों में तेल उत्पादों के निर्धारण पर निर्भर होगा। यह सर्वविदित है कि केन्द्र सरकार प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जो सर्वसाधारण को कारित हो सकता है, इसके कीमत का निर्धारण करने के पहले सभी एहतियात बरतता है। केन्द्र सरकार ने कभी भी एलपीजी की कीमत अत्यधिक नही बढ़ाया है।

निर्धारित या परिवर्तनशील कोयले के कीमत के निर्धारण के ढंग के संबंध में नीतिगत निर्णय को अपनाते हुए कोयला मामले में सामाजिक तथा आर्थिक पहलू को ध्यान में रखने में बाध्य है। ये कोई ऐसा कदम नही उठा सकती है जो संवैधानिक लक्ष्य को विफल करे (देखिये महावीर आटो स्टोर्स तथा अन्य बनाम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन तथा अन्य (1990) 3 एससीसी 752)

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत ऊर्जा के आपूर्ति के लिए टैरिफ का निर्धरण करते समय भी, मात्र युक्तियुक्त लाभ अनुध्यात किया जाता है मुनाफाखोरी नही। (देखिए एस.एन. गोविन्द प्रभू (ऊपर) तथा ओएनजीसी (ऊपर)।

यह सत्य हो सकता है जैसा उपरोक्त मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एकमात्र लागत कीमतों को निर्धारित नही किया था तथा इसका निर्धारण करे जटिल कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात किया जाना चाहिए लेकिन इस न्यायालय का निर्णय यह नही कहता है कि कीमत का मनमाना निर्धारण तथा निर्धारण का मनमाना ढंग युक्तियुक्तता के कसौटी को पूरा करेगा जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में अन्तर्विष्ट है।

विद्वान अपर सालीसिटर जनरल ने उड़ीसा राज्य तथा अन्य बनाम हरी नारायण जायसवाल तथा अन्य (1972) 2 एससीसी 36 में इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत भरोसा रखा है, जिसमें इस न्यायालय में अभिनिर्धारित किया।

> "धारा 22 तथा 29 के अन्तर्गत सरकार को प्रदत्त शक्ति के अलावा भी, हम यह विचार करने में असफल है कि कैसे अपने आदेश दिनांक जनवरी, 6, 1971के खण्ड (6) के अन्तर्गत सरकार द्वारा रखे गये शक्ति को असंवैधानिक के रूप में माना जा सकता है। जैसा कुँवर जी बी. भरूपा मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, थोक या खुदरा में शराब बेचने के अनन्य अधिकार को बेचने का एक महत्वपूर्ण

उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है। आबकारी राजस्व प्रत्येक राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। सरकार राज्य के वित्त का अभिभावक है। इससे राज्य के वित्तीय हित की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, विधान मण्डल ने सरकार को यह देखने के लिए सशक्त किया है कि इसके राजस्व में कोई प्रकटन नही है। यह विनिश्चिय करना सरकार का काम है कि क्या नीलामी विक्रय में आफर किया गया कीमत पर्याप्त है। विड को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, यह मात्र कार्यकारी कार्य कर रहा होता है। इसके निष्कर्ष की विशुद्धता न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुला नही है। हम यह विचार करने में असफल है कि कैसे अनुच्छेद 19(1)(जी) या अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का अभिवाक् इन मामलों में उठ सकता है। धारा 22 में निर्दिष्ट अनन्य विशेषाधिकार को बेचने की सरकार भी शक्ति का खण्डन नही किया गया है। यह भी खण्डन नही किया गया है कि इन विशेषाधिकारों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है। सार्वजनिक नीलामी सर्वोत्तम संभव कीमत प्राप्त करने के लिए करायी जाती है। एक बार इन पहलुओं को स्वीकार कर लिया जाता है यह तर्क देने के लिए कोई आधार प्रतीत नही होता है कि प्रश्नगत विशेषाधिकार का स्वामी जिसने इन्हें बेचने का आफर दिया था सबसे अधिक बोली को स्वीकार करने से इंकार नही किया जा सकता है यदि यह सोचता है कि आफर की कई कीमत अपर्याप्त है। बोली स्वीकार किये जाने तक समाप्त संविदा नही होती है। समाप्त संविदा के पहले, बोली लगाने वाले अपने बोली को वापस लेने के लिए स्वयंमेव है- देखिए भारत संघ बनाम अभिसेन वलैती राम। मात्र बोली लगाने से बोली लगाने वालों ने कोई निहित अधिकार प्राप्त नही किया था। तथ्य कि सरकार विक्रेता है विधिक स्थिति को बदलता नही है एक बार इन विशेषाधिकारों को बेचने के इसके अनन्य अधिकार को मान लिया जाता है। यदि सरकार इन विशेषाधिण्कारों को अनन्य स्वामी है, अनुच्छेद 18(2) (जी) या अनुच्छेद 14 पर भरोसा असंगत हो जाता है। नागरिकों के पास सरकार के सम्पत्तियों का अधिकारों में व्यापार जारी रखने या व्यापार का कोई मौलिक अधिकार नही हो सकता है न ही अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन हो सकता है, यदि सरकार अपने बहुमूल्य अधिकारों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध कीमत को प्राप्त करने का प्रयास करता है। राज्य न्यायालय यह विचार करने में पूर्णतया गलत था कि अधिनियम की धारा 22 तथा 29 का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है। राजस्व बढ़ाना जैसा इस न्यायालय द्वारा कुंवर जी बी. भरूचा के मामले में अधिनिर्धारित

किया गया है इस प्रकार के प्रावधानों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तथ्य कि देश के शराब के विक्रय द्वारा मिली कीमत आबकारी राजस्व है अधिकार के प्रकृति को बदलता नही है। प्रश्नगत विक्रय और कुछ नहीं है बल्कि राजस्व बढ़ाने का ढंग है। यह मामते हुए कि मनमाना या अनियंत्रित शक्ति का प्रश्न इस प्रकृति के मामले में पैदा हो सकता है, यह नही भूलना चाहिए कि अधिकतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति राज्य में सबसे बड़े प्राधिकरण अर्थात् सरकार को दिया जाता है जिससे राज्य के वित्त की सुरक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार के शक्ति को मनमाना शक्ति के रूप में नही माना जा सकता है। यदि इस शक्ति का प्रयोग किसी सांपशि्र्वक प्रयोजन हेतु किया जाता है, शक्ति के प्रयोग को अभिखंडित किया जायेगा। यह भी याद रखा जा सकता है कि इसमें हम प्रत्यायोजित शक्ति पर विचार नही कर रहे हैं बल्कि विधान मण्डल द्वारा प्रदत्त शक्ति पर विचार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने त्रुटिपूर्वक सोचा था कि सरकार न्यायालय के संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि बोली लगाने वालों के बीच दूरभिसंधि था। उच्च न्यायालय सरकार द्वारा किये गये आदेश के विरूद्ध अपील पर नही बैठा था। सरकार का अनुमान कि बोली लगाने वालों में दुरभिसंधि था सही या गलत हो सकता है। लेकिन यह न्यायिक पूनर्विलोकन के लिए खुला नही था जब तक यह साबित नही हो जाता है कि यह छल था। सरकार द्वारा बनाई गई वास्तविक राय यह है कि बिकी कीमत पर्याप्त नही था। यह कि निष्कर्ष सरकार के अपेक्षाओं के आधार पर लिया गया है। सरकार द्वारा पहुँचा निष्कर्ष किसी के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने वेरियम केमिकल्स लि0 बनाम कंपनी लॉ बोर्ड तथा रोहतास इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम एस.टी. अग्रवाल में इस न्यायालय के निर्णय के विनिश्चयाधार को दुष्प्रयुक्त किया था।' '

नागरिकों के पास सरकार के वस्तु में व्यापार या कारोबार जारी रखने का कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें, न्यायालय शराब से संबद्ध था जिसे वाणिज्य या व्यापार से परे माना गया था।

फिर भी हम उल्लेख कर सकते हैं कि इस न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंदलाल जायसवाल (1986) 4 एससीसी 566 तथा खोदे डिस्टलरीज लि0 तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य (1995) 1 एससीसी 574 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि शराब के व्यापार के संबंध में भी, अनुच्छेद 14 लागू होगा।

रामन दयाराम शेट्टी बनाम इन्टरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इण्डिया तथा अन्य (1979) 3 एससीसी 489 एआईआर (1979) एससी 1628 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

> "सरकार का लोकतांत्रिक रूप समानता तथा इस प्रकार के संव्यवहारों में मनमानापन तथा भेदभाव के अभाव की मांगे करता है..... सरकार के क्रियाकलापों में सार्वजनिक तत्व है तथा इसलिए निष्पक्षता तथा समानता होनी चाहिए। राज्य द्वारा किसी के साथ कोई संविदा करना आवश्यक नही होता है, लेकिन यदि यह ऐसा करता है, इसे ऐसा निष्पक्ष तरीके से भेदभाव के बिना तथा अनुचित प्रक्रिया के बिना करना चाहिए। यह प्रतिपादना सर्वसाधारण के साथ सरकार द्वारा व्यापार के सभी मामलों में लागू होगा, जहाँ संरक्षित किये जाने के लिए ईप्सित हित विशेषाधिकार है। इसलिए इसे विधि होना माना जाना चाहिए जहाँ सरकार का संबंध सर्वसाधारण से है, चाहे नौकरीया देकर या संविदा करके या कोटा या लाइसेन्स जारी करके या अन्य प्रकार के दान को देकर रखा जाता है, सरकार मनमाना तरीके से स्वेच्छा से काम नही कर सकता है तथा प्राइवेट व्यक्ति की भांति, किसी व्यक्ति से व्यापार कर सकता है जैसा यह चाहता है, लेकिन इसका कार्य मानक या सन्नियमां के अनुरूप होना चाहिए जो मनमाना, अतार्किक या असंगत नही है। "

इसके अलावा यह कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी, अभ्यावेदित द्वारा इसमें भागीदार कस्तूरी लाल, वार्ड सं0 4, पैलेसवार, पुंच, जम्मू एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा अन्य (1980) 4 एससीसी 1 जैसा मामला नही है, तत्पश्चात् पुनः विद्वान अपर सालीसिटर जनरल ने भरोसा किया कि सरकार इस तरह से कार्य नहीं कर सकता है जो पक्षकार को लाभान्वित करेगा लेकिन तब उक्त निर्णय लागू नही होगा जब राज्य एकाधिकारी के रूप में आवश्यक वस्तु का क्रय विक्रय कर रहा है।

एक एकाधिकारी प्रतिष्ठान सभी वर्ग के लोगों के आवश्यकता का प्रबन्ध करने के लिए अभिप्रेत है। जबकि कोरक्षेत्र के मांग को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, केन्द्र सरकार तथा 1945 आदेश के अनुसार कोयला नियंत्रक ने उन उद्योगों को कुछ वरीयता देने के बारे में सोचा था जो धूमहीन कोयला उत्पादित करता है। धूमहीन कोयला उत्पादकों ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद की इकाई केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कोयला खनन तथा योजना विकास जो कोल इंडिया लि0 की समनुषंगी है द्वारा आविष्कृत नई प्रौद्योगिकी के अविष्कार के आधार पर इसका उत्पादन करना आरंभ किया था।

हमने एतस्मिन्पूर्व यह देखा है कि जब स्वयं को भला कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोयला का उत्पादन किया था, यह स्वास्थ्य को खतरा कारित किया करता था। इन लोगों ने उत्पादित मुलायम कोक के उत्पादन का बर्हिस्रोत उत्पादन चाहा था, जिसके लिए इसने बिहार तथा पश्चिम बंगाल के सरकारों से कोयला के आपूर्ति का आश्वासन देते हुए धूमहीन कोयला स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए कहा था। इसलिए इस प्रकार के अनुबंध अवस्था को विकसित किया गया है जिसके अन्तर्गत उपभोक्तागण खानो को विनिर्दिष्ट करने के लिए संबद्ध है जिससे इसने मासिक आधार पर कोयला के विनिर्दिष्ट मात्रा तथा विनिर्दिष्ट ग्रेड को प्राप्त किया था।

विशेष रूप से, कोक ओवन इकाईयाँ गैर कोर क्षेत्र के डब्लू-II, डब्ल्यू-III एवं डब्ल्यू-ष्ट में सम्बद्ध है। ई-नीलामी के आश्रय के बावजूद अनुबंध अवस्था के महत्व को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, जैसा इसके पत्र दिनांक 19.04.2005 से प्रतीत होता है। जबकि कठोर कोक के उत्पादकों के लिए कोकिंग कोयला आवश्यक है, अन्य के लिए मात्र गैर कोकिंग कोयला आवश्यक होगा।

कोयले के निर्धारित कीमत होने की आवश्यकता का समर्थन एमएमआरडी अधिनियम 1957 की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा किया गया है जिसमें यह उपबंधित है कि रायल्टी की दर को तीन वर्ष के अन्दर पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। (देखिए एआईआर (1996) एससी 2560) तीन वर्ष के अवधि को चूंकि चार वर्ष के अवधि में बदला गया है। इसके पहले पांच वर्ष की अवधि इसके लिए निर्धारित थी। केन्द्र सरकार ने भी 13-10-2001 को सम्पन्न बैठक में कोयले के निर्धारित मूल्य के होने के आवश्यकता पर बल दिया था तथा इस तथ्य को ध्यान में रखा था कि कीमत वृद्धि अनुचित कठिनाई पैदा करेगा जिसे लघु उद्योग द्वारा भुगता जा सकता है तथा जो इनके वृद्धि से संबंधित हो सकता है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया गया है कि गैर कोर क्षेत्र के लिए मूल्य वृद्धि एक वर्ष के अवधि में एक से अधिक बार नही किया जाना चाहिए।

न्यायालय इस प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हुए इस तथ्य की अनदेखी नही कर सकता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अलावा, कोयले का सम्पूर्ण नियंत्रण तथा विनियमन केन्द्र सरकार द्वारा भारत के संविधान के सातवें अनुसूची के सूची-I के प्रविष्टि 54 तथा सूची-I के प्रविष्टि 52 के अनुसार ग्रहण किया गया है। इस प्रकार के शक्ति के प्रयोग में, संसद ने औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 तथा खान एवं खनिज

(विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1957 अधिनियमित किया था। इसलिए, लगातार स्वतः विभिन्न कीमत उक्त अधिनियम के अन्तर्गत तथा कथित नीतियों के विरूद्ध होने के नाते अयुक्तियुक्त तथा अनुचित प्रतीत होता है।

हम यह सुझाव नही दे रहे हैं कि अनुबंध व्यवस्था का कभी भी अंत नहीं किया जा सकता है लेकिन यह भी समझा जा सकता है कि जैसे अनुबंध प्रणाली को कायम रखते हुए इसे परोक्ष रूप से इसके लाभ से वंचित किया जा सकता है तथा कैसे इनके साथ वर्ताव समान रूप से अन्य व्यापारियों के समान किया जाना चाहिए। व्यापारीगण को निर्विवादित रूप से कोयला की आवश्यकता होगी लेकिन अपने स्वयं के खपत के लिए नहीं। यदि ये कोयला किसी कीमत पर क्रय करते है ये इसे अधिक कीमत पर बेचेगें। ये निश्चित रूप से कोयले के कीमत में परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखेगें क्योंकि इसके अंत्य उत्पादों की कीमत का इससे संबंध होगा। इसके अलावा, यदि व्यापारीगण कोयला प्राप्त करने के लिए अधिक कीमत अदा करेगें, सामान्य उपभोक्तागण को और अदा करना होगा। इस प्रकार, ऐसे लोग जो संबद्ध उपभोक्तागण है या जो छोटे व्यापारीगण है, भिन्न आधार पर खड़े है। मात्र इसे उन व्यापारियों को लाभ के रूप में बेचना जो क्रय क्षमता नही रखते हैं बाजार के शर्तों द्वारा सीमित या नियंत्रित नही है, जबकि यह संबद्ध गैर कोर क्षेत्र के लिए ऐसा ही है। स्वयं व्यापारीगण बाजार के शर्तों को सृजित तथा नियंत्रित करते हैं।

मोहम्मद उस्मान बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एआईआर (1971) एससी 1801 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

> "विधि की प्रतिपादना कि समानता का सिद्धान्त न केवल तब आकृष्ट होता है जब समान के साथ बर्ताव असमान के रूप में किया जाता है बल्कि तब भी होता है जब असमान के साथ बर्ताव समान के रूप में किया जाता है तथा यह कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन दोनों निष्कर्ष भिन्नता द्वारा किया जाता है जब कुछ नही होता है तथा अंतर न करते हुए जब एक समान्य होता है। लेकिन समानता का नियम भेदभाव से बचते हुए न्याय देने के लिए आशयित होता है।"

(देखिए मोटर जनरल ट्रेडर्स बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1984) 1 एससीसी 222, पैरा 10, इन्द्रा साहनी-।। बनाम भारत संघ (2000) 1 एससीसी 168, पैरा 27, उ0प्र0 राज्य बनाम जोहरी मल (2004) 4 एससीसी 714 पैरा 41 तथा ई.वी. चिन्नैया इत्यादि बनाम आन्ध प्रदेश राज्य तथा अन्य इत्यादि (2005) 1 एससीसी 394 पैरा 66 से 69)

स्वयं कोयल कम्पनियों ने सिविल अपील सं0 547 वर्ष 2004 में विजय कुमार पोद्दार के मामले में इस अंतर पर बल दिया था। फिर भी हमें, उक्त मामले पर विचार अलग से करने की आवश्यकता नही है क्योंकि उठाया गया प्रश्न अन्य मामलों से अन्र्तसंबंधित है। हम तत्काल यह उल्लेख कर सकते हैं कि संबद्ध क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति को बनाये रखने की आवश्यकता पर बल स्वयं कोयला कम्पनियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दाखिल अपने विशेष अनुमति याचिकाओं में दिया गया था।

यह सत्य हो सकता है कि संबद्ध उपभोक्तागण कोयला प्राप्त करने के लिए दो अवसर प्राप्त करते है, एक ई-नीलामी द्वारा तथा पुनः औसत भारित कीमत अदा करके, लेकिन कोयले की उपलब्धता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निश्चित नही है कि सर्वसम्मति से, एमपीक्यू के अवधारणा को ध्यान में रखते हए, ये अपने मांग के अनुसार पूरी आपूर्ति प्राप्त करेगें। अन्यथा भी, उपभोक्तागण तथा व्यापारियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार भिन्न श्रेणी के रूप में उपभोक्ताओं के विरूद्ध श्रेणी के रूप में उपभोक्ताओं के लिए भिन्न कीमत व्यवस्था की जरूरत पैदा होती है।

ई-नीलामी की मूल स्कीम केवल संबद्ध गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों पर लागू होने के लिए अभिप्रेत है। इस प्रकार, इसके द्वारा पालिसी कि सम्बद्ध उपभोक्ताओं को स्वयं द्वारा श्रेणी बनाना चाहिए की अवज्ञा किया जाना इप्सित था। फिर भी, हमने एतस्मिन्पूर्व उल्लेख किया है कि केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए, कोयला कम्पनियाँ उक्त स्कीम से विचलित हो गई थी तथा गैर-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पृथक श्रेणी माना गया था, क्योंकि ये न केवल व्यापारियों के साथ ई-नीलामी में भाग लेने के हकदार बने थे बल्कि वास्तव में औसत भारित कीमत पर अपनी कीमत अदा करने के अधीन गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों के संबंध में अपने स्वयं के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोयले की आपूर्ति के बारे में आश्वस्त किया जाना इप्सित था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष तथा इस न्यायालय के समक्ष कोयल कम्पनियों द्वारा लिया गया आधार मात्र इस संदर्भ में महत्व रखता है। फिर भी, अब यह प्रतीत होता है कि कोयला कम्पनियों ने ई-नीलामी के मूल स्कीम की पूर्ण उपेक्षा किया है क्योंकि न केवल व्यापारियों या गैर-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बल्कि कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई थी। किसी श्रेणी में आने वाला कोयले का उपभोक्ता तथा व्यक्ति जो अपने निजी उपयोग के लिए कोयला खरीदना चाहता है, इसलिए ई-नीलामी में भाग लेने का हकदार होगा। जबकि कोर क्षेत्र में उपभोक्तागण न केवल कोयला

कम्पनियों द्वारा निर्धारित कीमत पर कोयले के आबंटन का हकदार होगे बल्कि ई-नीलामी में भाग लेने के हकदार होगे। गैर कोर क्षेत्र के उपभोक्तागण यद्यपि संबंद्ध उपभोक्तागण के रूप में व्यापारियों के मुकाबले अलग तथा भिन्न श्रेणी बनते है, में निर्धारित कीमत पर कोयला प्राप्त करने के लाभ का हकदार नही होगे। उपभोक्ता के दोनों श्रेणियों के बीच भेदभाव के संबंध में प्रश्न कुछ महत्व का है।

परिणाम यह है कि आज जबकि कोर क्षेत्र (92 प्रतिशत) स्वयं तथा गैर कोर असंबद्ध एसएसआई/छोटी इकाईयाँ (एनसीसीएफ/अन्य अभिकरणों द्वारा) (1 प्रतिशत) कोयला निर्धारित कीमत पर आपूर्ति कर रही है, दूसरी तरफ, गैर कोर संबद्ध एसएसआई/छोटी इकाईयाँ (4 प्रतिशत) के साथ ई-नीलामी के व्यापारी नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा अभिनिश्चय किये जाने वाले कीमत पर परवर्ती को कोयले की आपूर्ति करते हुए किसी तार्किक वर्गीकरण के बिना भेददर्शक बर्ताव किया जा रहा है तथा इसके द्वारा याची इकाईयों को व्यापारी के सममूल्य पर रखा जा रहा है इसलिए ई-नीलामी की स्कीम भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 के अधिकारातीत है।

न्यायिक पुनर्विलोकन :

इस आशय का विद्वान अपर सालीसिटर जनरल का निवेदन है कि राज्य का नीतिगत निर्णय न्यायिक पुर्नाविलोकन की विषयवस्तु नही हो सकता है। नामंजूर होना बताया गया है।

ई-नीलामी केन्द्र सरकार का नीतिगण निर्णय नहीं है। केन्द्र सरकार के कार्यपालक की ओर से इस प्रकार के नीतिगण निर्णय का अर्थ सही मायने में भारत के संविधान के अनुछेद 77 के अनुसार लगाया जाना चाहिए । इस प्रकार के शक्तियों के बारे में इसके प्रयोग का पालिसी द्वारा मुख्य निर्धारण से कोई लेना देना नही है। राज्य आवश्यक वस्त अधिनियम के अन्तर्गत अपने शक्ति का प्रयोग करते हए कई कारकों विशेष रूप से लोगों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हए कीमत का निर्धारण करता है। इसलिए आवश्यक वस्तु का मूल्य निर्धारण जनहित के कसौटी पर किया जाता है। ऐसा करते समय राज्य से तार्किक एवं उचित प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है तथा उक्त प्रयोजन हेतु आंकड़ा एकत्रित कर सकता है, जनमत प्राप्त कर सकता है तथा विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकता है।

फिर भी, मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, कोयला कम्पनियों का दृष्टिकोण, जिन्हें भारत संघ के अनुसार कोयला के लिए अपने कीमत का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी, मात्र लाभ कमाना है। यह स्वीकार किया गया है कि तीन समनुषंगी कम्पनियां तथा कोल इंडिया लि0 जो भारत कोकिंग कोल लि0 (बीसीसीएल) जैसी बीमार कम्पनियाँ थी, ने ई-नीलामी

आरंभ किया है। ये काफी हद तक अपने प्रयास में सफल हुए हैं क्योंकि उक्त कोयल कम्पनियाँ अब बीमार कम्पनियाँ नही है। ये विक्रेता के रूप में अपने हित की सुरक्षा करने के लिए अग्रसर हुए है न कि राज्य के रूप में। ई-नीलामी का आश्रय प्रमुख रूप से लाभ हेतु द्वारा लिया गया था। जनमत की मांग नही की गयी थी का विशेषज्ञ समिति को नियुक्त नहीं किया गया था। कानूनी तथा संवैधानिक कर्तव्यों को ध्यान में नही रखा गया था। सुविधाजनक रूप से, उक्त नीतिगत निर्णय करते समय कोयला कम्पनियों ने स्वयं को याद नहीं दिलाया था कि चूंकि ये राज्य के परिकरण है, ये राज्य के निदेशक सिद्धान्तों तथा प्रमुख उद्देश्य का पालन करने के लिए बाध्य है जिसके लिए राष्ट्रीयकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

सुशासन तथा अच्छा कार्पोरेट शासन मिल तथा पृथक है। जबकि सुशासन का मतलब कमजोर लोगों की रक्षा करना होगा, जहाँ तक अच्छा कार्पोरेट शासन का संबंध है, यह अधिक सुसंगतता का नही हो सकता है। ई-नीलामी का आश्रय लेने में कोयला कम्पनियों ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा को लागू नही किया था।

मुनाफा खोरी क्या होगी का उल्लेख टी.एम.ए. पाई फाउन्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481, इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2003), 6 एससीसी 697 तथा पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी 537 में किया गया है।

इन निर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि शिक्षा उद्योग है तथा जो शिक्षा देते है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अनुसार अपने मौलिक अधिकार के हिस्सा के रूप में ऐसा करते हैं, मुनाफाखोरी का आश्रय नही लिया जाना चाहिए।

वास्तव में मूल्य निर्धारण पर इस न्यायालय का निर्णय यह भी बताता है कि यद्यपि युक्तियुक्त लाभ अनुज्ञेय हो सकता है, मुनाफाखोरी नही होगा।

कोयला कम्पनियाँ मूल्य निर्धारण तैयार करती है लेकिन सर्वसम्मति से ये ऐसा केन्द्र सरकार के कहने पर कर रही है। केन्द्र सरकार अपने कानूनी शक्ति का प्रयोग करना चाहती है। फिर भी, इस प्रकार की शक्ति 2000 आदेश के चोरों कोनो तक सीमित है। जब कीमत पर नियंत्रण नही होता है, केन्द्र सरकार को ऐसा कोई निदेश जारी करने से रोका जाता है जिसका इस पर प्रभाव होगा।

कोयला कम्पनियाँ जो इसलिए लोक प्राधिकरण है जब संवैधानिक स्कीम को लागू करने की मांग कर रही है जैसा राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 तथा 1973 के प्रस्तावना में अन्तर्विष्ट

है केन्द्र सरकार के आदेश पर कार्य कर रही थी पूर्णतया अपने स्वयं पर नही। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 बनाम डरियस शापुर चेन्नई तथा अन्य (2005) 7 एससीसी 627 मे, इस न्यायालय ने निम्न शब्दों में पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भांजी (1952) एससीआर 135 : एआईआर (1952), एससी 16 तथा मोहिन्दर सिंह मिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) 1 एससीसी 405 में निर्णयों के अनुमोदन के साथ उल्लेख किया था :

पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भांजी में यह कहा गया है :

> ''हम स्पष्ट करते हैं कि लोक व्यवस्था, जिसे कानूनी प्राधिकार के प्रयोग में सार्वजनिक रूप से किया जाता है का अर्थ इसका क्या तात्पर्य है या इसके मन में क्या है या वह क्या करना चाहता है के बारे में आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा तत्पश्चात दिय गये स्पष्टीकरणों के आलोक में लाया जाता है। लोक प्राधिकारियों द्वारा किया गया सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक प्रभाव का होना अभिप्रेत है तथा उन लोगों के कार्य तथा आचरण को प्रभावित करने के लिए आशयित है जिसे यह संबोधित है तथा स्वयं आदेश के प्रमुख भाषा के संदर्भ में यथार्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए।

अंत में पुनः *मोहिन्दर सिंह गिल* में इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया :

''दूसरा समान रूप से सुसंगत मामला यह है कि जब कानूनी पदाधिकारी कतिपय आधारों पर आधारित आदेश करता है, इसके वैधता को इस प्रकार उल्लिखित कारणो द्वारा समझा जाना चाहिए तथा शपथपत्र या अन्यथा के रूप में नये कारणों द्वारा कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, आदेश जो आरंभ में बुरा है उस समय जब यह चुनौती के कारण न्यायालय में आता है बाद में प्रकट अतिरिक्त आधार है वैध ठहराया जा सकता है। यहाँ हम *गोरधनदास भांजी न्यायमूर्ति बोस* के संप्रेक्षणों के संबंध में ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं।"

गोरधनदास भांजी को निर्दिष्ट करते हुए यह आगे संप्रेक्षित किया गया :

''आदेश पुराने शराब की भांति नही है जो पुराना होने के साथ बेहतर हो जाता है।"

कीमत के निर्धारण का अन्य संबंधित मामलों के संबंध में, इसलिए केन्द्र सरकार के कुछ नहीं कहा था। कोयला खान नियंत्रण आदेश 2000 के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार की शक्ति मात्र आपूर्ति को नियमित करना है न कि कीमत को नियमित करना, कोयले की कीमत, यह कहा जायेगा कि विनियमित किया गया है।

कोयले की आपूर्ति तथा/या निपटान जो, कोयला खान नियंत्रण आदेश 2000 के कार्यक्षेत्र में आयेगा इस प्रकार केवल इसके विस्तार में लिया जायेगा, जिसे आपूर्ति किया जायेगा, आपूर्ति

की मात्रा, ढंग, अवधि या स्रोत क्या होगा। निदेशों की जारी करने के इस प्रकार के शक्ति में मूल्य का निर्धारण शामिल नही होगा। ई-नीलामी कोयले की आपूर्ति हेतु पालिसी से संबंधित नहीं है। यह मूलतः इसक लिए कीमत है। केन्द्र सरकार मामले को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोयला खान नियंत्रण आदेश के खण्ड 6 सपठित खण्ड 9 के अधीन तात्पर्यित रूप से अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी द्वारा कोयले के निपटान के वेष में कोई निदेश जारी नही कर सकता था। स्वयं केन्द्र सरकार का कहना है कि इसने कोयला कम्पनियों को अपने स्वयं की कीमत का निर्धारण करने की अनुमति दिया था, यदि कानून के अनुसार ऐसा है तो यह कोई निदेश जारी नही कर सकता है जिसका कोयले की कीमत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव होगा। इसने, जैसा एतस्मिन् पूर्व संकेत दिया गया है निदेश दिया था कि 10 लाख मी0 टन कोयला ई-नीलामी के जरिए बेचा जाय, लेकिन ऐसा करते समय सही अर्थ में, कोयले के आपूर्ति को नियमित करने के लिए इसके शक्ति क्या नियंत्रण का प्रयोग इस अर्थ में नही किया जा सकता है। इस तथ्य के अलावा, कि यह आपूर्ति के विशेषता को पूरा नही करता है, जैसा एतस्मिन् पूर्व उल्लिखित है, स्वयं कोयले के आपूर्ति को इसके कार्यक्षेत्र में नही लाया गया है। इसके अलावा कोयले के आपूर्ति को विनियमित करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।

10 लाख मी0टन कोयले के संबंध में ई-नीलामी को अनुमति देते हुए, इसने मात्र कोयले की मात्रा का परिणाम निर्धारित किया था जिसे बेचा जाना आवश्यक था। इसे ई-नीलामी के ढंग का आश्रय लेते हुए इसके विस्तार में नही लाया गया था जिससे कम्पनियों को बहुमूल्य कीमत प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। कोयला खान नियंत्रण आदेश का खण्ड 6 इस पर विचार नहीं करता है।

वचन विबंध :

हमने एतस्मिन्पूर्व उल्लेख किया है कि धूमहीन कोयला आपरेटरों ने कोयला कम्पनियों के आदेश पर अपनी इकाईयाँ स्थापित किया था। ऐसे आपरेटर जिसने पहले बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल में अपनी इकाईयाँ स्थापित किया था स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रोत्साहित किये जाने के बाद कम्पनियों के आदेश पर ऐसा किया था। यह छोटे उपभोक्ताओं को मुलायम कोक की आपूर्ति करने के लिए कोयला कम्पनियों के बोझ को साझा करने के लिए किया गया था। इसलिए, वचन विबंध का सिद्धान्त लागू होगा।

संबंधित राज्यों ने अधित्यजन तथा/या बिक्रीकर के भुगतान के आस्थगन द्वारा इस प्रकार के औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देना चाहा था जिसके लिए विक्रय कर नियमावली में नियम 28क पुर: स्थापित किया गया था। राज्यों द्वारा अधिनियमित बिक्री कर विधियों में इस प्रकार की छूट देने के लिए राज्य को सशक्त करने वाला प्रावधान अन्तर्विष्ट है।

अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत विरचित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को निर्विवादित रूप से राज्य के औद्योगिक नीति के दृष्टिगत बनाया गया था। वास्तव में कानून के प्रावधानों के अधीन विधान या अन्यथा द्वारा इस प्रकार के औद्योगिक नीतियों को कई अन्य राज्यों द्वारा विरचित किया गया है।

मेसर्स मोती लाल पदमपत सुगर मिल्स कं0 लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य (1979) 2 एससीसी 409 मे, इस न्यायालय ने इस आशय के राज्य के अभिवाक् को नामंजूर किया था कि उ0प्र0 विक्री कर अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत जारी किसी भी सूचना के अभाव मे, राज्य विक्री कर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत इसके याचीगण पर अधिरोपित विक्रय कर के दायित्व को लागू करने का हकदार था तथा राज्य के विरूद्ध कोई वचन विवंध नही हो सकता है जिससे इसे जनहित मे अपने पालिसी को प्रतिपादित तथा क्रियान्वित करने से रोका जा सके।

प्रश्न पोरनामी आयल मिल्स तथा अन्य बनाम केरल राज्य तथा एक अन्य (1986) (अनुपूरक) एससीसी 728 मे इस नारायण के समक्ष विचारार्थ आया था, जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया :

" आदेश दिनांक अप्रैल 11, 1979 के अन्तर्गत, नये लघु इकाईयो को केरल राज्य मे अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आंमंत्रित किया गया था तथा औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के विचार से, पाँच वर्ष से अवधि के लिए विक्री कर तथा क्रय कर के छूट को रियासयत के रूप मे विस्तारित किया गया था तथा पाँच वर्ष की अवधि उत्पादन आरंभ होने की तिथि से चलना था। यदि इस प्रकार के आदेश के जवाब मे तथा उपलब्ध कराये गये रियायत को ध्यान में रखते हुए, किसी छोटे प्रतिष्ठान के प्रमोटरो ने केरल राज्य मे अपना उद्योग स्थापित किया है, ये लोग निश्चित रूप से अपने पक्ष में विबंध के नियम का अभिवचन करने के हकदार होगे जब केरल राज्य अलग तरीके से कार्य करने का दावा करता है। इस न्यायालय के कई निर्णयो को अपीलार्थीगण के आधार पर समर्थन मे प्रोद्धृत किया गया था कि समान परिस्थितियो मे विबंध का अभिवाक् लागू

किया जा सकता है तथा किया गया है एवं इस बिन्दु पर प्रमुख प्रमाण एम0 पी0 सुगर मिल्स का मामला है। दूसरी तरफ, वकुल कैसू कं0 बनाम एसटीओ मे इस न्यायालय के निर्णय पर राज्य की ओर से भरोसा रखा गया है। बकुल कैसू कं0 मामले मे इस न्यायालय ने पाया कि किसी पक्का या निश्चित वचन को प्रदर्शित करने के लिए कोई स्पष्ट सामग्री नही है जिसे मंत्री द्वारा संबंधित व्यक्तियो से किया गया था तथा इस आधार के समर्थन मे भी कोई स्पष्ट सामग्री नही है कि पक्षकारो ने प्रत्यावेदनो पर कार्यवाही करते हुए अपनी स्थिति को बदला था तथ कोई प्रतिकूल प्रभाव झेला था। इसलिए, तथ्यो पर विबंध के अभिवाक् को उठाने के लिए किसी मामले को बना अभिनिर्धारित नही किया गया है। यह न्यायालय इस आधार पर अग्रसर हुआ था कि भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने वाली अधिसूचना राज्य विक्री कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार नही था जैसा यह तब था क्योकि भूतलक्ष्मी प्रभाव से छूट देने की शक्ति नही थी। संशोधन द्वारा इस शक्ति को बाद मे प्रदान किया गया हे। इन अपीलो में भूतलक्ष्मी छूट का कोई प्रश्न नही है। हम यह भी पाते है कि एम0पी0 सुगर मिल्स मामले मे निर्णय के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ नही किया गया था। हमारे विचार मे, वर्तमान मामले के तथ्यो के संबंध मे, एम0 पी0 सुगर मिल्स का विनिश्चयाधार प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है तथा निबंध का अभिवाक् अकाट्य है।' '

अंत मे पुनः सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर (सहायक) धारवार तथा अन्य बनाम धर्मेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी तथा अन्य (1988) 3 एससीसी 570 मे इस न्यायालय ने इसमे प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति पर राज्य के इस तर्क को नामंजूर किया था कि दिये गये रियायत का कोई दुरूपयोग इसमे प्रत्यर्थी द्वारा किया गया था तथा इस प्रकार राज्य अपने वचन पर वापस नही जा सकता है।

आगे यह संप्रेक्षित किया गया :

"अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि उक्त आदेश दिनांक 30.06.1969 द्वारा दिये गये रियायत का कोई विधिक प्रभाव नही हैं क्योकि कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नही है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की रियायत दी जा सकती है तथा 30.06.1969 का आदेश अधिकारातीत तथा विधि की दृष्टि मे दोषपूर्ण हे। हम पूर्णतया विचार करने मे असफल है कि कैसे विक्री कर का सहायक आयुक्त या उपायुक्त जो राज्य का पदाधिकारी है यह कह सकता है कि स्वयं राज्य द्वारा दी गई रियायत राज्य

के शक्तियो के परे था या कैसे राज्य ऐसा कह सकता है। इसके अलावा, यदि विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क सही है, परिणाम यह होगा 12.01.1997 का दूसरा आदेश भी समान रूप से अवैध होगा क्योकि यह धन वापसी रियायत मंजूर करता है, यद्यपि अधिक सीमित रीति में तथा यह भी अपीलार्थीगण का मामला नही है।' '

मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड बनाम उपायुक्त वाणिज्यिक कर तथा अन्य (1992) अनुपूरक 1 एससीसी 21 ऐसा मामला हैं जहाँ इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला था कि कि क्या पात्रता मानक मे पश्चातवर्ती परिवर्तन पूर्ववर्ती अधिसूचना मे अनुबद्ध शर्त के अर्हता को रद्द कर सकता हैं तथा इसका उत्तर नकारात्मक मे किया गया था।

इस न्यायालय ने *पवन एलाय एण्ड कास्टिंग प्रा0 लि0 मेरठ बनाम उ0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य* (1997) 7 एससीसी 251, मे यह धारित करते हुए विधिक स्थिति को अभिपुष्ट किया थाः

''इन बिन्दुओ पर पूर्वोक्त विवेचना के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि अपीलार्थीगण सफल होने के हकदार है। यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 31.07.1986 के आक्षेपित अधिसूचना का 01.08.1986 के आगे से सम्पूर्ण तीन वर्ष की अवधि का इनमे प्रत्येक के समाप्त होने तक बोर्ड से अपने इकाईयो पर विद्युत आपूर्ति के आरंभ होने के अपने-अपने तिथियो से तीन वर्ष के असमाप्त अवधि के लिए 10 प्रतिशत के विकास छूट को प्राप्त करने के अपीलार्थी-नये उद्योगो के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा। यह परिणाम अपीलार्थीगण के लिए तार्किक रूप से अनुसरण करता है जिसने सर्वसम्मति तरीके से 01.08.1986 के पहले नये उद्योगो के रूप में बोर्ड से आपूर्ति समझौता किया है।' '

प्रश्न पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इण्डिया लि0 तथा एक अन्य (2004) 6 एससीसी 465 मे हाल मे इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था, जिसमे इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत के विकास का सर्वे किया था तथा सिद्धांत को विधायी कार्यवाही के लिए भी लागू अभिनिर्धारित किया था।

विधि सम्मत प्रत्याशा :

नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत उन मामलो मे लागू होगा जहाँ कुछ अधिकार है जिसके प्रशासन के कार्य द्वारा प्रभावित होने की संभावना है। फिर भी सुशासन अन्य स्थितियो मे भी युक्तियुक्तता के सिद्धान्त के पालन की माँग करता है। जहाँ नागरिक वर्ग विधि सम्मत तरीके

से उचित तरीके से बर्ताव करने की अपेक्षा कर सकता है। विधि सम्मत प्रत्याशा का सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के संदर्भ मे विकसित हुआ है।

विवाद्यक उठता है कि क्या विधि सम्मत प्रत्याशा का आश्रय तब किया जा सकता है जब प्रत्याशा विधि विरूद्व प्रत्यावेदन पर आधारित होता है (अर्थात् बहुतायत ऐसा कुछ है जा सूच्यनीय प्राधिकारी के शक्ति के अधिकारातीत है)। स्ट्रेच बनाम यू0 के0 (2004) 38 ईएचआरआर 12 में, आवेदक को प्राधिकारी द्वारा 22 वर्ष का पट्टा दिया गया था जिसके पास ऐसा करने की शक्ति नही थी। पट्टा के नवीनीकरण के समय पर केवल आवेदक को जानकारी दी गई थी, जब बातचीत पहले ही अग्रिम प्रक्रम पर पहुँच गया था। जबकि अपील न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया था कि पट्टा के नवीनीकरण के विकल्प का प्रयोग नही किया जा सकता है (क्योकि स्थानीय प्राधिकारी के शक्ति के परे), यह देखा गया है कि यह अन्यायपूर्ण था कि इस प्रकार का अधिकारीगण अपने स्वयं की गलतीयो का लाभ उठा सका था। फिर भी मानवाधिकार के यूरोपीय न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नही किया था तथा क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत किया था क्योकि यह तथ्यो पर पाया गया कि यह कार्यवाही किसी प्रकार से जनहित के विरूद्व नही गया था, न ही इसने प्राधिकारी के कानूनी कर्तव्यो पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।

फिर भी हम हाल के प्रवृत्ति का उल्लेख कर सकते है जहाँ संतुलन स्थापित करने के सिद्धांत की वकालत की गई है।

राउलाण्ड बनाम इनवायरन मेंटल एजैसी (2003) ईडब्लूसीए सिव (1885) मे टेम्स नदी जिसे हेडसर वाटर के रूप मे जाना जाता है का एक हिस्सा शामिल था, जिसे सुसंगत अधिकारियों ने सार्वजनिक नौवाहन अधिकारो के प्रयोग हेतु खुला घोषित किया था। फिर भी आरंभ मे अधिकारियो ने नियमित तथा लगातार आचरण द्वारा यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार का अधिकार विद्यमान नही था। अपील न्यायालय ने कहा था कि यद्यपि प्रत्याशा विधि सम्मत थी, कार्यवाही असफल होनी चाहिए। पीटर गिब्सन एल0 जे0 के अनुसार कार्यवाही असफल थी क्योकि विधि सम्मत प्रत्याशा केवल विधि पूर्ण दावो के विरूद्व दिया जा सकता है। यद्यपि मे0 एज0जे0 (मीनेस एल0जे0 की भॉति) उपर्युक्त निष्कर्ष पर आया था, इन लोगो ने विधिक अक्षमता को विधि सम्मत प्रत्याशा (परम्परागत अधिकार के तुल्य) के विरूद्व अविवेचित उत्तर के रूप मे स्वीकार करने से इंकार किया था। इन लोगो ने एक प्रकार के संतुलन

की माँग किया था जहाँ हेडसर वाटर को नौवहन के अधिकारो को खोलने की अनुमति देना, इस प्रकार का प्रयोग प्राधिकारी द्‌वारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित नही किया जायेगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मामले के इस प्रकार के संतुलन को रोकने की आवश्यकता नही थी जहाँ अधिकार परम्परा द्‌वारा संरक्षित था। इसे सभी मामलो में दिया जा सकता है जहाँ विधि विरूद्‌ध कार्यवाही जनहित मे विरूद्‌ध नही होता है।

निष्कर्ष :

कोयला के दुर्लभ वस्तु होने के नाते, उस प्रयोजन हेतु इसकी उपयोगिता जिससे किस यह जरूरी है मूलभूत है। यद्‌यपि तकनीकी रूप से, इस तथ्य के दृष्टिगत कि कोयला के लिए कीमत निर्धारित नही हैं, शब्द के तकनीकी अभिप्राय मे कोई कालाबाजारी नही हो सकती है; लेकिन यह न्यायालय की सामान्य अभिप्राय मे कालाबाजारी को प्रोत्साहित नही कर सकता है। दुर्लभ वस्तु का व्यापार करते समय किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ लेने की अनुमति नही की जानी चाहिए। असली तथ्य यह है कि केन्द्र सरकार के सर्वोत्तम प्रयासो के बावजूद, कोयला कंपनीयाँ कुछ लोगो के खतरा को कम करने तथा पूर्णतया या आंशिक कोयला के आवंटन को प्राप्त करने के अपने हैसियत का दुरूपयोग करने वाले संबद्‌ध उपभोक्ताओ या इससे अन्य जन सामान्य को अपवर्जित करते हुए कोयले के व्यापार मे असफल थी, यह पूर्णतया आवश्यक है कि रंध्र को भरने के लिए कुछ प्रक्रिया का पता लगाया जाना चाहिए। भारत संघ या कोयला कंपनीयाँ राज्य सरकारो मे विश्वास खोई प्रतीत होती है। इसने संयुक्त निरीक्षण किया था तथा इस प्रक्रिया मे इन्हे औद्‌योगिक इकाईयो जिसके लिए अनुबंध प्रणाली अभिप्रेत है के दावो के यथार्थता के बारे में समाधान पर पहुँचना चाहिए था।

हमारे समक्ष अधिकांश उपभोक्ताओ ने कोयले के आपूर्ति को प्राप्त करने के विचार से अपने यथार्थता को साबित करने के लिए दस्तावेजो को दाखिल किया था। उक्त दस्तावेजो की छानबीन कोयला कम्पनियों के अधिकारियों द्‌वारा की जानी चाहिए। उस स्थिति मे जब इन्हे कोई आशंका को संबंधित कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जिसके अधिकारिता मे इकाई स्थित है द्‌वारा नियुक्त अधिकारियो द्‌वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए।

एक व्यवहार्य पालिसी तैयार करने के विचार से भारत संघ द्‌वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमे कोयला सचिव अध्यक्ष होगा। इस प्रकार के समिति मे कोयला से तकनीकी विशेषज्ञ भी जुड़ा होना चाहिए क्योकि अधिकांश परियोजनाओ मे कोयला के उपभोक्तागणत्र विशेष रूप से कठोर कोक तथा धूमहीन ईधन के उत्पादकगण शामिल हैं। हमारी

राय मे, बकाया तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ के साथ जहाँ तक उत्पादन के मुकाबले निवेश के अनुपात का संबंध है इसमे प्रयुक्त प्रौद्यागिकीयो को ध्यान मे रखते हुए ढूढ़ निकालना कठिन नही हो सकता है। इस प्रकार एक मात्र निष्कर्ष के आधार पर, पाँच वर्षो के शर्तो के अलावा आपूर्ति को एमपीक्यू का आधार बनाया जाना चाहिए। फिर भी हम जल्दी से जोड़ सकते है कि कोयला कम्पनियां के सहयोग से केन्द्र सरकार ऐसी पालिसी तैयार करने के लिए स्वतन्त्र होगा जो कोयला के उपभोक्ताओ के हित के मुकाबले जनहित के शर्तो का पूरा करेगा। ये इस प्रकार के सन्नियमो को अधिकथित करने के हकदार होगे जैसा उपयुक्त तथा उचित पाया जाता है। ये इसके लिए समुचित सन्नियमो को निर्धारित करने के हकदार होगे। यदि, किसी औद्योगिक इकाई को सन्नियमो का उल्लंघन करता पाया जाता है, इसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए।

कठोर कोयला सयंत्र भी कोयला खान नियंत्रण आदेश 2000 के अर्थान्तरगत कोयला खान है। कठोर कोक इसके प्रावधान के अर्थान्तरगत कोयला है। इसलिए केन्द्र सरकार कोयले के परिभाषा को व्यापक बनाने पर विचार कर सकता है जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत इसके शक्ति के प्रयोग मे धूमहीन कोयला को शामिल किया जा सके। हम ओएनजीसी (ऊपर) मे उल्लेख कर सकते है, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गारा कोयला का एक हिस्सा है तथा खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के प्रावधानो द्वारा नियंत्रित होता है। कोयला की इस प्रकार की विस्तृत परिभाषा होने के नाते, हम किसी ऐसे कारण पर विचार करने में असफल है कि क्यो इस पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए भारत संघ द्वारा समुचित कार्यवाही नही की जा सकती हैं। असली उपभोक्ताओ को ढूढ़ निकालने के लिए किसी कठोर प्रणाली को अनधिकृत प्रयोजन हेतु बेईमान व्यक्तियो द्वारा कोयले के व्यापार को रोकने की कार्यवाही मे लंबा समय लगेगा। ऐसे लोग जो ऐसा करते है, के साथ कड़ाई से निपटा जाना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नही होगा कि असली उपभोक्ताओ को कोयले के अभाव मे कष्ट उठाना चाहिए।

इस मामले के विशिष्ट तथ्यो तथा परिस्थितियो मे हमारी राय है कि यह ढूढ़ निकालना कठिन हो सकता है कि असली उपभोक्तागण कौन है। जहाँ तक कठोर कोक ओवन के स्वामी का संबंध है, ये लोग संघ के सदस्यगण है तथा इसके पहचान का सत्यापन आसानी से किया जा सकता है।

फिर भी एतस्मिन्पूर्व किये गये विवेचनाओ को यह विधि अधिकथित करने के लिए

स्वीकार नही किया जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार तथा इस मामले के लिए कोयला कम्पनियाँ अपने नीतिगत निर्णय को बदल नही सकती है। ये स्पष्टतया कर सकती है; लेकिन इसके लिए जनहित को मात्र लाभ हेतु से अलग होना चाहिए। अकाट्य तथा वैध कारणों पर नीतिगत निर्णय मे कोई बदलाव विधि मे स्वीकार्य नही है; लेकिन इस प्रकार का बदलाव केवल तभी होना चहिए जब यह आवश्यक हो तथा कोयले के असली उपभोक्ताओ को बाकी से अलग करने की कवायद आरंभ की जाय। यदि कोयला कंपनीयाँ कोई कार्यवाही करना चाहती है ये ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो सकती है। लेकिन इसे वर्तमान स्कीम उदाहरणार्थ खुली विक्रय स्कीम के संबंध में भी संवैधानिक तथा कानूनी स्कीमो के शर्तो को पूरा करना चाहिए, निर्विवादित रूप से कोयला कंपनीयाँ नई पालिसी प्रतिपादित करने के लिए स्वतंत्र होगी जो बदले स्थिति का सामना करेगा। ई-विज्ञापन या ई-निविदा का स्वागत किया जायेगा लेकिन इसके लिए अधिक पारदर्शिता कायम रखी जानी चाहिए।

उपरोक्त कारणो पर, सिविल अपील सं0 2972 तथा 2975 वर्ष 2005 को सभी गुणावगुण से रहित होने के नाते खारिज किया जाता है। वि0 अनु0 या0 (सिविल) सं0 24034 वर्ष 2005 से उद्भूत सिविल अपील को अनुज्ञात किया जाता हैं तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आदेश से उद्भूत सिविल अपील सं0 5547 वर्ष 2004 पर पृथक आदेश पारित करने की आवश्यकता नही है क्योकि उक्त मामला भी इस निर्णय द्वारा निंयत्रित होगा। सभी अन्य अपीलो तथा अन्तरित मामलो को पूर्वोक्त संप्रेक्षणो तथा निदेशो के साथ निपटाया जाता है।

अपील अन्तरण मामले निपटाये गये।

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)

This is certify that these are true and correct HIndi translated copies of judgement of PDF files available in eSCR. If any discrepancy is found at later stage. I shall be soely responsible for it.